Daksh®

राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26
राजस्थान सरकार की नवीनतम योजनाएँ एवं बजट
7 सम्भाग एवं 41 जिलें के अनुसार

2027

Topper's®

राजस्थान

सार संग्रह

राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी पुस्तक

- सामान्य परिचय
- भूगोल
- अर्थव्यवस्था
- इतिहास
- कला एवं संस्कृति
- राजव्यवस्था

दक्ष®

अनुक्रमणिका

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ संख्या

Part-A

राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था

[Geography and Economics of Rajasthan] 7-250

1 राजस्थान के नवीन जिले एवं संभागीय व्यवस्था
[New District & Divisional System of Rajasthan] 7

2 राजस्थान : सामान्य परिचय
[Rajasthan : General Introduction] 15

3 राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार
[Location and Extent of Rajasthan] 37

4 राजस्थान के भू-आकृतिक प्रदेश
[Physiographic Regions of Rajasthan] 41

5 राजस्थान की जलवायु एवं मानसून तंत्र
[Rajasthan's Climate and Monsoon System] 51

6 राजस्थान में जल संसाधन : नदियाँ, झीलें, बाँध एवं सरोवर
[Water Resources in Rajasthan : Rivers, Lakes, Dams & Ponds] 59

7 राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएँ एवं जल संरक्षण की तकनीकें
[Irrigation Projects and Water Conservation Techniques in Rajasthan] 77

8 राजस्थान में मृदा संसाधन
[Soil Resources in Rajasthan] 89

9 राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति
[Natural Vegetation in Rajasthan] 92

10 राजस्थान में जैव विविधता, वन्य जीव जन्तु एवं वन्य जीव संरक्षण
[Biodiversity, Wildlife Animal and Wildlife Conservation in Rajasthan] 101

11 राजस्थान की जनसंख्या : वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात
[Population of Rajasthan: Growth, Density, Literacy, Sex Ratio] 110

12 राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ; भौगोलिक वितरण एवं विशेषताएँ
[Major tribes of Rajasthan; Geographical Distribution and Characteristics] . 121

13 राजस्थान में पारिस्थितिकी संकट के मुद्दे एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास
[Issues of Ecological Crisis in Rajasthan & Efforts for Environmental Protection] 129

अध्याय नं. अध्याय का नाम .... पृष्ठ संख्या

14 राजस्थान में खनिज संसाधन
[Mineral Resources in Rajasthan] 134

15 राजस्थान में पर्यटन का विकास; पर्यटन केन्द्र एवं परिपथ
[Development of Tourism in Rajasthan; Tourist Centres and Circuits] 144

16 राजस्थान में परिवहन के साधन
[Means of Transport in Rajasthan] 164

17 राजस्थान में कृषि परिदृश्य : प्रमुख फसलें, कृषिक्षेत्र की वर्तमान स्थिति एवं कृषि विपणन
[Agriculture Scenario in Rajasthan: Major Crops, Current Status of Agriculture Sector and Agriculture Marketing] 176

18 राजस्थान में पशु संपदा एवं डेयरी विकास
[Livestock and Dairy Development in Rajasthan] 191

19 राजस्थान के ऊर्जा संसाधन : परम्परागत एवं गैर-परम्परागत
[Energy Resources of Rajasthan : Conventional & Non-Conventional] 203

20 राजस्थान में औद्योगिक विकास; प्रमुख उद्योग व नव प्रवृतियाँ
[Industrial Development in Rajasthan; Major Industries & New Trends] 213

21 राजस्थान में सहकारिता आंदोलन
[Cooperative Movement in Rajasthan] 228

22 राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी की स्थिति
[Situation of Poverty & Unemployment in Rajasthan] 233

23 राज्य में सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी योजनाएँ
[Socio-Economic Welfare Schemes in the State] 236

Part-B

राजस्थान का इतिहास

[History of Rajasthan] 251-346

1 राजस्थान के इतिहास के महत्त्वपूर्ण स्रोत
[Important Sources of History of Rajasthan] 251

2 प्रागैतिहासिक राजस्थान : राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ
[Prehistoric Rajasthan : Ancient Civilizations of Rajasthan] 257

3 राजस्थान की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ एवं प्रमुख राजवंश
[Important Historical Events and Major Dynasties of Rajasthan] 263

4 मध्यकालीन राजवंशों की प्रशासनिक व राजव्यवस्था
[Administrative and Political System of Medieval Dynasties] 295

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ संख्या

5 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान
[Contribution of Rajasthan in the Revolution of 1857] 300

6 राजस्थान में सामाजिक और राजनीतिक जागरण के कारक
[Factors of Social and Political awakening in Rajasthan] 304

7 राजस्थान में किसान व जनजातीय आंदोलन
[Peasants and Tribal Movements in Rajasthan] 309

8 देशी रियासतों में प्रजामण्डल आन्दोलन
[Prajamandal Movement in Princely States] 318

9 राजस्थान का एकीकरण
[Integration of Rajasthan] 322

10 राजस्थान के महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल
[Important Historical Places of Rajasthan] 327

11 राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व
[Major Personalities of Rajasthan] 334

Part-C

राजस्थान की कला एवं संस्कृति
[Art and Culture of Rajasthan] 347–430

1 राजस्थान की स्थापत्य कला
[Architecture of Rajasthan] 347

2 राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ
[Various Styles of Painting in Rajasthan] 364

3 राजस्थान में प्रमुख हस्तशिल्प
[Major Handicrafts in Rajasthan] 371

4 राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा एवं विरासत-वस्त्र एवं आभूषण, रीति-रिवाज
[Cultural Tradition and Heritage of Rajasthan-Clothes and Ornaments, Customs] 376

5 राजस्थान के मेले व त्योहार
[Fairs and Festivals of Rajasthan] 383

6 राजस्थान में लोक संगीत एवं वाद्य यंत्र
[Folk Music & Musical Instruments in Rajasthan] 391

7 राजस्थान के लोक नृत्य एवं नाट्य
[Folk Dance and Drama of Rajasthan] 398

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ संख्या

8 राजस्थान के धार्मिक आंदोलन : प्रमुख लोक संत एवं सम्प्रदाय
[Religious Movements of Rajasthan : Major Folk Saints and Sects] 404

9 राजस्थान के प्रमुख लोक-देवता एवं देवियाँ
[Major Folk Gods and Goddesses of Rajasthan] 410

10 राजस्थानी भाषा एवं क्षेत्रीय बोलियाँ
[Rajasthani Language & Regional Dialects] 417

11 राजस्थानी साहित्य का विकास
[Development of Rajasthani Literature] 423

Part-D

राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासन
[Polity and Administration of Rajasthan] 431–496

1 राज्यपाल
[Governor] 431

2 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद
[Chief Minister and State Council of Ministers] 438

3 राज्य विधानसभा
[State Legislative Assembly] 443

4 राजस्थान उच्च न्यायालय
[Rajasthan High Court] 452

5 राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव
[State Secretariat and Chief Secretary] 456

6 जिला प्रशासन
[District Administration] 460

7 राजस्थान के विभिन्न आयोग एवं संस्थाएँ
[Various Commissions and Institutions of Rajasthan] 466

8 स्थानीय स्वशासन-पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन
[Local Self Government-Panchayati Raj & Urban Local-Self Government] ... 478

9 लोकनीति; विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र
[Public Policy; Legal Rights and Citizen's Charter] 486

1 राजस्थान के नवीन जिले एवं संभागीय व्यवस्था [New District & Divisional System of Rajasthan]

1 नवम्बर, 1956 को राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के दौरान वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमाएँ अस्तित्व में आयी, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की आवश्यकताओं के चलते समय-समय पर यहाँ नवीन जिलों एवं संभागों का गठन हुआ है। 7 अगस्त, 2023 को प्रभावी नवीन जिलों की अधिसूचना के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या में वृद्धि हुई है अतः इसका विवरण अग्र दिया गया है—

राजस्थान मानचित्र (नवीनतम 41 जिलानुसार)

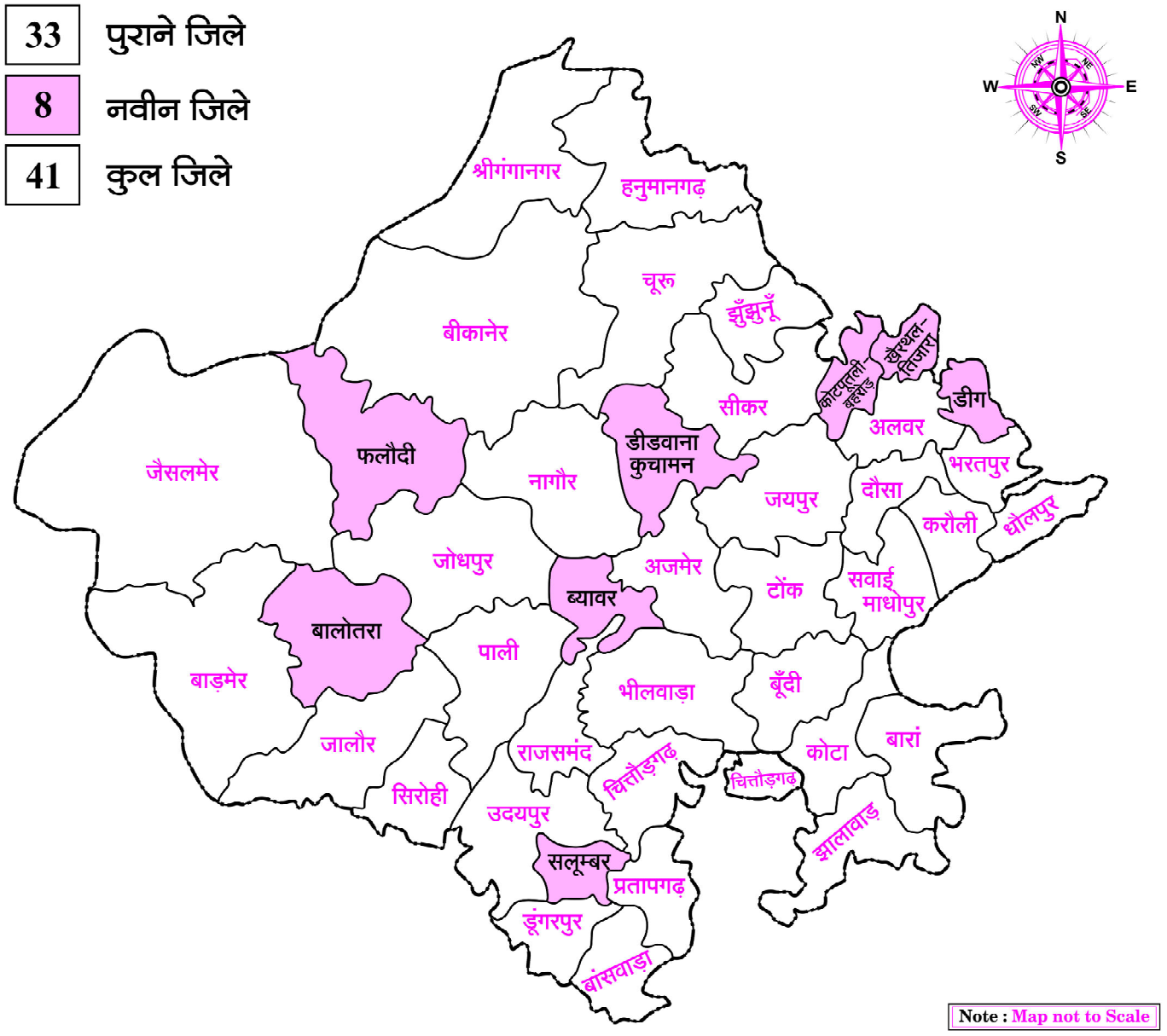

2 राजस्थान : सामान्य परिचय [Rajasthan : General Introduction]

राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय

- ऋग्वेद में राजस्थान और इसके निकटवर्ती क्षेत्र को **'ब्रह्मवर्त'** तथा वाल्मीकि कृत रामायण में इसे **'मरूकान्तर'** नाम से पुकारा गया है।
- राजस्थान शब्द का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य सिरोही के चावडा वंश के शासक वर्मलात के समय के **बसंतगढ़ शिलालेख** (वि.स. 682/625 ई.) में मिलता है, जिसमें **'राजस्थानीयादित्य'** शब्द प्रयुक्त हुआ है।
- साहित्यिक रूप से **'राजस्थान'** शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख **'मुहणौत नैणसी री ख्यात'** में किया गया है। इसके अतिरिक्त 1731 ई. में वीरभान द्वारा रचित **'राजरूपक'** नामक ग्रन्थ में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है किन्तु उपर्युक्त दोनों पुस्तकों में भौगोलिक इकाई के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है अपितु **'राजाओं की भूमि'** के संदर्भ में किया गया है।
- भारतीय इतिहास में 7-12वीं शताब्दी का काल **'राजपूत काल'** कहलाता है। इस समय यहाँ अनेक राजपूत राजवंशों ने शासन किया।
- 1800 ई. में सर्वप्रथम **जॉर्ज थॉमस** द्वारा इस भू-भाग के लिए **'राजपूताना'** शब्द का प्रयोग किया गया

नोट:- आयरलैण्ड निवासी जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया का सैनिक कमांडर था। 1805 ई. में ब्रिटिश इतिहासकार **विलियम फ्रेंकलिन** ने **'मिल्ट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जार्ज थॉमस'** नामक पुस्तक में सर्वप्रथम इस तथ्य की लिखित पुष्टि की है कि जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था, जिसने **'राजपूताना'** शब्द का प्रयोग इस भू-भाग के लिए किया था।

- ब्रिटिश काल में प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार **कर्नल जेम्स टॉड** ने 1829 ई. में प्रकाशित अपनी पुस्तक **'एनाल्स एंड एण्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान'** (सेंट्रल एण्ड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया) में इस भू-भाग के लिए सर्वप्रथम **'राजस्थान'** शब्द का प्रयोग किया।
- कर्नल टॉड ने प्राचीन बहियों एवं दस्तावेजों के आधार पर **रजवाड़ा'** एवं **'रायथान'** शब्दों का प्रयोग भी किया है।
- राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में दूसरे चरण (25 मार्च 1948) के दौरान रखे गए नाम **'पूर्व राजस्थान संघ'** में पहली बार राजस्थान शब्द जोड़ा गया।
- एकीकरण के चौथे चरण अर्थात 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण का अधिकांश कार्य पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में **'30 मार्च'** को **राजस्थान दिवस** घोषित किया गया।
- एकीकरण के छठे चरण के दौरान **26 जनवरी 1950** को राजस्थान शब्द को **संवैधानिक मान्यता** प्राप्त हुई एवं 1 नवम्बर 1956 को एकीकरण पूर्ण होने पर वर्तमान राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप सामने आया।
- वर्तमान राजस्थान का निर्माण ऐतिहासिक घटनाक्रम का प्रतिफल है। प्राचीन व मध्यकाल में राजस्थान के भिन्न-भिन्न क्षेत्र अपने विशिष्ट प्रादेशिक पहचान बनाए हुए थे, जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हैं—

प्राचीन नाम	वर्तमान स्थान
यौद्धेय	गंगानगर के आसपास का क्षेत्र
अहिच्छत्रपुर	प्राचीन नागौर का क्षेत्र [Conductor 2025]
गुर्जरत्रा	जोधपुर-पाली क्षेत्र
वल्ल/दुंगल/माड	जैसलमेर क्षेत्र
स्वर्णगिरी/जाबालीपुर	जालौर क्षेत्र
चन्द्रावती/आर्बुद	सिरोही-आबू क्षेत्र
शिवि/मेदपाट	उदयपुर-चित्तौड़ क्षेत्र [Grade 3rd Eng. (L-2) 2026]
वागड़	डूंगरपुर, बाँसवाड़ा का क्षेत्र
कांठल	प्रतापगढ़ (माही नदी का क्षेत्र)
छप्पन का मैदान	प्रतापगढ़-बाँसवाड़ा के मध्य 56 ग्राम समूह
मेवल/देवलिया	डूँगरपुर-बाँसवाड़ा के बीच का भाग
ऊपरमाल	भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया तक का पठारी क्षेत्र
ढूंढाड़	जयपुर के आसपास ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र
शूरसेन	भरतपुर-डीग-करौली-धौलपुर क्षेत्र [Grade 3rd Eng. (L-2) 2026]
जांगल	बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग
शाकम्भरी	सांभर, अजमेर क्षेत्र
व्याघ्रवार	बाँसवाड़ा
पालन/दशपुर	झालावाड़ क्षेत्र
थली	चूरू-सरदार शहर क्षेत्र
श्रीमाल	बाड़मेर क्षेत्र
मेरवाड़ा	अजमेर, राजसमंद का मेर बाहुल्य क्षेत्र
मारवाड़	मुख्यतः जोधपुर संभाग
नेहड़	बाड़मेर, जालौर का कच्छ के रन को स्पर्श करता क्षेत्र, यहाँ समुद्र का जल लहराता था।
गोड़वाड़	पाली एवं दक्षिण-पूर्वी जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर व जालौर जिलों में लूणी नदी द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र।
बांगड़ (बांगर) [Grade 3rd Eng. (L-2) 2026]	अरावली के पश्चिम में पाली, नागौर, डीडवाना-कुचामन, सीकर, झुंझुनूं जिलों का पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र।

3 राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार [Location and Extent of Rajasthan]

राजस्थान: भारत का सबसे बड़ा राज्य

राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो अपने गौरवशाली इतिहास और भौगोलिक विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य की विशेषताएं इसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक रूप से अनोखा बनाती हैं। राजस्थान की भौतिक संरचना और स्वरूप को समझने के लिए इसके भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन जरूरी है।

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान का निर्माण, आकार, स्थिति एवं विस्तार
- राजस्थान की सीमाएँ एवं जिलेवार विस्तार

राजस्थान का निर्माण

राजस्थान के निर्माण की भूवैज्ञानिक विशेषताएं

- **टेथिस सागर के अवशेष:**
  - राजस्थान का मरुस्थलीय और उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्र प्राचीन टेथिस सागर के अवशेषों पर बना है।
  - हिमालय की नदियों ने इन क्षेत्रों को गाद और मिट्टी से भर दिया।
  - सांभर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर जैसी खारे पानी की झीलें टेथिस सागर के अवशेष हैं।
- **अरावली पर्वतमाला:**
  - यह प्राचीन गौंडवाना लैंड का हिस्सा है और राजस्थान की प्रमुख जल-विभाजक है, जो राज्य को दो भागों में बांटती है।
  - यह प्री-कैम्ब्रियन युग की वलित पर्वत श्रृंखला है, जो अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है।
- **दक्षिणी पठारी क्षेत्र:** अरावली के दक्षिण-पूर्व में हाड़ौती का पठार, मालवा पठार का हिस्सा है, जो लावा से निर्मित है।

राजस्थान का आकार, स्थिति और विस्तार

- **आकार:** राज्य की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज (Rhombus) या पतंगाकार है। [Grade 3rd (L-1) 2026]
- **स्थिति:**
  - अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्द्ध तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्द्ध में स्थित है।
  - विश्व मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर-पूर्व में है।
  - राजस्थान, भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है।
  - यह 23°03 से 30°12 उत्तरी अक्षांशों और 69°30 से 78°17 पूर्वी देशांतरों के बीच फैला है। [Raj. Police Constable 2025]
- **भौगोलिक विस्तार:** राजस्थान का विस्तार 7°09' अक्षांशों [जेल वार्डन 2018] और 8°47' देशांतरों के बीच है, जिससे इसका देशांतरीय विस्तार अधिक है।
- राजस्थान की **मध्यवर्ती 27° उत्तरी अक्षांश रेखा** जैसलमेर, फलौदी, नागौर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, दौसा एवं भरतपुर जिलों से गुजरती है।
- राजस्थान की **मध्यवर्ती 74° पूर्वी देशान्तर रेखा** गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है।
- सूर्य को 1° देशान्तर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। राजस्थान 8°47 देशान्तरों के मध्य विस्तृत है अतः सूर्य को सम्पूर्ण राजस्थान को पार करने में 8°47 × 4 = 35 मिनट 8 सैकण्ड का समय लगता है।
- **कर्क रेखा:**
  - कर्क रेखा (23½° उत्तरी अक्षांश) राज्य के दक्षिण भाग (बाँसवाड़ा और डूँगरपुर जिलों) से होकर गुजरती है। [Grade 3rd Hindi (L-2) 2026, Jamadar 2025, JEN Mech. 2020, टैक्स असिस्टेंट 2018]
  - राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है, जिसमें बाँसवाड़ा जिले में यह सर्वाधिक फैली हुई है।
  - यह कुशलगढ़ (बाँसवाड़ा) और चिखली गाँव (डूँगरपुर) के पास से गुजरती है। [Lecturer & Coach (School Edu.) 2025, चतुर्थ श्रेणी 2025]
  - कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर कुशलगढ़ (बाँसवाड़ा) तथा सर्वाधिक दूर शहर गंगानगर है।
  - कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय **बाँसवाड़ा** एवं सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय **श्रीगंगानगर** है।

मानचित्र: राजस्थान स्थिति एवं विस्तार

राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार और भौगोलिक विशेषताएँ

राज्य का क्षेत्रफल और विस्तार:

- **कुल क्षेत्रफल:**
  - राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर (1,32,140 वर्ग मील) [Raj. Police Constable 2025] है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। [परिचालक 2025, चतुर्थ श्रेणी 2025]
  - क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है।

4 राजस्थान के भू-आकृतिक प्रदेश [Physiographic Regions of Rajasthan]

- राजस्थान का भौतिक स्वरूप अधिक प्राचीन है। यहाँ पर्वत, पठारी, मैदानी व रेगिस्तानी भूदृश्य मिलते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क मैदान पाए जाते हैं जहाँ वायु द्वारा निर्मित भूदृश्यावलियाँ पायी जाती है। इनमें से बालूका स्तूप सबसे महत्त्वपूर्ण हैं।
- राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से 250 से 300 मीटर की श्रेणी में आता है। [ग्रेड-III 2023]
- राजस्थान में पश्चिमी थार मरुस्थल एवं पूर्वी मैदानी प्रदेश **टेथिस सागर** का ही अवशेष माना जाता है।
- राजस्थान में आज भी **सांभर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर** आदि खारे पानी की झीलें मौजूद हैं जो कि कुछ विद्वानों के अनुसार टेथिस सागर के अवशेष के रूप में स्वीकारी जाती है।
- राजस्थान की अरावली पर्वतमाला तथा दक्षिणी पठारी भाग **गौंडवाना लैण्ड** के भू-भाग हैं।
- अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला राज्य की मुख्य जल विभाजक है तथा राजस्थान के अपवाह तंत्रों को दो भागों में बाँटती है।
- राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम **प्रो. वी.सी. मिश्रा** ने अपनी पुस्तक **'राजस्थान का भूगोल'** में किया, जिसका प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया।
- उन्होंने राजस्थान को निम्न सात भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया—
  1. पश्चिमी शुष्क प्रदेश
  2. अर्द्ध-शुष्क प्रदेश
  3. नहरी क्षेत्र
  4. अरावली प्रदेश
  5. पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश
  6. दक्षिणी-पूर्वी कृषि प्रदेश
  7. चम्बल बीहड़ प्रदेश
- वर्ष 1971 में **प्रो. रामलोचन सिंह** ने राजस्थान की दो वृहत प्रदेशों (राजस्थान एवं राजस्थान पठार) में विभक्त कर इसे चार उप-प्रदेश तथा 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया।
- राज्य में मिलने वाली भौतिक विविधताओं की दृष्टि से इसको भौगोलिक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित **चार भागों** में बांटा गया है—

	पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश	अरावली पर्वतीय प्रदेश	पूर्वी-मैदानी प्रदेश	दक्षिणी-पूर्वी पठारी प्रदेश
क्षेत्रफल	61.11%	9%	23%	6.89%
जनसंख्या	40%	10%	39%	11%
जिले	16	23	17	7 (लगभग)
मिट्टी	बलुई/रेतीली	पर्वतीय/वनीय	जलोढ़/कछारी/दोमट	काली/रेगुर
जलवायु	शुष्क और अर्द्धशुष्क	उपआर्द्र	आर्द्र	अतिआर्द्र

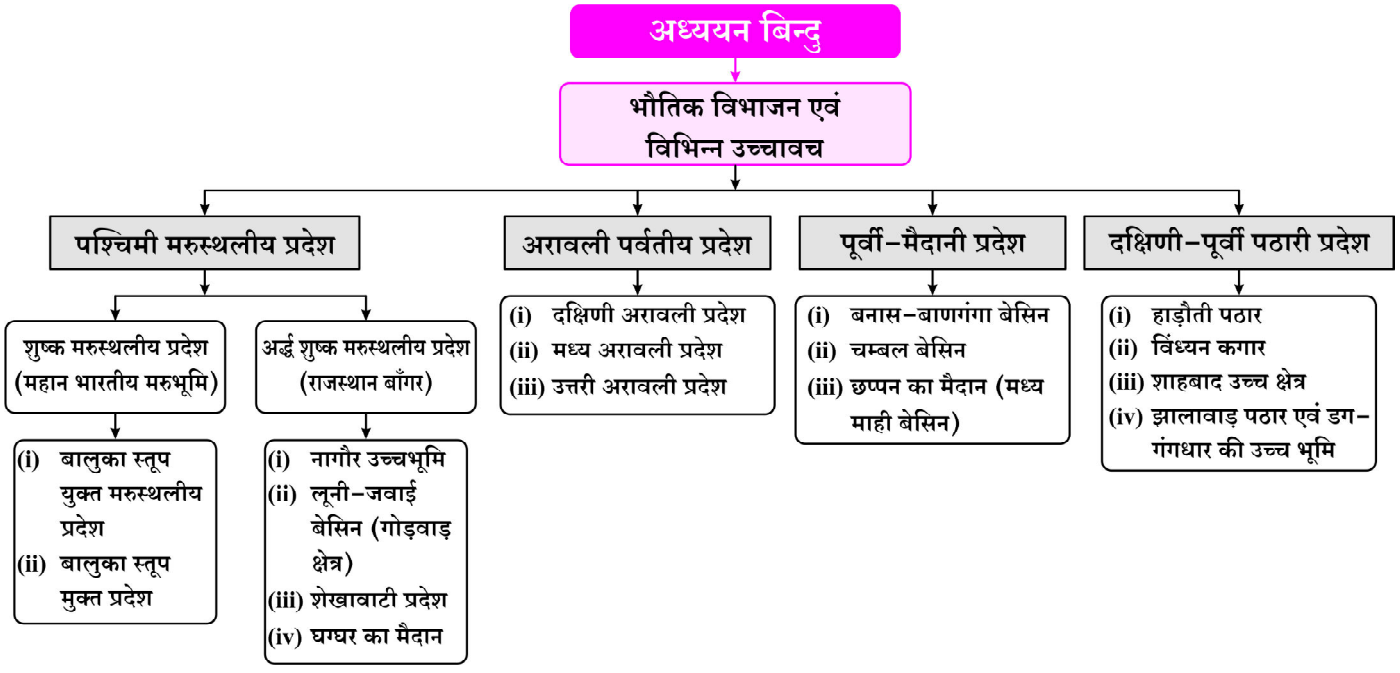

5 राजस्थान की जलवायु एवं मानसून तंत्र [Rajasthan's Climate and Monsoon System]

राजस्थान की जलवायु

❖ **महत्त्वपूर्ण कारक:**
- ✧ जलवायु एक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक तत्व है जो न केवल प्राकृतिक संसाधनों बल्कि आर्थिक और जनसंख्या संरचना को भी प्रभावित करता है।
- ✧ राजस्थान की जलवायु मुख्य रूप से शुष्क से उप-आर्द्र मानसूनी प्रकार की है।

जलवायु का स्वरूप

❖ **अरावली के पश्चिम:**
- ✧ उच्च दैनिक और वार्षिक तापमान अंतर।
- ✧ कम आर्द्रता और तेज़ हवाओं के साथ **शुष्क** जलवायु।

अरावली के पूर्व:

❖
- ✧ **अर्द्धशुष्क** (Semi-Arid) और **उप-आर्द्र** (Sub-Humid) जलवायु।
- ✧ अधिक वर्षा और धीमी वायु गति।

❖ **समग्र रूप:**
- ✧ राजस्थान की जलवायु भारत की 'मानसूनी जलवायु' का हिस्सा है।
- ✧ लेकिन, प्राकृतिक कारकों के प्रभाव के कारण राज्य का अधिकांश क्षेत्र शुष्क जलवायु वाला है।

अध्ययन बिन्दु

- जलवायु का अर्थ एवं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व
- राजस्थान की जलवायु की विशेषताएँ
- राजस्थान में जलवायु का ऋतु प्रारूप
- राजस्थान में वर्षा का वितरण
- राजस्थान के जलवायु प्रदेश
  - सामान्य वर्गीकरण
  - कोपेन का वर्गीकरण
  - ट्रिवार्था का वर्गीकरण
  - थार्नवेट का वर्गीकरण

जलवायु और मौसम का अंतर

❖ **जलवायु का अर्थ:** किसी क्षेत्र की लंबी अवधि (आमतौर पर 30 वर्ष से अधिक) की औसत मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं।

❖ **मौसम का अर्थ:** किसी स्थान पर विशेष समय में वायुमंडलीय दशाओं (तापमान, आर्द्रता, वायु, वर्षा आदि) का योग मौसम कहलाता है।

राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व

1. स्थिति (Location)

❖ **अक्षांशीय स्थिति:** [चतुर्थ श्रेणी 2025]
- ✧ राजस्थान 23°3' से 30°12' उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है।
- ✧ कर्क रेखा (23½ उत्तरी अक्षांश) राज्य के दक्षिणी हिस्से (डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों) से गुजरती है।
- ✧ राज्य का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में शामिल है, लेकिन हिमालय की स्थिति के कारण ठंडी हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता।

❖ **जलवायु का प्रकार:**
- ✧ उष्ण कटिबंधीय जलवायु और कम वर्षा के कारण अधिकांश भाग शुष्क और अर्द्धशुष्क जलवायु में आता है।

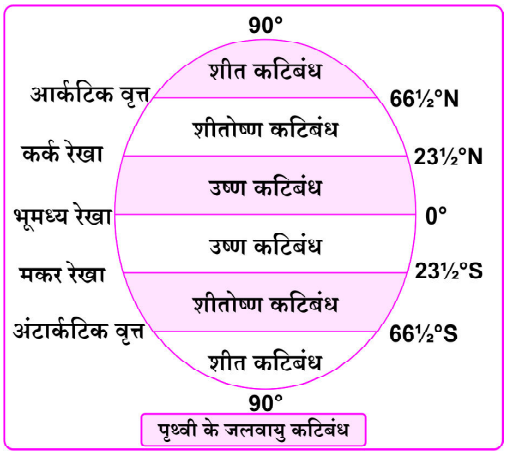

2. समुद्र से दूरी (Distance from the Sea)

❖ **महाद्वीपीय जलवायु:**
- ✧ राजस्थान अरब सागर से लगभग 350 कि.मी. दूर है, जिससे सामुद्रिक प्रभाव नगण्य है।

6 राजस्थान में जल संसाधन : नदियाँ, झीलें, बाँध एवं सरोवर [Water Resources in Rajasthan : Rivers, Lakes, Dams & Ponds]

राजस्थान का अपवाह तंत्र

❖ **अपवाह तंत्र**
- ✧ जब कोई मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर प्रवाह का एक पैटर्न बनाती है, तो उसे उस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है।

❖ **शुष्क प्रदेश और जल का महत्त्व:**
- ✧ राजस्थान भारत का एक शुष्क प्रदेश है, इसलिए यहाँ नदियों, झीलों और बाँधों का बहुत अधिक महत्त्व है।
- ✧ यहाँ की अधिकांश नदियाँ केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती हैं।
- ✧ शुष्कता के कारण परम्परागत जल संरक्षण की कई विधियाँ विकसित हुई हैं।

❖ **अरावली पर्वत का जलविभाजक का काम:** अरावली पर्वत राजस्थान में मुख्य जलविभाजक के रूप में काम करता है।

❖ **यह राज्य की नदियों को दो भागों में विभाजित करता है:**
1. पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ।
2. पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ।

❖ **अन्त:प्रवाही नदियाँ:**
- ✧ राज्य में कई नदियाँ अन्त:प्रवाही हैं, यानी वे किसी सागर या महासागर में नहीं मिलतीं।

❖ **राजस्थान के अपवाह तंत्र के भाग:**
- ✧ प्रवाह के आधार पर राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बाँटा गया है–

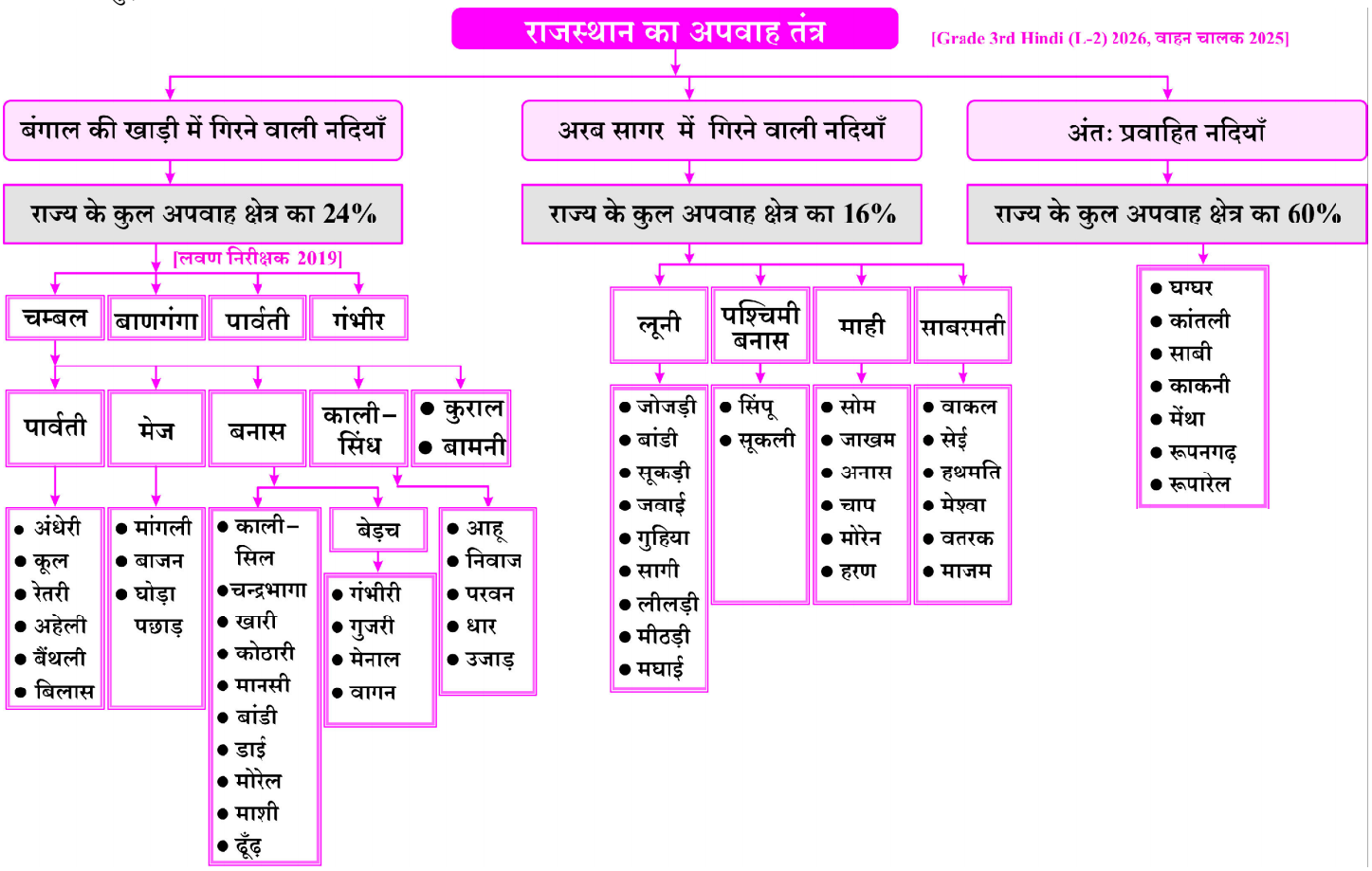

बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ

❖ ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा बनती हैं।

पूर्वी राजस्थान की नदियाँ:

❖ अरावली पर्वत के पूर्व में बहने वाली नदियाँ जैसे चम्बल, बाणगंगा, गंभीरी और पार्वती यमुना नदी में मिलती हैं।

चम्बल नदी का अपवाह तंत्र

❖ **उद्गम स्थल:**
- ✧ चम्बल नदी का उद्गम मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में महू के पास जानापाव पहाड़ी से होता है।

7 राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएँ एवं जल संरक्षण की तकनीकें
[Irrigation Projects and Water Conservation Techniques in Rajasthan]

राजस्थान के जल संसाधन और सिंचाई सुविधाएँ

राज्य में जल संसाधनों की कमी और प्रबंधन:

- राजस्थान में जल संसाधनों की कमी के कारण सूखा और अकाल बार-बार आते हैं।
- **1949** में सिंचाई विभाग की स्थापना हुई, जिसे अब **''जल संसाधन विभाग''** कहा जाता है।
- राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोटा की स्थापना अमेरिका की राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से वर्ष 1984 में की गई। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य सिंचाई प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
- **सतही जल की क्षमता:** राज्य की सतही जल क्षमता केवल 15.86 M.A.F. है, जो भारत की राष्ट्रीय क्षमता का 1.16% है।

[JEN Civil Degree 2022]

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार:

- **सिंचित क्षेत्र:** वृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं से 40.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।
- वर्ष 2025-26 में दिसम्बर 2025 तक 23320 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ (2025-26):

- **6 वृहद् परियोजनाएँ:**
  1. नर्मदा नहर परियोजना।
  2. परवन परियोजना।
  3. धौलपुर लिफ्ट परियोजना।
  4. उच्च स्तरीय नहर - माही।
  5. पीपलखूंट - उच्च स्तरीय नहर।
  6. कालातीर लिफ्ट परियोजना।
- **5 मध्यम परियोजनाएँ:**
  1. गरदड़ा 2. तकली 3. गागरिन 4. हथियादेह 5. अंधेरी
- **34 लघु सिंचाई परियोजनाएँ।**
- **राज्य जल नीति:** जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने 17 फरवरी 2010 को ''राज्य जल नीति'' को मंजूरी दी।
- **बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ:** पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को **''आधुनिक भारत के मंदिर''** कहा।

सिंचाई के प्रमुख साधन:

- नहरें, तालाब, कुएँ और नलकूप सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। [वनपाल 2022]

राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएँ

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएँ	वृहत् सिंचाई परियोजना	मध्यम सिंचाई परियोजना	लघु सिंचाई परियोजनाएँ
वे परियोजनाएँ, जिनके अनेक उद्देश्य होते हैं, जैसे- सिंचाई, पेयजल, मत्स्यपालन, पर्यटन, पनबिजली, बाढ़ नियंत्रण	10000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने वाली परियोजना वृहत सिंचाई परियोजना कहलाती है।	2000 से 10000 हेक्टेयर तक सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने वाली परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहा जाता है।	0-2000 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने वाली परियोजना लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है।

राजस्थान में सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाएँ

सिंचाई के प्रमुख आंकड़े:

सिंचाई के स्रोत	कृषि सांख्यिकी 2022-23		कृषि सांख्यिकी 2023-24	
	सकल सिंचित क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्र [Platoon Commander-II 2025]	सकल सिंचित क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्र
कुओं से (Open Wells)	20.10%	24.17%	18.83%	22.67%
नलकूपों से (Tube Wells)	49.29%	49.94%	50.34%	50.78%
नहरों से (Canals)	28.39%	23.05%	28.60%	23.67%
तालाबों से (Tanks)	0.33%	0.43%	0.31%	0.41%
अन्य साधनों से (Other Sources)	1.89%	2.41%	1.91%	2.47%
कुओं एवं नलकूपों से (Open Wells & Tube Wells)	69.39%	74.11%	69.17%	73.45%

8 राजस्थान में मृदा संसाधन [Soil Resources in Rajasthan]

मृदा का परिचय

- मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत है, जो मूल चट्टानों के अपक्षय, जैव पदार्थ (ह्यूमस), और जलवायवीय प्रभावों से बनती है।
- यह पौधों की वृद्धि और विकास के लिए सहायक है।
- राजस्थान की अधिकांश मृदाएँ जलोढ़ (जल द्वारा बहाकर लायी गई) और वातोढ़ (वायु द्वारा जमा मिट्टी) हैं।
- टर्शियरी युग के प्रारंभ में यहाँ जलोढ़ मैदान बने, लेकिन शुष्क जलवायु के कारण ये रेतीले मरुस्थल में बदल गए।
- दक्षिण-पूर्वी राजस्थान का पठारी भाग मालवा के पठार का हिस्सा है, जहाँ काली और लाल मृदाएँ पाई जाती हैं।

राजस्थान की मृदाओं का सामान्य वर्गीकरण

[Grade 3rd (L-1) 2026]

1. जलोढ़/कच्छारी/दोमट मृदा

- **स्थान:** पूर्वी राजस्थान की नदियों के मैदान और घाटियाँ (भरतपुर, डीग, धौलपुर, दौसा, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, खैरथल-तिजारा, टोंक, सवाई माधोपुर)। [स्टेनोग्राफर 2024, CET (10+2) 2024]
- **विशेषताएँ:**
  - नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरिक अम्ल और ह्यूमस की कमी। [जेल वार्डन 2018]
  - फास्फोरस, पोटाश एवं लौह अंश पर्याप्त मात्रा में।
  - रंग कहीं लाल और कहीं भूरा। भूरी कच्छारी मृदा अलवर, भरतपुर और गंगानगर के घग्घर क्षेत्र में मिलती है।
- **मुख्य फसलें:** गेहूँ, जौ, ज्वार, सरसों, कपास।

2. लाल और पीली मृदा

- **स्थान:** सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा (पश्चिमी भाग), अजमेर, सिरोही, उदयपुर एवं राजसमंद।[Jamadar 2025E CET (Grad.) 2024, Grade III 2023]
- **विशेषताएँ:**
  - कार्बोनेट की कमी, लेकिन नमी धारण करने की उच्च क्षमता।
  - नाइट्रोजन और जैविक यौगिकों की कमी। [जेल वार्डन 2018]
  - लाल और पीला रंग लौह अंश की अधिकता को दर्शाता है।
- **मुख्य फसलें:** ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मूँगफली।

3. लाल-लोमी/ लेटेराइट मृदा

- **निर्माण:** क्रिस्टलीय एवं रूपांतरित चट्टानों से। [Jail Prahari 12-04-2025 (Shift-II)]
- **स्थान:** डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर और दक्षिणी राजसमंद।
- **विशेषताएँ:** चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस, फॉस्फोरस, लौह ऑक्साइड, पोटाश की कमी। लौह तत्व की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है।
- **मुख्य फसलें:** मक्का, चावल, गन्ना।

4. मिश्रित लाल और काली मृदा

- **स्थान:** भीलवाड़ा, सलूम्बर, पूर्वी उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा। [SI 2026, Deputy Commandant 2025]
- **विशेषताएँ:**
  - मालवा की काली मिट्टी का विस्तार।
  - फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी।
  - उत्पादकता में विविधता।
- **मुख्य फसलें:** मक्का, कपास।

5. काली/मध्यम काली/रेगुर मृदा [REET (L-1) 2023]

- **स्थान:** दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान विशेषकर हाड़ौती पठार (कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़)। [चतुर्थ श्रेणी 2025, CET (10+2) 2024, वनरक्षक 2022]
- **विशेषताएँ:**
  - स्वतः जुताई (स्वजोत) का गुण। [Grade 3rd Eng. 2023]
  - नदियों की घाटियों में कच्छारी मृदा के साथ मिश्रण।
  - फॉस्फेट, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों की कमी; चूना, पोटाश और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में।
- **मुख्य फसलें:** कपास, मूँगफली, दालें।

6. भूरी रेतीली मृदा

- **स्थान:** बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, पाली, जोधपुर, डीडवाना-कुचामन, नागौर, सिरोही, सीकर, झुंझुनू ।
- **विशेषताएँ:**
  - रेत की प्रधानता। ✧ फॉस्फेट पर्याप्त मात्रा में।
  - नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण मृदा उर्वरक होती है। [Grade 3rd Sci/Math 2023]
- **मुख्य फसलें:** ज्वार, बाजरा, मूँग, मोठ।

7. रेतीली मृदा/बलुई दोमट

- **स्थान:** मरुस्थलीय जिले (राज्य का लगभग दो-तिहाई भाग)। [Grade 3rd Social Sci. (L-2) 2026]
- **विशेषताएँ:** वायु द्वारा जमा, स्थानांतरित तथा संगठित व बारीक छिद्रों वाली होती है। [वनरक्षक 2022, CET (10+2) 2024]
- इसमें जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। इसमें उच्च मात्रा में कैल्सियम कार्बोनेट पाया जाता है। [चतुर्थ श्रेणी 2025]
- **उपवर्ग:**
  - **रेतीली बालू मृदा:** गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, झुंझुनूं।
  - **लाल रेतीली मृदा:** नागौर, डीडवाना-कुचामन, पाली, जालौर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनूं।
  - लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।

9 राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति [Natural Vegetation in Rajasthan]

वनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका

- **स्थानीय जलवायु संतुलन:** वन क्षेत्र स्थानीय जलवायु को सौम्य और संतुलित बनाते हैं। वनों की जड़ें मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होती हैं।
- **जल प्रवाह प्रबंधन:** नदियों के प्रवाह को नियमित रखने में वनों का योगदान।
- **औद्योगिक उपयोग:** वनों से विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है।
- **आजीविका का साधन:** वनों से मिलने वाले संसाधन बड़ी जनसंख्या को आजीविका प्रदान करते हैं।
- **वन्यजीव संरक्षण:** वनों में वन्यजीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है।

राजस्थान में वनों का महत्त्व

- राजस्थान में वन क्षेत्र सीमित है और तेजी से घट रहा है।
- वनों की मौजूदगी राजस्थान जैसे शुष्क राज्य में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- वनों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन प्रबंधन के लिए महत्त्वपूर्ण।

वनों के विनाश का प्रभाव

- वनों के कम होने से मिट्टी का कटाव, जल संकट और जैव विविधता में कमी का खतरा बढ़ता है।
- पर्यावरणीय असंतुलन से राजस्थान के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में समस्याएं और जटिल हो जाती हैं।

अध्ययन बिन्दु

- राज्य में वनों का वितरण एवं 18वीं राजस्थान वन रिपोर्ट-2023
- राज्य में वनों के प्रकार- प्रशासनिक एवं भौगोलिक विभाजन
- राज्य में मुख्य वृक्ष, औषधीय पौधे एवं घासें
- सरकार द्वारा वन संरक्षण हेतु किए गए प्रयास

राजस्थान में वनों का वितरण

राज्य में वन क्षेत्र की स्थिति

- राजस्थान में वनों का विस्तार कम है, जो यहाँ की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण है।
- **राष्ट्रीय वन नीति (1988):** भू-भाग के एक तिहाई हिस्से पर वन होना आवश्यक।

आर्थिक समीक्षा (2025-26) :

- राज्य में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 33020.32 वर्ग कि.मी. है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.65 प्रतिशत है।
- राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुसार उक्त वन क्षेत्र को वैद्यानिक दृष्टि से आरक्षित वन, रक्षित वन एवं अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कुल वन क्षेत्र का क्रमशः 36.94, 56.54 एवं 6.51 प्रतिशत है। [Grade 2nd 2025]
- **इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट (ISFR) 2023** के अनुसार राज्य का वनावरण 16,548.21 वर्ग कि.मी. (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.84 प्रतिशत) है, वृक्षावरण 10,841.12 वर्ग कि.मी. है, अतः राज्य का कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण 27, 389.33 वर्ग किमी है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8 प्रतिशत है।

प्रमुख वन क्षेत्र

- **सघन वन:**
  - प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली, बारां, सिरोही, बूँदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, बाँसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, अलवर और झालावाड़। इन जिलों में 20% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं।
- **शुष्क क्षेत्र:**
  - चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर।
  - यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2% से भी कम भाग वन क्षेत्र में है।
- **भौगोलिक वितरण:**
  - दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में वनों का विस्तार अधिक है।
  - पश्चिमी राजस्थान में वन क्षेत्र अत्यंत सीमित है।

वनों के कम विस्तार के कारण

- कम वर्षा और उच्च तापमान।
- मरुस्थलीय क्षेत्र का अधिक विस्तार।
- अनियंत्रित पशुचारण और वनोन्मूलन।

प्रशासनिक दृष्टिकोण

- राजस्थान में 38 वन मंडल/प्रादेशिक मंडल एवं 16 वन्यजीव मंडल है।
- **प्रत्येक वन मंडल के अधीन वन रेंज:** सामान्यतः 5 से 7
- **वन रेंज का प्रभारी अधिकारी:** क्षेत्रीय वन अधिकारी

10 राजस्थान में जैव विविधता, वन्य जीव जन्तु एवं वन्य जीव संरक्षण [Biodiversity, Wildlife Animal and Wildlife Conservation in Rajasthan]

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान
- राजस्थान में वन्यजीव अभयारण्य
- राज्य के कन्जर्वेशन रिजर्व
- राज्य के मृग वन
- अन्य प्रयास
  - नम भूमियाँ
  - जन्तुआलय
  - जैविक उद्यान
  - राज्य के जिला शुभंकर
  - आखेट निषेध क्षेत्र

वन्यजीव संरक्षण और राजस्थान में प्रयास

वन्य जीवों का महत्त्व

- वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित कर संतुलन बनाए रखते हैं।
- बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण, जनसंख्या वृद्धि और मानव के स्वार्थी रवैये के कारण इनका अस्तित्व खतरे में है।
- सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैविक उद्यान स्थापित कर वन्यजीव संरक्षण की दिशा में कदम उठाए हैं।

राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण के प्रयास

- राजस्थान की भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं।
- **1951:** राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया।
- **1955:** शिकारगाहों को संरक्षित कर उन्हें वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया।
- **1972:** भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। **[REET (L-1) 2023]**
- **1986:** पर्यावरण संरक्षण कानून बनाए गए।
- **2002:** जैव-विविधता अधिनियम के तहत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन।
- **2010:** राजस्थान जैविक विविधता नियम अधिसूचित किए गए।

राजस्थान में टाइगर रिजर्व

- भारत सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया।
- राजस्थान के जोधपुर के कैलाश सांखला (प्रथम निदेशक, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) को **'टाइगर मैन ऑफ इंडिया'** कहा जाता है।
- **इनकी प्रमुख पुस्तकें:**
  - द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर
  - टाइगरलैंड
  - रिटर्न ऑफ द टाइगर
  - गार्डन ऑफ गॉड द वॉटरबर्ड सेंचुरी एट भरतपुर

राज्य के 5 टाइगर रिजर्व

क्र.	टाइगर रिजर्व	जिले	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	विशेष विवरण
1.	रणथंभौर टाइगर रिजर्व	सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक	1530.23	1973-74 में अधिसूचित
2.	सरिस्का टाइगर रिजर्व	अलवर, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़	1213.34	1978-79 में अधिसूचित
3.	मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व	कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़	1135.79	2013 में अधिसूचित
4.	रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व	बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा	1496.49	2022 (देश का 52वां टाइगर रिजर्व) **[JEN Civil Degree 2022, संगणक 2024]**
5.	धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व	धौलपुर, करौली	1057.88	2023 में (देश का 55वां टाइगर रिजर्व)।

11 राजस्थान की जनसंख्या : वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात [Population of Rajasthan: Growth, Density, Literacy, Sex Ratio]

अध्ययन बिन्दु

जनसंख्या का आकार वितरण एवं घनत्व	जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन	जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएँ
इसके अन्तर्गत व्यक्तियों की कुल संख्या (पुरुष, महिला व बच्चे) तथा किसी स्थान पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं आदि का अध्ययन किया जाता है।	किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समयावधि में होने वाली जनसंख्या वृद्धि तथा उसमें परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है।	व्यक्तियों की उम्र, लिंगानुपात, उनकी साक्षरता, ST/SC की संख्या, धार्मिक संरचना, आदि का अध्ययन किया जाता है।

जनसंख्या: परिभाषा और महत्त्व

❖ **जनसंख्या का अभिप्राय:** किसी निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या।

❖ **महत्त्व:**
- ✧ यह किसी देश या राज्य का महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन है।
- ✧ यह सामाजिक अध्ययन का आधारभूत तत्व है।

राजस्थान की जनसंख्या का आकार और वितरण

1. **2011 की जनगणना के अनुसार:**
   - ✧ **कुल जनसंख्या:** 6,85,48,437
   - ✧ **भारत की जनसंख्या में योगदान:** 5.67%

[Jamadar 2025, चतुर्थ श्रेणी 2025]

2. **जनसंख्या की दृष्टि से स्थान:**
   - ✧ राजस्थान भारत का सातवाँ सबसे बड़ा राज्य है।
   - ✧ राजस्थान से बड़े राज्यों की सूची निम्नलिखित है–

क्र. सं.	सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य	देश की कुल जनसंख्या में योगदान
1.	उत्तर प्रदेश	16.50%
2.	महाराष्ट्र	9.28%
3.	बिहार	8.58%
4.	पश्चिम बंगाल	7.55%
5.	मध्य प्रदेश	6.00%
6.	तमिलनाडु	5.96%
7.	राजस्थान	5.67%

राजस्थान में जनसंख्या का वितरण

1. **असमान जनसंख्या वितरण :** राजस्थान में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है।

❖ **मुख्य कारण:**
- ✧ विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ।
- ✧ आर्थिक विकास में भिन्नता।

2. **राज्य के भौतिक प्रदेशों में जनसंख्या वितरण**
   - ✧ राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है।
   - ✧ प्रत्येक प्रदेश में जनसंख्या का वितरण भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग है।

क्र. सं.	भौतिक प्रदेश का नाम	जनसंख्या का प्रतिशत वितरण	भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल
1.	पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश	40%	61.11%
2.	अरावली प्रदेश	10%	9%
3.	पूर्वी मैदानी प्रदेश	39%	23%
4.	दक्षिण-पूर्वी पठारी प्रदेश	11%	6.89%

क्र.सं.	राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले		
1.	जयपुर	–	66,26,178 [Jail Prahari 2025] REET (L-2) 2023]
2.	जोधपुर	–	36,87,165
3.	अलवर	–	36,74,179
4.	नागौर	–	33,07,743
5.	उदयपुर	–	30,68,420

क्र.सं.	राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले [VDO 2021]		
1.	जैसलमेर	–	6,69,919 [परिचालक 2025]
2.	प्रतापगढ़	–	8,67,848 [चतुर्थ श्रेणी 2025]
3.	सिरोही	–	10,36,346
4.	बूँदी	–	11,10,906
5.	राजसमंद	–	11,56,597

12 राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ; भौगोलिक वितरण एवं विशेषताएँ
[Major T ribes of Rajasthan; Geographical Distribution & Characteristics]

जनजाति और राजस्थान का परिचय

- **जनजाति की परिभाषा:** ऐसे समुदाय जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, दुर्गम इलाकों में निवास करते हों, स्वच्छंद वातावरण में रहते हुए अपनी विशिष्ट संस्कृति और मूल पहचान को बनाए रखते हैं, उन्हें जनजाति या आदिवासी कहा जाता है।
- **राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ हैं:** भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, साँसी, डामोर, कंजर।
  इनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परंपराएँ राजस्थान की समृद्ध संस्कृति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।

राजस्थान में जनजातियों की स्थिति

- **भारत में राजस्थान का स्थान:** राजस्थान, जनजातीय आबादी के मामले में भारत में **चौथे स्थान** पर है तथा राज्य की कुल जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से राज्य का देश में 13वाँ स्थान है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 92,38,534 अनुसूचित जनजाति की आबादी है।
- **राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या:** राज्य की कुल जनसंख्या का 13.48% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का है। इनमें से 94.6% जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

अनुसूचित जनजातियाँ और संविधान

- **संविधान का प्रावधान:** संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत, जनजातियों को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।
- **राजस्थान में वर्तमान में 12 अनुसूचित जनजातियाँ अधिसूचित हैं:**
  1. मीणा 2. भील 3. गरासिया 4. सहरिया
  5. डामोर 6. भीलमीणा 7. कोलीढोर 8. पटेलिया
  9. नायकड़ा 10. कथौड़ी 11. कोकना 12. धानका

नोटः-
- ✧ राजस्थान में मीणा जनजाति सबसे अधिक संख्या में, जबकि कोलीढोर सबसे कम संख्या में निवास करती है।
- ✧ सांसी और कंजर जनजातियाँ अधिसूचित नहीं हैं, लेकिन अपनी विशिष्ट संस्कृति के कारण इन्हें जनजातीय श्रेणी में माना जाता है।

जनजातीय जनसंख्या का वितरण

- **उच्चतम जनजातीय आबादी वाले जिले:**
  1. बांसवाड़ा: 76.38% **2. डूंगरपुर:** 70.82%
  3. प्रतापगढ़: 63.42% **4. उदयपुर:** 49.71%
- कुल जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या : उदयपुर (15.25 लाख), बाँसवाड़ा (13.73 लाख)। [Agriculture Supervisor 2026]
- न्यूनतम जनजातीय आबादी वाला जिला: **बीकानेर:** केवल 0.33% जनजातीय जनसंख्या तथा नागौर।

अनुसूचित क्षेत्र का विवरण

- **पूर्णतः अनुसूचित जिले:** बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़।
- **आंशिक अनुसूचित क्षेत्र वाले जिले:** उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही।

राजस्थान में जनजातियों का भौगोलिक वितरण

[Grade 3rd Hindi (L-2) 2026]

जनजाति	सर्वाधिक केन्द्रीकरण वाले क्षेत्र
मीणा	**जयपुर**, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, सलूम्बर, अलवर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में।
भील	**बाँसवाड़ा**, डूँगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर एवं सलूम्बर जिलों में।
गरासिया	**सिरोही**, उदयपुर और पाली में ही निवास करते हैं।
सहरिया	सर्वाधिक केन्द्रीकरण बारां जिले की **शाहबाद** एवं **किशनगंज** तहसीलों में। राज्य में कोटा जिला द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। [Grade 3rd Sanskrit 2023] आंशिक संख्या में झालावाड़ में भी पाई जाती है।
डामोर	सर्वाधिक डूँगरपुर जिले की **सिमलवाड़ा पंचायत समिति** में केन्द्रीकरण है तथा बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर में भी निवास करते हैं।
कथौड़ी	मुख्यतः **उदयपुर एवं सलूम्बर जिले** में इनका केन्द्रीकरण है। आंशिक रूप से डूंगरपुर, बारां, झालावाड़ में भी पाई जाती है।
कंजर जाति	राज्य के **हाड़ौती क्षेत्र** में सर्वाधिक केन्द्रीकरण है यह अजमेर ब्यावर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर, खैरथल-तिजारा व बूंदी जिलों में पाई जाती है।
सांसी जाति	मुख्यतः **भरतपुर**, [वनरक्षक 2022] डीग, धौलपुर एवं करौली जिलों में निवास करती है।

भील जनजाति

- **पौराणिक महत्त्व:** भील जनजाति, जिन्हें **किरात** भी कहा जाता है, का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे वाल्मीकि, कालिदास, भारवि और भवभूति में मिलता है। यह एक पौराणिक जाति मानी जाती है।
- **राजस्थान में जनसंख्या:**
  - ✧ राज्य की कुल जनसंख्या का 5.98% भील जनजाति से है।
  - ✧ राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या का 44.3% हिस्सा भील समुदाय का है। [Grade 3rd Sanskrit (L-2) 2026]

13 राजस्थान में पारिस्थितिकी संकट के मुद्दे एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास
[Issues of Ecological Crisis in Rajasthan and Efforts for Environmental Protection]

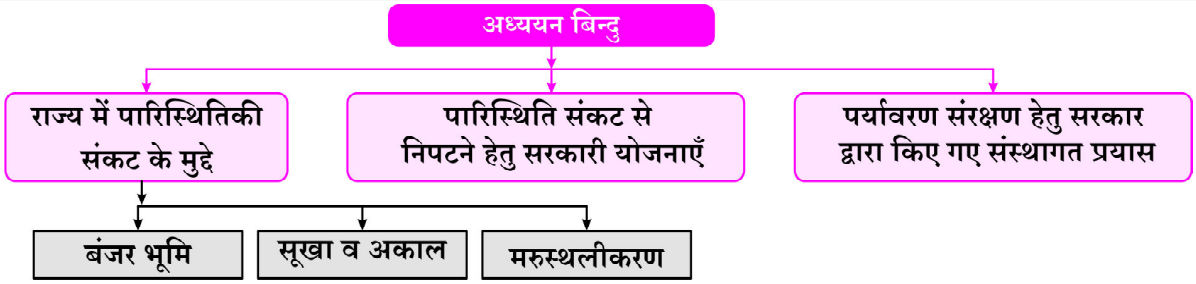

राज्य में पारिस्थितिकी संकट के मुख्य मुद्दे

बंजर भूमि

- **राजस्थान की विशेषता:** राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सूखा, अकाल, कम वर्षा और रेगिस्तानी शुष्क परिस्थितियों के कारण राज्य का बड़ा हिस्सा बंजर भूमि में आता है।
- **बंजर भूमि का क्षेत्रफल:**
  - राजस्थान भूमि उपयोग सांख्यिकी 2024-25 के अनुसार, राज्य में 34.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बंजर भूमि है।
  - **यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.11% है।**

  (स्रोत: आर्थिक समीक्षा 2025-26)
- **बंजर भूमि:**
  - **सबसे अधिक बंजर भूमि:** जैसलमेर (क्षेत्रफल के आधार पर)।
  - **न्यूनतम बंजर भूमि वाला जिला:** भरतपुर
  - **सबसे अधिक प्रतिशत बंजर भूमि:** जैसलमेर जिला।
  - **प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम बंजर भूमि वाला जिला:** हनुमानगढ़
- **संस्थागत प्रयास:**
  - 1982 में **'बंजर भूमि विकास विभाग'** की स्थापना की गई।
  - 1985 में केंद्र सरकार ने बंजर भूमि की समस्या के समाधान के लिए **'बंजर भूमि विकास निगम'** की स्थापना की।
- **राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड:** वर्ष 2016 में राज्य की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के उद्देश्यों के साथ राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का नाम परिवर्तन कर **''बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड''** किया गया। इस बोर्ड का पुनर्गठन 11 फरवरी 2022 को किया गया।

सूखा और अकाल

- **सूखा की परिभाषा:** जब किसी क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण जल की भारी कमी हो जाती है, तो इसे सूखा कहते हैं।
- सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो।
- **अकाल का कारण:** सूखा लंबे समय तक जारी रहने पर अकाल का रूप ले लेता है।

राजस्थान में अकाल की स्थिति (दिसम्बर 2025 तक)

कृषि वर्ष	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या (लाखों में)	भू-राजस्व निलंबित* (₹लाख)
2004-05	31	19814	227.65	167.77
2005-06	22	15778	198.44	123.21
2006-07	22	10529	136.73	36.49
2007-08	12	4309	56.12	39.86
2008-09	12	7402	100.12	47.69
2009-10	27	33464	429.13	459.04
2010-11	2	1249	13.67	9.53
2011-12	11	3739	49.95	30.77
2012-13	12	8030	120.90	65.44
2013-14	17	10225	159.38	101.44
2014-15	13	5841	74.30	15.35
2015-16	19	14487	194.87	171.55
2016-17	13	5656	90.38	62.00
2017-18	16	6838	106.50	89.38
2018-19	9	5555	72.50	14.85
2019-20	21	14331	150.72	—
2020-21	6	2062	21.62	—
2021-22	10	6122	74.28	—
2022-23	1#	92	2.36	—
2023-24	13	5110	58.69	—
2024-25	0	0	0	—
2025-26	0	0	0	—

तहसीलों की संख्या (तहसील पाली)

14 राजस्थान में खनिज संसाधन [Mineral Resources in Rajasthan]

राजस्थान की भूगर्भीय संरचना और खनिज भंडार

❖ **विविधता:** राजस्थान की भूगर्भीय संरचना खनिजों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिससे इसे **'खनिजों का अजायबघर'** कहा जाता है। [Grade 3rd (L-1) 2026]

❖ **खनिज भंडार:** राज्य में 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं:
  ✧ इनमें से 57 खनिजों का वर्तमान में खनन किया जा रहा है।

❖ **महत्त्वपूर्ण क्षेत्र:** अरावली क्षेत्र खनिजों की उपलब्धता और उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की स्थिति

❖ **खनिज भंडार के दृष्टिकोण से:** राजस्थान देश में झारखंड के बाद दूसरा स्थान रखता है। [Jamadar 2025, Grade 3rd Hindi (L-2) 2026]

❖ **खनिजों की उपलब्धता के अनुसार:** ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य।

❖ **अप्रधान खनिज उत्पादन में:** राजस्थान देश में पहले स्थान पर है।

खनन पट्टे और ई-नीलामी प्रक्रिया

❖ **प्रधान खनिज:** प्रधान खनिजों के लिए 3395 खनन पट्टे जारी।

❖ **अप्रधान खनिज:** 13428 खनन पट्टे और 16058 क्वेरी लाइसेंस जारी।

❖ **आवंटन प्रक्रिया:** खनन पट्टों का आवंटन अब ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

रॉयल्टी और नियम

❖ **प्रधान खनिज:** रॉयल्टी और नियम केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित।

❖ **अप्रधान खनिज:** आवंटन और रॉयल्टी के नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं।

खनन क्षेत्र का आर्थिक योगदान

❖ **आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार:** औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्रों में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर जी.वी.ए. में योगदान 12.42% रहा।

राजस्थान: खनिज उत्पादन में देश का प्रमुख राज्य

राजस्थान के विशिष्ट खनिज

❖ **एकमात्र उत्पादक:** राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क [परिचालक 2025], सलेनाईट और वॉलेस्टोनाइट एवं तामड़ा/गारनेट का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है। [Grade 3rd Sanskrit (L-2) 2026]

❖ **अन्य प्रमुख खनिज:**
  ✧ देश में चाँदी, **केल्साइट** [Agriculture Supervisor 2026] और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है।
  ✧ बॉल क्ले, फॉयर क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर (गेरु), स्टेटाइट और **फेल्सपार** का भी प्रमुख उत्पादक। [जेल वार्डन 2018]

आयामी और सजावटी पत्थर

❖ **विशेष पत्थर:** संगमरमर, सेण्डस्टोन, ग्रेनाइट जैसे पत्थरों के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है।

सीमेंट और स्टील ग्रेड खनिज

❖ **लाइम स्टोन:** सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइम स्टोन के उत्पादन में राजस्थान देश में अग्रणी है।

प्रमुख संस्थान और राजस्व

❖ **खान एवं भू-विज्ञान विभाग:** 1949 में उदयपुर में स्थापित।
  ✧ **क्षेत्रीय कार्यालय:** जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर।

❖ **राजस्व लक्ष्य:**
  ✧ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभाग को 12980 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया गया।
  ✧ जिसके विरुद्ध दिसम्बर 2025 तक कुल ₹6857.97 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया।

राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज

❖ **मुख्य खनिज:** वॉलेस्टोनाइट, सीसा-जस्ता, पन्ना, गार्नेट, जास्पर, चाँदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, केल्साइट, संगमरमर, सेलेनाइट, टंगस्टन, तामड़ा, और एस्बेस्टॉस। [Grade 3rd Sanskrit (L-2) 2026]

राजस्थान में खनिजों के प्रकार

प्रकार	विविध खनिज
धात्विक खनिज	लौह अयस्क, मैंगनीज, [BSTC 2025] सीसा और जस्ता, ताँबा, टंगस्टन, बेरिलियम, चाँदी, सोना।
अधात्विक खनिज	• **उर्वरक खनिज** – जिप्सम, रॉक फास्फेट, पाइराइट्स, पोटाश, नाइट्रेट, गंधक [JEN Elect. 2020] • **आणविक खनिज** – अभ्रक, यूरेनियम, लिथियम, थोरियम, बेरिलियम • **रासायनिक खनिज** – नमक, चूना-पत्थर, फ्लोराइट, केल्साइट, बेण्टोनाइट • **बहुमूल्य पत्थर** – पन्ना, तामड़ा, हीरा • **इमारती पत्थर** – संगमरमर, ग्रेनाइट, बालुका पत्थर (सैण्ड स्टोन), स्लेट आदि। • **उष्मारोधी खनिज** – एस्बेस्टास, फेल्सपार, सिलिका सैण्ड, डोलामाइट, चाइनाक्ले, फायर क्ले, मैग्नेसाइट, बोराइट्स आदि। • **अन्य खनिज** – घीया पत्थर, मुल्तानी मिट्टी.... आदि।
ईंधन खनिज	पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस

15 राजस्थान में पर्यटन का विकास; पर्यटन केन्द्र एवं परिपथ [Development of Tourism in Rajasthan; Tourist Centres and Circuits]

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान में पयर्टन का विकास एवं महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ
- राज्य में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित उत्सव/महोत्सव
- वर्ष 2025-26 में पर्यटन में राज्य की प्रमुख उपलब्धियाँ
- राजस्थान के पर्यटन परिपथ
- राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केन्द्र

राजस्थान: भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र

पर्यटन में राजस्थान की विशेषता:

- राजस्थान, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी पहचान रखता है।
- भारत आने वाले हर तीसरे पर्यटक का गंतव्य राजस्थान होता है।
- राज्य में किले, महल, झीलें, रेगिस्तान, मंदिर और अरावली की सुंदरता, एडवेंचर टूरिज्म जैसे आकर्षण उपलब्ध हैं।
- पर्यटन राज्य में रोजगार और राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक है।

पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल:

- **पर्यटन विभाग की स्थापना:** 1956 में।
- **पर्यटन को उद्योग का दर्जा:** 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर, ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना। [Jamadar 2025E BSTC 2025]
- **शाही रेलगाड़ियाँ:** पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण।

पर्यटन विकास और प्रमुख संस्थाएँ

- **पर्यटन निदेशालय (1955):** पर्यटकों के आवास, परिवहन और साहित्य प्रकाशन की व्यवस्था करता है।
- **पर्यटन विभाग:** 1956 में स्थापित, राज्य सरकार की नोड़ल एजेंसी। [VDO 2021]
- **राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC):**
  - **स्थापना:** 1 अप्रैल 1979।
  - **मुख्यालय:** जयपुर।
  - **नया पर्यटन लोगो:** "राजस्थान: भारत का अतुल्य राज्य"।
- **राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट (RITTMAN):**
  - **स्थापना:** 29 अक्टूबर, 1996, **मुख्यालय:** जयपुर।
  - **उद्देश्य:** पर्यटन क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास।
- **राज्य पर्यटन सलाहकार मंडल:** वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्थापित।
- **राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन: स्थापना:** 2001, पर्यटन नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए।
- **पर्यटक पुलिस स्टेशन:** पर्यटकों की सुरक्षा के लिए **जयपुर, उदयपुर** और **जोधपुर** में स्थापित।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- **विदेशी पर्यटक:** सर्वाधिक विदेशी पर्यटक संयुक्त राज्य अमेरिका से आए हैं।
- **लोकप्रिय स्थल:**
  - **जयपुर:** सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का गंतव्य।
- **पर्यटक आँकड़े (2025):**
  - **कुल पर्यटक:** 2544.48 लाख।
  - **स्वदेशी पर्यटक:** 2525.03 लाख।
  - **विदेशी पर्यटक:** 19.45 लाख।
  - **सर्वाधिक घरेलू पर्यटक वाले जिले:** धार्मिक पर्यटन स्थलों पर सर्वाधिक पर्यटक क्रमशः **सीकर, डीग** एवं **अजमेर** जिले में तथा ऐतिहासिक एवं हेरिटेज स्थलों पर सर्वाधिक पर्यटक क्रमशः **जैसलमेर, जयपुर** एवं **उदयपुर** जिलों में आए। **(स्रोत:** आर्थिक समीक्षा 2025-26)

राजस्थान में शाही रेलगाड़ियाँ: पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल

1. पैलेस ऑन व्हील्स

- **शुरुआत:** 26 जनवरी 1982।
- **संयुक्त उपक्रम:** राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) और भारतीय रेलवे। [Librarian Grade 3rd 2025]
- **विशेषता:**
  - लक्जरी ट्रेन, पर्यटकों के लिए विशेष अनुभव।
  - **इंटीरियर डिजाइन:** पायल कपूर।
- **टूर रूट: एक सप्ताह का यात्रा कार्यक्रम:** नई दिल्ली जयपुर सवाई माधोपुर चित्तौड़गढ़ उदयपुर जैसलमेर जोधपुर भरतपुर आगरा नई दिल्ली।

2. रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स

- **शुरुआत:** 11 जनवरी 2009।
- **संयुक्त उपक्रम:** RTDC और भारतीय रेलवे।
- **विशेषता:** लक्जरी ट्रेन, पर्यटकों के लिए शाही अनुभव।

- **किंवदंती और नामकरण**
  - माना जाता है कि झील को देवताओं ने अपने नाखूनों (नख) से खोदा था। इसी वजह से इसे नक्की झील कहा जाता है।
- **ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्व**
  - **1948:** महात्मा गाँधी की अस्थियों का अंश यहाँ प्रवाहित किया गया।
  - इसके उपलक्ष्य में **गाँधी घाट** का निर्माण किया गया।

टोंक

बीसलपुर बांध
- **स्थान:** टोंक जिले के देवली कस्बे के पास।
- **निर्माण वर्ष:** 1999।
- **नदी:** बनास नदी पर स्थित।
- राजस्थान की राजधानी जयपुर और अन्य क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी के रूप में महत्त्वपूर्ण। जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत।

सुनहरी कोठी (गोल्डन मैन्शन)
- **निर्माण:** 1824 में शुरु हुआ तथा चौथे नवाब **इब्राहिम अली खाँ** के समय पूर्ण हुआ।
- **स्थान:** नजर बाग रोड, बड़ा कुआँ के पास।
- **आकर्षण:**
  - बाहरी हिस्सा साधारण, लेकिन आंतरिक सजावट स्वर्ण रंगों और बहुरंगी कारीगरी से सजी।
  - शीश महल में उत्कृष्ट मीनाकारी, अद्भुत ग्लासवर्क और फूलों की सजावट।
- **घोषणा:** 7 मार्च, 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा **ऐतिहासिक स्मारक** घोषित।
- **विशेषता:** शाही झलक और शिल्पकला का बेजोड़ नमूना।

डिग्गी कल्याण जी मंदिर
- **स्थान:** टोंक से लगभग 60 कि.मी. दूर।
- **स्थापना:** 5600 वर्ष पुराना, हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ।
- **देवता:** भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी को समर्पित।
- **विशेषता:**
  - प्राचीन शिल्पकला और भव्य शिखर, जो 16 स्तंभों पर आधारित है।
  - श्रद्धालु यहाँ दुखों से मुक्ति और आशीर्वाद के लिए आते हैं।

श्री गंगानगर (राजस्थान का अन्न भंडार)

बुड्ढ़ा जोहड़ गुरुद्धारा
- **निर्माण:** 1954 ई. में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में।
- **महत्त्व:** हर महीने की अमावस्या पर मेले का आयोजन।
- **कहानी:**
  - जत्थेदार बुड्ढ़ा सिंह ने अधर्मी मस्सारंग का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया था।
  - इसी घटना के कारण इसे बुड्ढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा कहा जाता है।

हिंदुमलकोट सीमा
- **स्थान:** गंगानगर से 25 कि.मी. दूर।
- **महत्त्व:**
  - भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित।
  - बीकानेर के दीवान हिंदुमल के सम्मान में नामित।
- **पर्यटन:** देश की सीमा को नजदीक से देखने का अनूठा अनुभव।

उदयपुर (झीलों की नगरी)

पिछोला झील
- **निर्माण:** राणा लाखा के शासन काल में छीतर/पीच्छु नामक एक बंजारे ने।
- **विशेषता:**
  - सूर्यास्त के समय झील का पानी सोने की तरह दमकता है।
  - झील में **जगनिवास** और **जगमंदिर द्वीप** स्थित हैं।
  - इस झील को जलापूर्ति सिसारमा एवं बूझड़ा नदियों से होती है।
  - झील के पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस स्थित है।
- **आकर्षण:** सूर्यास्त के समय नाव की सवारी और झील का नजारा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करता है।

फतेह सागर झील
- **निर्माण:** महाराणा जयसिंह के द्वारा।
- **स्थान:** पिछोला झील के उत्तर में स्थित।
- **विशेषता:**
  - एक कृत्रिम झील, जो पिछोला झील से एक नहर द्वारा जुड़ी है।
  - झील के बीच में सुंदर नेहरू गार्डन और सौर वेधशाला स्थित है।
- **इतिहास:** पहले इसे **'कनॉट बांध'** कहा जाता था, जिसे ड्यूक ऑफ कनॉट ने उद्घाटन किया था।

सहेलियों की बाड़ी
- **निर्माण:** महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा महिलाओं के लिए बगीचे के रूप में बनाया गया। [वनपाल 2022, VDO 2021, CET (Grad.) 2024]
- **आकर्षण:**
  - संगमरमर के हाथी, फव्वारे, मण्डप और कमल कुण्ड।
  - एक छोटा संग्रहालय भी यहाँ स्थित है।

ऋषभदेव का मंदिर (धुलेव)
- यह मंदिर कोयल नदी पर बसे धुलेव कस्बे में स्थित है।
- यहाँ ऋषभदेव को केसर चढ़ाने के कारण **'केसरिया नाथ'** के नाम से जाना जाता है। केसरिया नाथ की काले पाषाण की एक बड़ी मूर्ति होने के कारण आदिवासियों के द्वारा इन्हें **'कालाजी'** भी कहा जाता है। ऋषभदेव जी का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी-नवमी को भरता है।

भारतीय लोक कला मंडल
- **विशेषता:**
  - राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संस्कृति और लोक कला के लिए समर्पित सांस्कृतिक संस्थान।
  - लोक कलाकृतियों और राजस्थानी संस्कृति के प्रदर्शन का केंद्र।
- **कार्य:** लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रचार।

सास-बहू मंदिर (नागदा)
- **स्थान:** उदयपुर से 22 कि.मी. दूर अरावली की पहाड़ियों में बसा।
- **आकर्षण:**
- **सहस्रबाहु मंदिर (लोकप्रिय नाम:** सास-बहु मंदिर)। [BSTC 2025]
  - यह मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी में सोलंकी व महामारू शैली में निर्मित हुआ और इसके वास्तुशिल्प में अद्भुत नक्काशी और तोरणद्वार शामिल हैं।
  - यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। [जेल वार्डन 2018]

16 राजस्थान में परिवहन के साधन [Means of Transport in Rajasthan]

यातायात का महत्त्व

- किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था में यातायात के साधन धमनियों और शिराओं की तरह कार्य करते हैं। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में यातायात के साधनों का तेजी से विकास हुआ है।
- राज्य में सड़क, रेलवे और वायु परिवहन प्रमुख साधन हैं।
- हालांकि, इन क्षेत्रों में विकास की अभी भी अपार संभावनाएं हैं।

सड़क परिवहन

स्वतंत्रता के बाद सड़कों का विकास

- वर्ष 1949 में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 13,553 किमी. थी।
- मार्च 2025 तक यह लंबाई बढ़कर 3,35,306 किमी. हो गई।

राजस्थान में सड़क परिवहन: प्रगति और स्थिति

सड़क घनत्व

- मार्च 2025 तक, राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 97.97 किमी है।
- राष्ट्रीय औसत घनत्व 165.24 किमी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है।

गांवों को सड़कों से जोड़ने की स्थिति

- 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में 43,264 गांव हैं। मार्च 2025 तक, 39666 गांवों (91.68%) को सड़कों से जोड़ा जा चुका है।

सड़क रखरखाव और सार्वजनिक निर्माण विभाग का योगदान

राज्य में 31 मार्च, 2025 तक सड़कों की लम्बाई

क्र.	वर्गीकरण	डामर	मैटल	ग्रेवल	मौसमी	योग
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	10790	0	0	0	10790
2.	राज्य राजमार्ग	17298	9	0	9	17316
3.	मुख्य जिला सड़क	17955	45	120	114	18234
4.	अन्य जिला सड़क	57119	6649	212	8843	72822
5.	ग्रामीण सड़क	169000	2184	41895	3065	216144
महायोग		**272162**	**8886**	**42226**	**12031**	**335306**

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की लंबाई

क्र.	वर्गीकरण	डामर	मैटल	ग्रेवल	मौसमी	योग
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	3540	0	0	0	3540
2.	राज्य राजमार्ग	16986	9	0	9	17004
3.	मुख्य जिला सड़क	17635	45	120	114	17914
4.	अन्य जिला सड़क	13193	5	159	0	13357
5.	ग्रामीण सड़क	142276	585	2375	0	145236
महायोग		**193631**	**644**	**2654**	**124**	**197051**

(स्रोत–आर्थिक समीक्षा 2025-26)

राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

- मार्च 2025 तक, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 10790 किमी है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 1988 में संसद के एक अधिनियम से (संसद एक अधिनियम) द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किया गया था।
- NHAI को भारत सरकार द्वारा इन्हे सौपे गए राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। प्राधिकरण फरवरी 1995 में क्रियाशील हुआ।
- **भारत में NH की सर्वाधिक लम्बाई वाला राज्यों का क्रम**: महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, राजस्थान
- **भारत में NH की न्यूनतम लम्बाई वाला राज्य**: गोवा
- राजस्थान में NH की सर्वाधिक लम्बाई वाले जिलों का अवरोही क्रम : बाड़मेर (879): बीकानेर (866 किमी): जैसलमेर (770 किमी)
- राजस्थान में NH की न्यूनतम लम्बाई वाले जिलों का आरोही क्रम: करौली (58 किमी): प्रतापगढ़ (105 किमी.): डूंगरपुर (111 किमी)
- **राज्य का सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला**: जयपुर (9)
- **राज्य का न्यूनतम राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला**: खैरथल-तिजारा, करौली, प्रतापगढ़ (1) है।
- **सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग**: NH 48, NH 52, NH 58 (तीनों 8 जिलों से)
- NH 48 राज्य का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है।
- डीग एवं सलूम्बर जिले जिनमें से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है।
- **राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग**: NH 52 (793.55 किमी.)
- **राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग**: NH 919 (खैरथल-तिजारा 5 किमी) तथा NH 148B (कोटपूतली-बहरोड़ 5 किमी)
- 16 राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार राजस्थान के केवल एक ही जिले में है।
- पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग : NH 25 (481.17 किमी)
- पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग : NH 248 (28 किमी)

एक्सप्रेस-वे

- राज्य में एक्सप्रेस-वे हाइवे कुल **5** है जिनमें **3** एक्सप्रेस-वे संचालित है तथा **2** प्रस्तावित है। कुल लम्बाई 1386 किमी.

17 राजस्थान में कृषि परिदृश्य : प्रमुख फसलें, कृषिक्षेत्र की वर्तमान स्थिति एवं कृषि विपणन

[Agriculture Scenario in Rajasthan : Major Crops, Current Status of Agriculture Sector and Agriculture Marketing]

- राजस्थान में कृषि की विशेषताएं-खाद्यान्न फसलों की प्रधानता और शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता है। राज्य की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण मानसून पर निर्भरता अधिक होती है, जिससे कृषि की उत्पादकता प्रभावित होती है। [JEN Elect. Degree 2020]
- वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा है। [CET (10+2) 2024] कम वर्षा से असिंचित फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है।
- राजस्थान में प्रतिवर्ष कम एवं असमान वर्षा के कारण सूखे की स्थिति बनी रहती है। [जेल वार्डन 2018]

नोटः– राजस्थान की 70% आबादी कृषि से जीविकोपार्जन करती है। [Jamadar 2025]

अध्ययन बिन्दु

- नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य में कृषि परिदृश्य
- राजस्थान में कृषि फसलों के प्रकार, वितरण एवं उत्पादन
- राज्य के कृषि जलवायु प्रदेश
- राज्य में कृषि के विविध प्रकार एवं कृषि विपणन
- राजस्थान में कृषि विकास कार्यक्रम एवं परियोजनाएँ

राजस्थान में कृषि परिदृश्य: नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार

वर्ष 2025-26 में कृषि क्षेत्र का G.S.V.A. में योगदान

- स्थिर मूल्यों (2011-12) पर योगदान → 25.33 प्रतिशत
- प्रचलित मूल्यों पर योगदान → 25.74 प्रतिशत

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का आर्थिक योगदान

- **स्थिर मूल्यों (2011-12) पर:**
  - कृषि और संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन (G.S.V.A.) 2021-22 में ₹1.92 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹2.23 लाख करोड़ हो गया।
  - इसमें सालाना औसत वृद्धि दर 3.82% रही।
- **प्रचलित मूल्यों पर:**
  - 2011-12 में G.S.V.A. में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 28.56% था, जो घटकर वर्ष 2025-26 में 25.74% हो गया।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उपक्षेत्रों का योगदान (2025-26)

- वर्ष 2025-26 में, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों का योगदान प्रचलित मूल्यों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

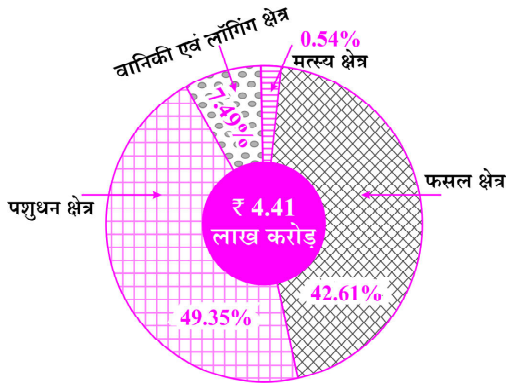

[CET (Grad.) 2024]

राजस्थान में भूमि उपयोग

- राजस्थान का भूमि उपयोग कृषि एवं अन्य कार्यों में इस्तेमाल होने वाली भूमि की जानकारी देता है, जो भविष्य की योजनाओं के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **कुल रिपोर्ट किया गया क्षेत्रफल (2024-25):** 343.43 लाख हेक्टेयर।
- भूमि उपयोग का विस्तृत विवरण विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है, जो राज्य के संसाधनों और योजनाओं को समझने में मदद करता है।

राजस्थान का भूमि उपयोग सांख्यिकी 2024-25

क्र. स.	क्षेत्र	हैक्टेयर (लाख में)	प्रतिशत
1.	वानिकी	28.50	8.30
2.	गैर कृषि उपयोग अन्तर्गत भूमि	20.47	5.96
3.	ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि	23.52	6.85
4.	स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि	16.51	4.81
5.	विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के तहत् भूमि	0.37	0.11
6.	कृषि योग्य बंजर भूमि	34.72	10.11
7.	अन्य चालू पड़त भूमि	19.30	5.62
8.	चालू पड़त	17.93	5.22
9.	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	182.08	53.02

[CET (Grad.) 2024] (आर्थिक समीक्षा : 2025-26)

भूमि उपयोग (आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार)

- **शुद्ध बोया गया क्षेत्र:** राज्य के कुल भूमि उपयोग का 53.02%।
- **वानिकी क्षेत्र:** कुल भूमि का 8.30%।

18 राजस्थान में पशु संपदा एवं डेयरी विकास [Livestock and Dairy Development in Rajasthan]

राजस्थान में पशुपालन: एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि

भूमिका

- राजस्थान की प्राकृतिक परिस्थितियाँ कृषि की तुलना में पशुपालन के लिए अधिक अनुकूल हैं।
- राज्य के शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पशुपालन एक सहायक गतिविधि न होकर प्रमुख आर्थिक गतिविधि है।
- **परिवर्तन:**
  - चिकित्सा, संचार सुविधाओं, शोध केंद्रों और सरकारी सहयोग से पशुपालन का स्वरूप निर्वाहक से व्यावसायिक हो गया है।
  - **डेयरी उद्योग:** पशुपालन के साथ डेयरी उद्योग ने भी तेज गति से विकास किया है।

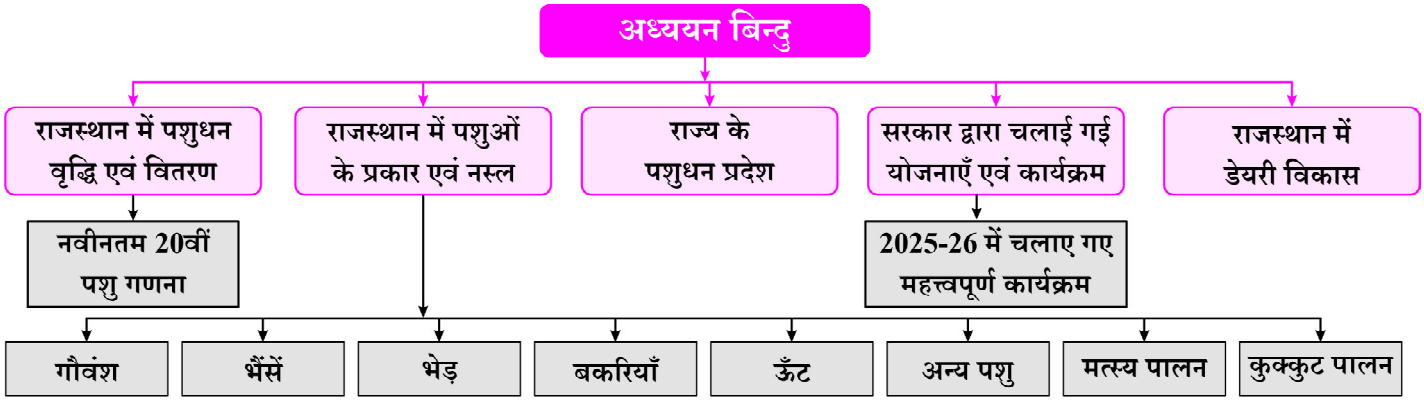

- **इतिहास:**
  - भारत की पहली पशुगणना 1919-20।
  - आजादी के बाद पहली पशुगणना 1951।
  - राजस्थान में पहली पशुगणना 1961 (एकीकृत राजस्थान बनने के बाद)।

राजस्थान में पशुधन वृद्धि एवं वितरण

राजस्थान में पशुधन की स्थिति

- **राष्ट्रीय योगदान:**
  - राजस्थान में देश के कुल पशुधन का 10.60% है।
  - कुल पशुधन के हिसाब से राज्य का देश में **दूसरा स्थान** है।
- **कुल पशुधन (2019):**
  - 5 करोड़ 68 लाख।
- **कुल कुक्कुट संख्या:**
  - 1.46 करोड़ (146.23 लाख), जो देश की कुल संख्या का 1.72% है।

पशुपालन मंत्रालय की रिपोर्ट

- **जारी:** अक्टूबर 2019।
- **संस्था:** भारत सरकार का पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय।

पशुगणना

- **पशुगणना का कार्य:** हर 5 वर्ष में राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा किया जाता है।
- **देश में पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान:** द्वितीय [Platoon Commander-II 2025]
- **देश में पशुधन की दृष्टि से प्रथम स्थान:** उत्तर प्रदेश
- **राज्य में पशुओं में सर्वाधिक प्रतिशत:** बकरियाँ (36.6%), गाय (24.4%), भैंस (24.1%), भेड़ (13.9%)
- **20वीं पशुगणना (2019):**
  - **सर्वाधिक पशुधन:** बाड़मेर जिला। [वनरक्षक 2022]
  - **न्यूनतम पशुधन:** धौलपुर जिला।
- **पशु घनत्व:**
  - **2012 (19वीं पशुगणना):** 169 प्रति वर्ग किमी।
  - **2019 (20वीं पशुगणना):** घटकर 166 प्रति वर्ग किमी।
  - **सर्वाधिक पशु घनत्व:** डूंगरपुर (433), बांसवाड़ा (386), दौसा (308)।
  - **न्यूनतम पशु घनत्व:** जैसलमेर (62), बीकानेर (90)।

राजस्थान की राष्ट्रीय उपलब्धियाँ

- बकरी, ऊँट, और गधों की संख्या में राजस्थान देश में **प्रथम स्थान** पर है। [Assistant Statistical Officer 2025]

19 राजस्थान के ऊर्जा संसाधन : परम्परागत एवं गैर-परम्परागत [Energy Resources of Rajasthan : Conventional & Non-Conventional]

ऊर्जा संसाधन: अर्थव्यवस्था की रीढ़

ऊर्जा संसाधन किसी भी देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। यह सभी क्षेत्रों में आवश्यक और आधारभूत भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में ऊर्जा के परंपरागत और गैर-परंपरागत दोनों प्रकार के स्रोत मौजूद हैं। यहां इस क्षेत्र में हुए विकास और नवाचार को समझना आवश्यक है।

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों का विकास एवं वर्तमान नवाचार
- परम्परागत ऊर्जा संसाधन
- गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधन
- ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख योजनाएँ

राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों का विकास और नवाचार

❖ **स्वतंत्रता के समय की स्थिति:**
- ✧ राजस्थान में 1947 में केवल 42 गांवों में बिजली थी।
- ✧ कुल स्थापित विद्युत क्षमता मात्र 13.27 मेगावाट थी।

❖ **विद्युत बोर्ड की स्थापना:**
- ✧ 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (RSEB) का गठन किया गया।
- ✧ यह बिजली उत्पादन, वितरण और हस्तांतरण की मुख्य एजेंसी थी।

❖ **विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन (2000):** 19 जुलाई 2000 को, ऊर्जा क्षेत्र की मजबूती के लिए RSEB को पाँच कंपनियों में विभाजित किया गया-

1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (जयपुर)
2. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (जयपुर)
3. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जयपुर)
4. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अजमेर)
5. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोधपुर)

राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण (RERA):

❖ **स्थापना:** 2 जनवरी 2000।

❖ **मुख्यालय:** जयपुर।

❖ **मुख्य कार्य:**
- ✧ विद्युत कंपनियों को लाइसेंस जारी करना।
- ✧ विद्युत दरें तय करना।
- ✧ विद्युत कंपनियों का नियमन और नियंत्रण।

ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियां:

❖ **कुल ऊर्जा क्षमता:** राज्य की मार्च 2025 तक अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता 27283.83 मेगावाट थी, जो दिसम्बर 2025 तक बढ़कर 31556.43 मेगावाट हो गई है।

❖ **ग्रामीण विद्युतीकरण:** दिसम्बर 2025 तक,
- ✧ 43,965 गांवों का
- ✧ 1.14 लाख ढाणियों का
- ✧ 111.15 लाख ग्रामीण परिवारों का

❖ **ऊर्जा उपलब्धता:**
- ✧ 2021-22 में कुल ऊर्जा उपलब्धता 9080.92 करोड़ यूनिट थी।
- ✧ 2024-25 तक यह बढ़कर 11770 करोड़ यूनिट हो गई।
- ✧ 2021-22 से 2024-25 के बीच कुल ऊर्जा उपलब्धता में 29.61% की वृद्धि हुई।

राजस्थान में ऊर्जा के परंपरागत संसाधन

❖ परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे हैं जिनका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। इनमें **कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस** शामिल हैं।

[Grade 3rd Sci/Math 2023, वनरक्षक 2022]

कोयला: ऊर्जा का प्राचीन स्रोत

❖ **कोयले के प्रकार:**
- ✧ **एन्थ्रेसाइट:** सर्वोत्तम किस्म का कोयला, जिसमें 80% से अधिक कार्बन होता है।
- ✧ **लिग्नाइट:** राजस्थान में प्रमुखता से पाया जाने वाला, जिसमें 45-55% कार्बन होता है। इसे 'भूरा कोयला' भी कहते हैं।
- ✧ **बिटुमिनस**
- ✧ **पीट**

❖ **राजस्थान में लिग्नाइट कोयले की खानें:**
- ✧ **पलाना (बीकानेर):** प्रमुख खान।
- ✧ मेड़ता रोड़ (नागौर)।
- ✧ कपूरड़ी, जालिपा (बाड़मेर)।

❖ **महत्त्व:** कोयला, तापीय विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत है।

20 राजस्थान में औद्योगिक विकास; प्रमुख उद्योग व नव प्रवृतियाँ
[Industrial Development in Rajasthan; Major Industries and New Trends]

राजस्थान का औद्योगिक विकास

स्वतंत्रता के समय की स्थिति:

- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य था।
- स्वतंत्रता के बाद योजनाबद्ध विकास के कारण औद्योगिक क्षेत्र में नई दिशा और प्रगति हुई।
- राजस्थान राज्य में उद्योग क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्त्व का माना जाता है।

उद्योग विकास के लिए प्रयास:

- **उद्योग और वाणिज्य विभाग:** राजस्थान सरकार द्वारा 19 अगस्त 2021 को आदेश जारी कर उद्योग विभाग का नाम बदलकर 'उद्योग व वाणिज्य विभाग' कर दिया गया।[VDO 2021] राज्य में उद्योग विकास के लिए **43** जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र तथा **6** उपकेंद्र सक्रिय हैं।
- **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR):**
  - अलवर, भरतपुर, और झुंझुनूं जिलों को NCR में शामिल किया गया।
  - जयपुर और कोटा को NCR की **''काउंटर मैग्नेट सिटी''** का दर्जा मिला।

औद्योगिक क्षेत्र का योगदान और नवाचार 2025-26

अर्थव्यवस्था में योगदान:

- वर्ष 2025-26 में राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान 28.21% औद्योगिक क्षेत्र में 7.02% की वृद्धि (2011-12 की स्थिर कीमतों पर) दर्ज की गई।
- सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में प्रचलित कीमतों पर उद्योगों का योगदान 26.55% है।

उपक्षेत्रों का योगदान:

- औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों ने राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

उपक्षेत्र	2025-26 में G.S.V.A. में योगदान (अग्रिम अनुमान)
खनन एवं उत्खनन	✧ प्रचलित मूल्यों पर योगदान : **12.42%** ✧ स्थिर मूल्यों पर गत वर्ष की तुलना में कमी : **1.41%**
विनिर्माण	✧ प्रचलित मूल्यों पर योगदान : **40.52%** ✧ स्थिर मूल्यों पर गत वर्ष की तुलना में वृद्धि : **7.84%**
निर्माण	✧ प्रचलित मूल्यों पर योगदान : **35.02%** ✧ स्थिर मूल्यों पर गत वर्ष की तुलना में वृद्धि : **8.27%**
विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	✧ प्रचलित मूल्यों पर योगदान : **12.04%** ✧ स्थिर मूल्यों पर गत वर्ष की तुलना में वृद्धि : **9.37%**

- इन क्षेत्रों के योगदान ने राज्य के विकास में नवाचार और वृद्धि को बढ़ावा दिया।

राजस्थान हस्तशिल्प नीति, 2022

- यह नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई।

[Assistant Statistical Officer 2025, CET (Grad.) 2024]

- **उद्देश्य:** हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक, वित्तीय सहायता और विपणन समर्थन प्रदान कर प्रोत्साहित करना।

राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन, 2024

- **आयोजन:** 9-11 दिसम्बर 2024 को जयपुर में।
- **उपलब्धियां:** ₹35 लाख के समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स), 2022

- **शुरुआत:** 7 अक्टूबर 2022 से। [वनरक्षक 2022]
- **उद्देश्य:**
  - वर्तमान रिप्स-2019 को मजबूत करना।
  - राज्य में तेज और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।
  - विनिर्माण एवं सेवाओं का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास।
  - 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना।
- योजना में प्राथमिक 8 श्रेणियों के लिए कस्टमाईज्ड परिलाभ।
- विद्युत शुल्क, मण्डी, शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट, स्टाम्प ड्यूटी में 75% छूट एवं 25% राशि का पुनर्भरण, रूपान्तरण शुल्क में की 100% छूट।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (I.I.P)

- यह राज्य के औद्योगिक प्रदर्शन का प्रमुख संकेतक है।
- **संकलन और आधार:** मासिक आधार पर संकलित किया जाता है।
- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की शृंखला (आधार वर्ष 2011-12) तीन प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है:-**
  1. विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग)
  2. खनन (माइनिंग)
  3. विद्युत (इलेक्ट्रिसिटी)

राजस्थान का आद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12)

क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*
विनिर्माण	136.14	142.18	169.50	175.21	181.17
खनन	124.53	116.76	111.38	97.30	87.94
विद्युत	144.93	157.21	168.64	179.77	161.00
सामान्य सूचकांक	133.97	136.93	153.46	154.38	153.29

* नवम्बर, तक (प्रावधानिक)

21 राजस्थान में सहकारिता आंदोलन [Cooperative Movement in Rajasthan]

राजस्थान में सहकारिता: परिचय और विकास

सहकारिता का अर्थ और इतिहास

- **सहकारिता:** सहकारिता दो शब्दों सह + कारिता से मिलकर बना है जिसका अर्थ मिलजुलकर कार्य करना है।
- अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिये मिलकर प्रयास करना 'सहकार' कहलाता है। समान उद्देश्य की पूर्ति के लिये अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं की सम्मिलित संस्था को 'सहकारी संस्था' कहते है।
- **सहकारिता का उद्गम:**
  - **शुरुआत:** लंकाशायर (इंग्लैंड)।
  - **जनक:** रॉबर्ट ओवेन को विश्व में सहकारिता का जनक माना जाता है।
  - **आंदोलन का विधिवत सूत्रपात:** जर्मनी से।

भारत में सहकारिता का प्रारंभ

- **सहकारी समितियों की सिफारिश:** 1904 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के दौरान गठित अकाल आयोग ने।
- **पहला अधिनियम:** 1904 का सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया।

राजस्थान में सहकारिता आंदोलन

- **शुरुआत:** 1904 में अजमेर से।
- सहकारिता आंदोलन के विकास को बेहतर ढंग से समझने के लिए निम्न बिंदुओं का अध्ययन आवश्यक हैं—

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान में सहकारिता की पृष्ठभूमि एवं विकास
- सहकारी साख संरचना
- राजस्थान में सहकारी साख व्यवस्था की संरचना
- राजस्थान में प्रमुख सहकारी संस्थाएँ एवं उनके कार्य
- राजस्थान में सहकारिता विभाग की प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम

राजस्थान में सहकारिता: पृष्ठभूमि और विकास

सहकारिता का उद्देश्य और नारा

- **मुख्य उद्देश्य:** सहकारिता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य किसानों, श्रमिकों और छोटे व्यवसायियों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर, आपसी सहयोग के माध्यम से उनका समग्र विकास करना है। यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादकों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अच्छी वस्तुएं प्राप्त हों। इसका अंतिम उद्देश्य एक शोषण-मुक्त, आत्मनिर्भर और सशक्त समाज का निर्माण करना है, ताकि राज्य की चहुंमुखी प्रगति हो सके।
- **नारा:** ''एक सबके लिए, सब एक के लिए।''

सहकारिता आंदोलन का इतिहास

1. **शुरुआत:**
   - 1904 में अजमेर से।
   - **उद्देश्य:** किसानों को ऋण सुविधा देकर महाजनों और बिचौलियों से मुक्ति दिलाना।
2. **प्रथम सहकारी संस्थाएं:**
   - **प्रथम सहकारी कृषि बैंक:** 1904 में (डीग)।
   - **प्रथम सहकारी साख समिति:** 25 अक्टूबर 1905 को भिनाय (अजमेर)।
   - **प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक:** 1910 में अजमेर।
   - **प्रथम प्राथमिक भूमि विकास बैंक:** 1924 में अजमेर।
3. **देशी रियासतों में सहकारी कानून:**
   - **भरतपुर (1915):** पहली रियासत जिसने सहकारी कानून बनाए।
   - **इसके बाद:** कोटा (1916), बीकानेर (1926), अलवर (1934), जोधपुर (1938), जयपुर (1944)।
4. **सहकारी कानून और संशोधन:**
   - **राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 1953:** विभिन्न सहकारी कानूनों में एकरूपता।
   - **सहकारी अधिनियम, 1965:** 2 अक्टूबर 1965 को लागू।
   - **वर्तमान अधिनियम:** सहकारिता अधिनियम 2001, जो 14 नवंबर 2002 से प्रभावी।

महिला सशक्तीकरण और विशेष पहल

- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए 785 महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियां पंजीकृत।
- **सहकारिता आंदोलन:**
  - ''सदस्यों का सदस्यों द्वारा संचालित''।
  - ध्वज में 7 रंग।

विशेष वर्ष और उपलब्धियां

- **सहकारिता का शताब्दी वर्ष:** 2004 में मनाया गया।

22 राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी की स्थिति [Situation of Poverty & Unemployment in Rajasthan]

गरीबी (Poverty)

❖ जब कोई व्यक्ति जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं (जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, तो उसे **'गरीबी'** कहा जाता है।

गरीबी के प्रकार

निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty)	सापेक्ष गरीबी (Relative Poverty)
❖ जब व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र, आदि) को पूरा नहीं कर पाता। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण निरपेक्ष गरीबी के आधार पर किया जाता है। ❖ **मापन के आधार:** ✧ कैलोरी खपत। ✧ उपभोग व्यय। ❖ **विशेषताएं:** यह अवधारणा अल्प विकसित और विकासशील देशों में प्रचलित है। गरीबी मापन की यह व्यवहारिक अवधारणा है। ❖ **मापन विधि:** इसे हेड काउंट विधि कहा जाता है।	❖ **अर्थ:** आय वर्ग, प्रदेशों, या देशों के बीच पाई जाने वाली तुलनात्मक गरीबी। ❖ **विशेषताएं:** आय की असमानता के आधार पर व्याख्या की जाती है। यह अवधारणा विकसित देशों में गरीबी मापन का आधार है। ✧ गरीबी मापन की यह सैद्धांतिक अवधारणा है। ❖ **मापन के तरीके:** ✧ लॉरेन्ज वक्र। ✧ गिनी गुणांक।
ग्रामीण निर्धनता (Rural Poverty)	**शहरी निर्धनता (Urban Poverty)**
❖ **मुख्य कारण:** ✧ रोजगार का अभाव। ✧ छिपी हुई बेरोजगारी। ❖ **प्रभावित समूह:** ✧ भूमिहीन कृषि श्रमिक। ✧ छोटे भूमिधारी। ✧ काश्तकार।	❖ **प्रभावित समूह:** ✧ ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन करने वाले लोग। ✧ कारखानों के अनियमित श्रमिक। ✧ स्व-नियोजित फेरी वाले।

शहरी निर्धनता और इसके प्रभाव

❖ शहरी निर्धनता काफी हद तक ग्रामीण निर्धनता का विस्तार है।

❖ **मुख्य कारण:** नौकरी की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन। जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर रोजगार का न मिल पाना। ये लोग निर्धनता रेखा से नीचे की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ाते हैं।

राजस्थान में गरीबी के कारण

आर्थिक कारण	सामाजिक कारण	राजनीतिक कारण
● कृषि पर निर्भरता ● भौगोलिक परिस्थितियाँ ● निम्न प्रति व्यक्ति आय ● बड़े उद्योगों की कमी ● बेरोजगारी ● प्राकृतिक आपदाएँ ● कुशल श्रमिक का अभाव	● अशिक्षा ● जनसंख्या वृद्धि ● महिलाओं की सहभागिता में कमी ● रूढ़िवाद ● जनजातीय समाज ● सामाजिक सेवाओं की अपर्याप्तता	● नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन में कमी ● भूमि-सुधारों के क्रियान्वयन का अभाव

गरीबी का मापन और वर्तमान स्थिति

1. भारत में गरीबी मापन का इतिहास:

✧ सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया (1868) में गरीबी मापन की शुरुआत की।

✧ 1971 में वी.एम. दांडेकर और नीलकंठ रथ ने आजादी के बाद गरीबी मापन के फार्मूले दिए।

2. मापन की विधियां और संस्थाएं:

✧ भारत में गरीबी निर्धारण के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) मुख्य संस्था है। गरीबी मापन के लिए खर्च और उपभोग विधि का उपयोग किया जाता है।

भारत में गरीबी निर्धारण समितियां और उनकी सिफारिशें

डॉ. वाई.के. अलघ समिति (1977)

❖ **गठन:** योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्धारण के लिए डॉ. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में समिति बनाई गई।

❖ **रिपोर्ट प्रस्तुत:** जनवरी 1979।

❖ **मुख्य सिफारिशें:**

✧ गरीबी मापन के लिए कैलोरी खपत का मानक अपनाया।

23 राज्य में सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी योजनाएँ [Socio-Economic Welfare Schemes in the State]

ग्रामीण विकास

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (R.G.A.V.P.) राजीविका

- राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आर.जी.ए.वी.पी.) की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में **अक्टूबर, 2010** [BSTC 2025] में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई।
- यह संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा इसके द्वारा स्वयं सहायता समूह (एच.एच.जी.) आधारित संस्थानिक अवधारणा के आधार पर समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य किया जा रहा हैं।
- इस सोसायटी का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थाई वित्तीय और प्रभावी संस्थानिक आधार सृजित करना, सतत् आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करना, वित्तीय व चिन्हित लोक सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाना और तेजी से बदलते बाहरी सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप उनकी व्यवहार क्षमता को बढ़ाना है।

विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G)

- केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (MGNREGS) के स्थान पर **VB-G RAM G** नामक एक नई योजना प्रारम्भ की गई है। इसका पूरा नाम 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' है। यह भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2025 में पेश किया गया एक कानून है।
- **VB-G RAM G** विधेयक 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक 18-19 दिसंबर 2025 के दौरान संसद (लोकसभा और राज्यसभा) से पारित हुआ।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने **21 दिसंबर 2025** को इस विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की, जिससे यह कानून बन गया।
- MGNREGA योजना 02 फरवरी, 2006 को शुरू की गई थी।
- **विभाग:-**ग्रामीण विकास मंत्रालय
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, 02 फरवरी, 2006 से लागू हुआ। यह योजना प्रथम चरण में देश के 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में लागू की गई। 1 अप्रैल, 2008 से यह योजना सम्पूर्ण भारत में लागू हुई। 2 अक्टूबर, 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' कर दिया गया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं इसके द्वारा समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। यह सम्पूर्ण राज्य में संचालित है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए, ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु तैयार है।
- **मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (सी.एम.आर.ई.जी.एस)** के अन्तर्गत मनरेगा में **100 दिवस** का रोजगार पूर्ण होने पर **25 दिवस** का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा रहा है [VDO 2025] एवं 47 अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) ब्लॉकों के परिवारों को 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इस योजना के तहत बारां क्षेत्र के सहरिया एवं खैरुआ तथा उदयपुर क्षेत्र के कथौड़ी आदिवासी समुदाय को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है। [VDO 2025] इसके अलावा विशेष दिव्यांगजनों को भी 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। यह योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण गरीबों को संगठित करने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम का मूल विचार गरीबों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है।
- 1999 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) के पुनर्गठन के बाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MORD) ने ग्रामीण गरीबों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (SGSY) शुरू की। एसजीएसवाई को अब एनआरएलएम के रूप में पुनर्गठित किया गया है, जिससे एसजीएसवाई कार्यक्रम की कमियों को दूर किया जा सके।
- यह कार्यक्रम 2011 में शुरू किया गया था और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। यह गरीबों की आजीविका में सुधार लाने की दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक द्वारा समर्थन प्राप्त है। 25 सितंबर 2015 को इस कार्यक्रम के स्थान पर **दीन दयाल अंत्योदय योजना** शुरू की गई।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना और ग्रामीण गरीबों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

- योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 (एस.ई.सीसी.-2011) के समंकों के आधार पर किया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि **₹1,20,000** देय है।
- प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु

राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, जयपुर में लॉन्च की गई। यह नीति सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के आधुनिकीकरण, पारदर्शिता को बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने, नए रोजगार अवसरों के सृजन तथा एआई के लाभों तक समान एवं समावेशी पहुँच सुनिश्चित करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

- राज्य सरकार एआई को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में देखती है, जो शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रगति को गति प्रदान करेगी तथा विकसित राजस्थान@2047 के दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देगी।
- राज्य के दीर्घकालिक विकास रोडमैप के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने हेतु, इस नीति में उन संकेतक परिणामों का उल्लेख किया गया है जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को एक रणनीतिक प्रवर्तक के रूप में चिह्नित किया है।
- यह **Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning (ML)** नीति संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ एवं भविष्य के लिए तैयार डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम/वित्त पोषित संस्था/परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत	वर्ष 2025-26 में दिसम्बर, 2025 तक व्यय	परियोजना प्रारम्भ से दिसम्बर, 2025 तक कुल व्यय
1.	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (चरण- तृतीय) (ए.डी.बी.) [SI 2026] नवम्बर, 2015 से मार्च, 2026	4017.56	99.84	3853.42
2.	राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (चरण- चतुर्थ) (ट्राँच-I) (ए.डी.बी.) जनवरी, 2021 से मई, 2028	3076.63	154.56	2342.66
3.	राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (चरण- चतुर्थ) (ट्राँच-II)(ए.डी.बी.) अप्रैल, 2023 से मई, 2028	2450.00	295.36	1081.27
4.	राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम-प्रथम (ट्राँच-II) (ए.डी.बी.)* दिसम्बर, 2019 से सितम्बर, 2025	2617.04	193.68	1906.63
5.	राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम- प्रथम (ट्राँच-III)(ए.डी.बी.)* मार्च, 2023 से सितम्बर, 2026	1287.15	79.80	1008.45
6.	राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम-द्वितीय (ट्राँच-I) (विश्व बैंक)* अक्टूबर, 2019 से मई, 2025	2996.70	173.06	2623.37
7.	राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (जिका) अप्रैल, 2017 से मार्च, 2028	2294.30	131.30	1048.30
8.	मरू क्षेत्र के लिये राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना (ट्राँच-प्रथम व द्वितीय) (एन.डी.बी.) मई, 2018 से जुलाई, 2026	3291.63	86.85	2824.76
9.	राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना-द्वितीय (के.एफ.डब्लू) नवम्बर, 2022 से अक्टूबर, 2026	984.32	110.90	110.90
10.	राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना (विश्व बैंक) जुलाई, 2018 से जून, 2025	275.69	2.10	265.85
11.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं लोरोसिस निराकरण परियोजना चरण-द्वितीय (जिका) जुलाई, 2021 से दिसम्बर, 2028	4765.31	204.76	209.43
12.	बांध पुर्नवास और सुधार परियोजना-द्वितीय (विश्व बैंक) अप्रैल, 2021 से मार्च, 2027	503.02	11.32	166.17
13.	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (ए.एफ.डी.) अप्रैल, 2023 से मार्च, 2031	1693.91	159.07	407.41
14.	राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन (जिका) अक्टूबर, 2024 से मार्च, 2035	1774.30	0.46	0.46
	योग	**32027.56**	**1703.06**	**17849.08**

* पीपीपी का भाग शामिल

1 राजस्थान के इतिहास के महत्त्वपूर्ण स्रोत [Important Sources of History of Rajasthan]

- राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए हमारे पास पुरातात्विक, साहित्यिक और अभिलेखीय सभी प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं।
- राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सबसे पहले 1871 ई. में **ए.सी.एल. कार्लाइल** के नेतृत्व में शुरू हुआ था।
- अरावली की पहाड़ियों जैसे बूंदी की छाजा नदी, कोटा की चंबल नदी के क्षेत्र, विराटनगर (कोटपूतली-बहरोड़), सोहनपुरा (सीकर) और हरसौरा (अलवर) आदि स्थानों पर प्रागैतिहासिक मानव के चित्रित शैलाश्रय पाए गए हैं।
- राज्य में विभिन्न शिलालेख, पत्थर की पट्टिकाएं, स्तंभ और ताम्रपत्र जैसी चीजों से उस समय की तिथियों और घटनाओं की जानकारी मिलती है।
- शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख (एपिग्राफी) कहते हैं। [Patwar 2025]
- जिन शिलालेखों में किसी शासक की उपलब्धियों का विवरण होता है, उसे **प्रशस्ति** कहा जाता है।

राजस्थान के महत्त्वपूर्ण शिलालेख

क्र.सं.	अभिलेख	स्थापना वर्ष	विशेष विवरण
1.	**बड़ली का शिलालेख**	443 ई.पू.	• **बड़ली (अजमेर):** यह **राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है** और अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसे ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में लिखा गया है। • इसे विश्व का पहला ब्राह्मीलिपि का लेख माना जाता है। • जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर महावीर के निर्वाण के 84 वर्ष के बाद अर्थात् 443 ईसा पूर्व (BC) सालिममालिनी नामक राजा ने इसे अंकित करवाया था।
2.	**बैराठ (भाब्रु) शिलालेख**	251 ई.पू.	• **बैराठ (कोटपूतली-बहरोड़):** इस शिलालेख की खोज **कैप्टन बर्ट** द्वारा **1837 ई.** में बीजक की डूंगरी से की गई। • इसमें सम्राट अशोक के बौद्ध होने का प्रबलतम साक्ष्य प्राप्त होता है।
3.	**बैराठ (लघु) शिलालेख**	251 ई.पू.	• **बैराठ (कोटपूतली-बहरोड़):** इस शिलालेख की खोज 1871 ई. में **ए.सी.एल. कार्लाइल** ने भीम डूंगरी (बैराठ) से की। इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी है।
4.	**नांदसा यूप स्तम्भ लेख**	225 ई.पू.	• **नांदसा (भीलवाड़ा):** राजस्थान के यूप स्तम्भों में सबसे प्राचीनतम यूप लेख है। यह विक्रम संवत् का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है, जिसमें संवत् को अंकों और शब्दों दोनों ही रूपों में लिखा गया है। इसमें 'एकषष्टिरात्र' सत्र (यज्ञ जैसा अनुष्ठान) का उल्लेख मिलता है।
5.	**बड़वा यूप अभिलेख**	238-239 ई.पू.	• **बड़वा (कोटा)** —मौखरी राजाओं का यह सबसे पुराना और पहला अभिलेख है। • यहां से प्राप्त चार यूप लेखों में राजस्थान की धार्मिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है।
6.	**भ्रमरमाता का शिलालेख**	490 ई.पू.	• **छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़)**—इसमें गौर वंश तथा औलिकर वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। इसमें इनकी शाक्त धर्म के प्रति भक्ति को बताया गया है। इसका रचयिता ब्रह्मसोम था।
7.	**घोसुण्डी शिलालेख** (वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित)	द्वितीय शताब्दी ई.पू.	• **घोसुण्डी गाँव (नगरी, चित्तौड़गढ़):** इस शिलालेख के कई हिस्से हैं, और यह संस्कृत भाषा **(J.En. 2022)** में **ब्राह्मी लिपि** [लवण निरीक्षक 2019] में लिखा गया है। इसे सबसे पहले **डी.आर. भंडारकर** ने पढ़ा था। यह राजस्थान में भागवत (वैष्णव) धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। इसमें संकर्षण और वासुदेव की पूजा तथा गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ (अश्वमेध यज्ञ का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण) का उल्लेख है।
8.	**बसंतगढ़ शिलालेख**	625 ई.	• **बसंतगढ़ (सिरोही):** इस शिलालेख में **राजस्थानीयादित्य** शब्द का उल्लेख मिलता है, जो राजस्थान की प्राचीन पहचान को दर्शाता है। इसमें **सामन्त प्रथा** से संबंधित कुछ उल्लेख मिलता है।
9.	**अपराजित का शिलालेख**	661 ई.	• **नागदा (उदयपुर):** दामोदर द्वारा रचित इस शिलालेख में गुहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है।

2 प्रागैतिहासिक राजस्थान : राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ [Prehistoric Rajasthan : Ancient Civilizations of Rajasthan]

❖ राजस्थान की मरुभूमि कई प्राचीन सभ्यताओं की जननी रही है। यहाँ पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग की सभ्यताओं का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख सभ्यताएँ कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ और बागौर हैं। ये सभ्यताएँ स्थानीय संस्कृति को तो दर्शाती ही हैं, साथ ही अपनी चित्रकला, मिट्टी के बर्तन और धातु कौशल के कारण प्राचीन विश्व की अन्य सभ्यताओं के संपर्क में भी थीं।

अध्ययन बिन्दु [Grade 3rd Sanskrit (L-2) 2026]

- कालीबंगा सभ्यता → हनुमानगढ़
- आहड़ सभ्यता → उदयपुर
- गणेश्वर → सीकर
- बालाथल → उदयपुर
- बैराठ सभ्यता → कोटपूतली–बहरोड़
- राजस्थान की अन्य प्राचीन सभ्यताएँ

कालीबंगा सभ्यता [Grade 3rd Science-Maths (L-2) 2026]

❖ **महत्त्व:** कालीबंगा को **सिंधु सभ्यता** की **"तीसरी राजधानी"** माना जाता है। यह सभ्यता राजस्थान [Patwar 2025] के **हनुमानगढ़** [पशुधन सहायक 2025] जिले में स्थित है [Jamadar 2025] (जो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण–पश्चिम दिशा में स्थित है।[जेल वार्डन 2018]) और लगभग 6,000 साल पुरानी मानी जाती है। इसका संबंध सिन्धु घाटी सभ्यता से है। [स्टेनोग्राफर 2024]

❖ **स्थान:** यह सभ्यता प्राचीन सरस्वती और दृषद्वती नदियों (वर्तमान घग्घर नदी क्षेत्र) [Raj. Police Constable 2025] के बीच पल्लवित हुई थी [CET(10+2) 2024] और पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल की सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करती है।

❖ **खोज और उत्खनन:** कालीबंगा की खोज 1952 में **अमलानंद घोष** ने की थी। [REET (L-2) 2025] [Grade III 2023] कालीबंगा में उत्खनन का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणालय, नई दिल्ली द्वारा बी.वी. लाल (ब्रजवासी लाल) व बी.के. थापर (बालकृष्ण थापर) के नेतृत्व में 1960-61 ई. से 1969 ई. के बीच किया गया था। [Librarian Grade 3rd 2025] इनके अन्य सहयोगी **एम.डी. खरे, जे.वी. जोशी** एवं **के.एम. श्रीवास्तव** थे।

❖ **सांस्कृतिक स्तर:** यहाँ उत्खनन में हड़प्पा काल की संस्कृति के पाँच स्तर मिले हैं, जिनमें से पहले दो प्राक हड़प्पा और बाकी विकसित हड़प्पा काल से संबंधित हैं।

❖ **नाम का अर्थ:** "कालीबंगा" का अर्थ है **"काले रंग की चूड़ियाँ,"** जिन्हें पंजाबी भाषा में बंगा कहा जाता है। मिट्टी की काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से बहुतायत में प्राप्त हुई, जिससे इसका नाम कालीबंगा पड़ा।

❖ **आकार**—कालीबंगा की बसावट समान्तर चतुर्भुज आकार की थी।

❖ **पहली जानकारी:** इस सभ्यता की पहली व्यवस्थित जानकारी इटली के विद्वान डॉ. एल.पी. टेसीटोरी ने दी थी।

कालीबंगा का नगर नियोजन

❖ **विकसित नगरीय सभ्यता:** कालीबंगा एक विकसित और सुव्यवस्थित नगर था, जो दो टीलों - पश्चिमी और पूर्वी पर बसा हुआ था। इसमें दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों अलग-अलग प्राचीर (रक्षा दीवार) से सुरक्षित थे। [वनरक्षक 2022]

❖ **सड़कें और गलियाँ:** कालीबंगा की सड़कों की चौड़ाई 5 से 5.5 मीटर थी और ये समकोण पर एक-दूसरे को काटती थीं। सड़कों के किनारे गलियाँ और आवासीय भवन थे।

अभिजात वर्ग का निवास था।

दुर्ग : पश्चिमी भाग

जनसाधारण का निवास था।

निचला नगर : पूर्वी भाग

❖ **भवन निर्माण:** मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के विपरीत, कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों (धूप में सुखाई हुई) से बने थे। [CET(10+2) 2024] कमरों और फर्श को चिकनी मिट्टी से लीपा जाता था। लगभग हर घर में एक कुआँ था।

❖ **मुहरें:** कालीबंगा से पत्थर और मिट्टी की मुहरें मिली हैं, जिन पर हड़प्पाकालीन लिपि के समान अक्षर बने हैं, लेकिन इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है।

❖ **अंत्येष्टि विधियाँ:** कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि की तीन विधियों के प्रमाण मिले हैं—

1. पूर्ण समाधिकरण (Complete Burial)
2. आंशिक समाधिकरण (Partial Burial)
3. दाह-कर्म (Cremation)

3 राजस्थान की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ एवं प्रमुख राजवंश [Important Historical Events and Major Dynasties of Rajasthan]

राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय

- **'राजपूताना' और 'राजस्थान' शब्द का इतिहास:** हमारे प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का पहला प्रयोग **1800 ई. में जार्ज थॉमस** ने किया। बाद में, **कर्नल जेम्स टॉड** ने 1829 ई. में अपनी पुस्तक **'एनॉल्स एंड एण्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान'** में **रायथान या 'राजस्थान'** शब्द का प्रयोग किया। इससे पहले यह क्षेत्र अलग-अलग नामों से जाना जाता था।
- **प्रारंभिक शासन और राजवंश:** आर्यों के आगमन से लेकर राजपूतों के उदय तक, इस क्षेत्र में विभिन्न जनपदों का शासन था। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की मृत्यु (747 ई.) के बाद भारत की राजनीतिक एकता के समाप्त होने से यहाँ कई क्षेत्रीय राजपूत राजवंशों का उदय हुआ।

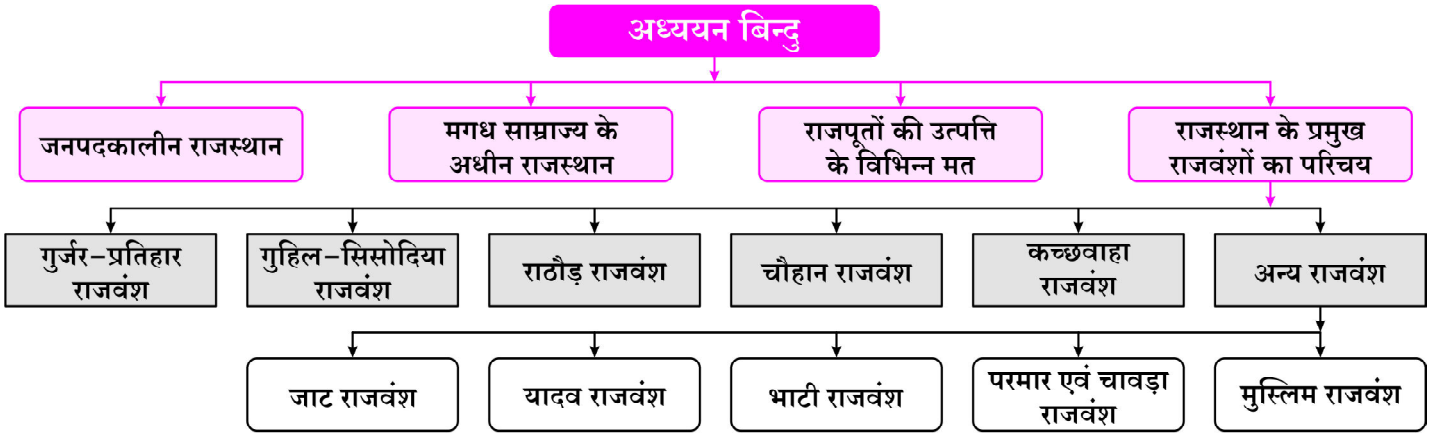

जनपदकालीन राजस्थान

- **आर्यों के प्रसार के बाद जनपदों का विकास:** राजस्थान में, भारत के अन्य राज्यों की तरह, आर्यों के प्रसार के दौरान और उसके बाद जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ।
- **बौद्ध ग्रंथ 'अंगुत्तर निकाय' में उल्लेख:** इस ग्रंथ में भारत के 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, जिनमें से एक प्रमुख महाजनपद, मत्स्य, राजस्थान में स्थित था। इसके अलावा अनेक भाग कुरु, शूरसेन एवं अवन्ति महाजनपदों के अंतर्गत थे। उस समय चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र **शिवि जनपद** कहलाता था।
- **सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव:** सिकंदर के आक्रमण के बाद, पंजाब की मालव, शिवि, अर्जुनायन और यौद्धेय जैसी जातियों ने राजस्थान में आकर यहाँ अपने जनपद स्थापित किये।

मत्स्य जनपद

- **प्राचीन उल्लेख:** मत्स्य जनपद का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में **'आर्य जन'** के रूप में मिलता है। [J.En. 2022] इसके अलावा, शतपथ ब्राह्मण और कौषीतकी उपनिषद् में भी इसका जिक्र है।
- **महाभारत में स्थान:** महाभारत में मत्स्य जनपद को भारत के प्रमुख जनपदों में गिना गया है। महाभारतकाल में राजा विराट इस जनपद के शासक थे, जिनकी राजधानी विराटनगर (बैराठ) थी, जो आज के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में स्थित है। रामायण में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है।
- **स्थान और सीमाएँ:** मत्स्य जनपद, कुरु जनपद के दक्षिण और शूरसेन जनपद के पश्चिम में स्थित था, जिसकी पश्चिमी सीमा सरस्वती नदी और दक्षिणी सीमा चंबल नदी से लगती थी।
- **महाभारत के बाद:** महाभारत काल के बाद इस जनपद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। **डॉ. गोपीनाथ शर्मा** के अनुसार, महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद कमजोर हो गए, और उनकी निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य जनपद शक्तिशाली बन गया।
- **संघर्ष:** मत्स्य जनपद का अपने पड़ोसी **शाल्व** और **चेदी** जनपदों से संघर्ष चलता रहता था।
- **वर्तमान क्षेत्र:** आज के राजस्थान में अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा और करौली जिलों के कुछ हिस्से मत्स्य जनपद का हिस्सा थे।

शिवि जनपद

- **प्राचीन मेवाड़ का नाम:** मेवाड़ का पुराना नाम शिवि था, जिसे पंजाब की शिवि जाति ने बसाया था। इसकी राजधानी **मज्झमिका** या **मध्यमिका**, जिसे आज **नगरी** (चित्तौड़गढ़) कहा जाता है, थी। पतंजलि के महाभाष्य और महाभारत दोनों में 'नगरी' का उल्लेख मिलता है।
- **नाम में परिवर्तन:** समय के साथ शिवि क्षेत्र को **मेदपाट, प्राग्वाट** और बाद में **मेवाड़** के नाम से जाना जाने लगा।

मालव जनपद

- **मूल स्थान:** मालव जाति का मूल स्थान रावी और चिनाब नदियों का संगम क्षेत्र था। **पाणिनी** के अनुसार, यह एक योद्धा जाति थी। सिकंदर के आक्रमण के बाद, ये लोग मालवनगर (कार्कोट नगर, टोंक) के आसपास बसे और बाद में टोंक, अजमेर, और मेवाड़ क्षेत्रों में फैल गए।

4 मध्यकालीन राजवंशों की प्रशासनिक व राजव्यवस्था
[Administrative and Political System of Medieval Dynasties]

❖ गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद राजपूताना में कई स्वतंत्र राजपूत रियासतों का उदय हुआ। इन रियासतों ने मध्यकाल में एक खास प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था बनाई, जो देश की स्वतंत्रता और राजस्थान के एकीकरण (1947) तक बनी रही। हालाँकि इस व्यवस्था का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन तत्कालीन शासकीय दस्तावेजों, दानपत्रों, और साहित्यिक ग्रंथों में इन व्यवस्थाओं का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। इसे विभिन्न अध्ययन बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है—

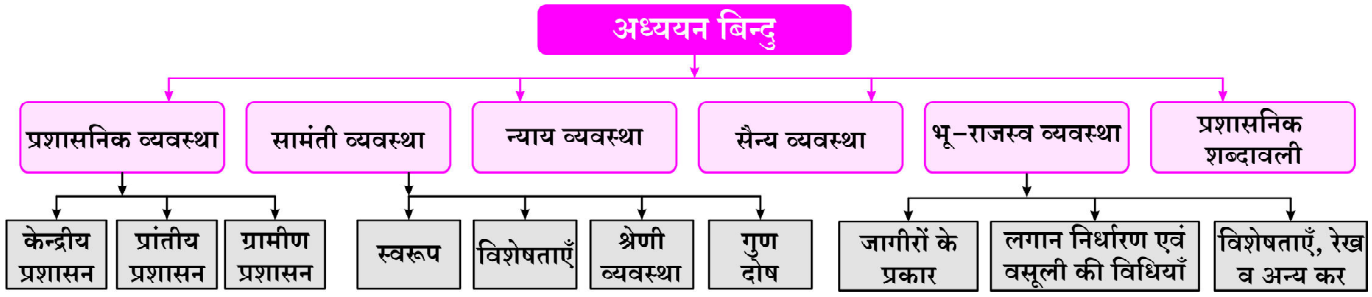

प्रशासनिक व्यवस्था

केन्द्रीय प्रशासन

❖ **राजा :** राजा पूरे प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था और खुद को देवता का अंश मानते थे। वे महाराजा, परमभट्टारक, महाराजाधिराज जैसे खिताब धारण करते थे। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद, राजा अपनी स्वेच्छा से निर्णय नहीं ले सकते थे। उन्हें मंत्रिपरिषद, स्थानीय सरदारों और सामंतों से परामर्श करना होता था। साथ ही, धर्म की मर्यादा का पालन भी उनके लिए आवश्यक था।

❖ **युवराज :** केन्द्रीय प्रशासन में राजा के बाद युवराज का स्थान होता था, जिसे **महाराज कुमार** भी कहते थे। युवराज युद्ध और शांति दोनों स्थितियों में राजा का सहायक होता था। कभी-कभी राजा अपने जीवनकाल में ही युवराज को सत्ता सौंपकर संन्यास ले लेता था, जैसे बप्पा रावल ने राज्य खुमाण को सौंपकर संन्यास ले लिया था।

❖ **प्रधान :** प्रधान राजा की **मंत्रिपरिषद का मुखिया** और मुख्य सलाहकार होता था। इसे **दीवान, मुसाहिब** या **प्रधानमंत्री** भी कहते थे। राजा की अनुपस्थिति में राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी प्रधान की होती थी। आमतौर पर यह सबसे प्रमुख सामंत होता था, जैसे कि मेवाड़ में सलूम्बर के रावत को प्रधान का वंशानुगत पद मिलता था, जिसे **'भांजगड़'** कहा जाता था। जयपुर में प्रधानमंत्री को **'मुहासिब'** और कोटा में **'फौजदार'** या **'दीवान'** कहा जाता था।

❖ **बख्शी :** बख्शी **सैन्य विभाग का मुखिया** होता था। इसका मुख्य काम सेना के लिए रसद की व्यवस्था करना, सेना में अनुशासन बनाए रखना और सैन्य प्रशिक्षणों का निरीक्षण करना था। बख्शी की सहायता के लिए एक **नायब बख्शी** भी होता था, जो सेना और किलों के खर्च और 'रेख' का हिसाब-किताब रखता था।

❖ **मुत्सद्दी वर्ग :** मध्यकालीन राजपूताना में प्रशासनिक कार्यों के लिए मुत्सद्दी वर्ग की एक **पदानुक्रम व्यवस्था** थी। यह वर्ग प्रशासनिक इकाइयों, जैसे परगनों, तहसीलों और गाँवों पर नौकरशाह के रूप में नियुक्त होता था। शुरू में मुत्सद्दी का पद वंशानुगत नहीं था, लेकिन बाद में यह वंशानुगत हो गया। हालांकि, इनकी जागीर वंशानुगत नहीं होती थी; मुत्सद्दी की मृत्यु के बाद उनकी जागीर को 'खालसा' (राजकीय भूमि) घोषित कर दिया जाता था।

❖ **शिकदार :** शिकदार नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था और वह गैर-सैनिक कर्मचारियों के रोजगार से जुड़े कार्यों को देखता था। समय के साथ, शिकदार का पद **नगर कोतवाल** के नाम से जाना जाने लगा।

❖ **संधिविग्रहिक:** इसका उल्लेख अल्लट के **'सारणेश्वर लेख'** में मिलता है। **'यशस्तिलक चम्पू'** के अनुसार, संधिविग्रहिक विदेश के लिए पत्र तैयार करने और आदेशों को जारी करने का कार्य करता था। इसे विभिन्न भाषाओं और लिपियों का ज्ञान होता था।

❖ **अक्षपटलिक:** इसका मुख्य कार्य राज्य के आय-व्यय का हिसाब रखना और राजा द्वारा दिए गए अनुदानों का लेखा-जोखा रखना था।

❖ **भाण्डारिक :** यह **राजकोष का प्रमुख अधिकारी** होता था। समय के साथ इसे 'भंडारी' कहा जाने लगा, जो राजस्थान में खजाने और रसद का काम देखता था। बाद में यह पद वंशानुगत हो गया।

❖ **महाप्रतिहार :** महाप्रतिहार **राजसभा का अधिकारी** होता था, जो दरबार में अनुशासन बनाए रखता और नए आगंतुकों को अभिवादन की विधि सिखाता था। **'तिलकमंजरी'** में इसके कार्यों का विस्तार से उल्लेख मिलता है।

अन्य प्रशासनिक अधिकारी:

❖ **महापुरोहित:** धार्मिक कार्यों का प्रमुख।

❖ **भिषगाधिराज:** राजा का चिकित्सक।

❖ **बन्दिपति:** कविता पाठक।

5 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान
[Contribution of Rajasthan in the Revolution of 1857]

❖ 10 मई, 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति ने जल्द ही पूरे भारत को प्रभावित किया, और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान की छः मुख्य सैनिक छावनियों में सबसे पहले **नसीराबाद छावनी** में विद्रोह की शुरुआत हुई। इस विद्रोह को असंतुष्ट ज़मींदारों, अधिकारियों ने नेतृत्व प्रदान किया, और जनता ने क्रांतिकारियों का नैतिक समर्थन किया।

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण
- राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केन्द्र [स्टेनोग्राफर 2024]
  - नसीराबाद
  - नीमच
  - एरिनपुरा
  - कोटा
  - धौलपुर
  - अन्य राज्यों में 1857 की क्रांति का प्रभाव
- तात्या टोपे का क्रांति के दौरान राजस्थान में योगदान
- राज्य में विद्रोह की असफलता के कारण

राजस्थान में 1857 की क्रांति के मुख्य कारण

❖ **अंग्रेजों का हस्तक्षेप:** राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ 1817-18 में सहायक संधियाँ कर मराठों की समस्या से छुटकारा पा लिया, लेकिन अंग्रेजों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। जैसे भरतपुर और अलवर के उत्तराधिकार और जयपुर व जोधपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। इससे आम जनता में आक्रोश बढ़ा।

❖ **सामंतों के अधिकारों पर असर:** कंपनी की नीतियों ने सामंतों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर उन पर नियंत्रण स्थापित किया। इससे सामंत भी असंतुष्ट हो गए।

❖ **शोषणकारी आर्थिक नीतियाँ:** अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से राजा, सामंत, किसान, व्यापारी, शिल्पकार और मजदूर सभी वर्ग परेशान हो गए थे।

❖ **प्रशासनिक भ्रष्टाचार:** अंग्रेजों के शासन में भ्रष्टाचार का भी बोलबाला था, जो लोगों की नाराजगी का एक और कारण था।

❖ **सामाजिक सुधारों का विरोध:** अंग्रेजों द्वारा बाल हत्या, डाकन प्रथा, गुलामी प्रथा, समाधि और सती प्रथा पर रोक लगाने जैसे सामाजिक सुधारों को राजस्थान की रूढ़िवादी जनता ने नापसंद किया।

❖ **शासकों की अकर्मण्यता:** अंग्रेजों के संरक्षण में राजाओं का रवैया अकर्मण्य और अनुत्तरदायी हो गया, जिसके लिए आम लोग अंग्रेजी शासन को दोषी मानने लगे।

❖ **पश्चिमी विचारों और ईसाई धर्म का प्रचार:** लोगों पर पाश्चात्य विचार और संस्थाएँ थोपने, उनकी परंपराओं को समाप्त करने तथा ईसाई धर्म के प्रचार को लोगों ने अपने धर्म और जीवन में दखल माना।

❖ इन सभी कारणों से राजस्थान में ब्रिटिश विरोधी भावना फैल गई और यहाँ भी 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। उस समय राजस्थान का एजेंट टू द गवर्नर जनरल [ए.जी.जी.] **जॉर्ज पैट्रिक लॉरेन्स** था, जिसका कार्यालय अजमेर में था और भारत का गवर्नर जनरल **लॉर्ड कैनिंग** था।

❖ विद्रोह के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी, [VDO 2021] जो इस प्रकार थीं-

क्र.	सैनिक बटालियन	छावनी स्थान	जिला/राज्य
1.	बंगाल नेटिव इन्फेंट्री	नसीराबाद	अजमेर
2.	मेरवाड़ा बटालियन	ब्यावर	ब्यावर
3.	कोटा कन्टिलजेन्ट	देवली	टोंक
4.	मेवाड़ भीलकोर	खैरवाड़ा	उदयपुर
5.	जोधपुर लीजियन	एरिनपुरा	सिरोही
6.	नीमच छावनी	नीमच	मध्यप्रदेश

नोटः- ✧ इन छः में से ब्यावर और खैरवाड़ा की छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था।

❖ 10 मई, 1857 को भारत में क्रांति की शुरुआत **मेरठ छावनी** से हुई, जिसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से इनकार करना था। क्रांतिकारियों ने 'कमल' और 'रोटी' को इस विद्रोह के प्रतीक चिह्न के रूप में चुना, जिसे संदेश के रूप में सभी छावनियों में भेजा गया।

❖ मेरठ में विद्रोह की जानकारी 19 मई को माउंट आबू में ए.जी.जी. (एजेंट टू द गवर्नर जनरल) **पैट्रिक लॉरेन्स** को मिली। 23 मई को, उसने राजस्थान के सभी शासकों को पत्र भेजकर शांति बनाए रखने और विद्रोहियों को अपने राज्यों में प्रवेश न करने देने का निर्देश दिया।

❖ 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना में नियुक्त पॉलिटिकल एजेन्ट निम्नलिखित हैं- [वनरक्षक 2022, VDO 2021]

क्र.	पॉलिटिकल एजेंट [Grade 3rd Sanskrit (L-2) 2026]	संबंधित रियासत
1.	विलियम ईडन	जयपुर
2.	मेजर बर्टन	कोटा
3.	मॉक मेसन	मारवाड़ (जोधपुर)
4.	कैप्टन सी.एल. शावर्स	मेवाड़ (उदयपुर)
5.	मॉरीसन	भरतपुर
6.	जे.डी. हॉल [REET 2022]	सिरोही

6 राजस्थान में सामाजिक और राजनीतिक जागरण के कारक [Factors of Social and Political awakening in Rajasthan]

❖ **राजस्थान में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का विकास:** किसी प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक जागरुकता एकाएक नहीं आती। राजस्थान में 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इससे जनता में एक नई चेतना और जागरुकता का उदय हुआ, जिसने उन्हें स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। इसके बाद विभिन्न आंदोलनों, राजनीतिक संस्थाओं, वर्गों और समाचार पत्रों के माध्यम से जन-जागरण का एक महत्त्वपूर्ण दौर शुरू हुआ।

मध्यम वर्ग की भूमिका

❖ राजस्थान के शिक्षित मध्यम वर्ग ने विभिन्न आंदोलनों, संस्थाओं और समाचार पत्रों के जरिये राजनीतिक चेतना फैलाने का प्रयास किया। इस वर्ग के प्रमुख प्रतिनिधि- जयनारायण व्यास, मास्टर भोलानाथ, मघाराम वैद्य, अर्जुनलाल सेठी और विजयसिंह पथिक थे।

प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव

❖ राजस्थान के लगभग सभी राज्यों की सेनाओं ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। युद्ध से लौटने वाले सैनिकों ने अपने अनुभव साझा किए, जिससे लोगों को नई वैचारिक क्रांति के बारे में पता चला।

❖ दूसरी ओर, युद्ध का पूरा भार भारतीय जनता को उठाना पड़ा, जिससे असंतोष की भावना बढ़ने लगी।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का राजस्थान पर प्रभाव

❖ राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और आंदोलनों का असर राजस्थान पर भी पड़ा। एक ओर, हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज जैसे लोग गांधीवादी नीतियों का पालन कर रहे थे।

❖ वहीं, रास बिहारी बोस से प्रेरित अर्जुनलाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा और बारहठ परिवार क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को जगा रहे थे।

जनजागरण में सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों की भूमिका

क्र. सं.	संस्था का नाम (स्थापना वर्ष)	संस्थापक	विशेष विवरण
1.	देश हितैषिणी सभा (1877) [Agriculture 2025, BSTC 2025]	**महाराणा सज्जन सिंह**	**उदयपुर की संस्था:** इस संस्था का उद्देश्य राजपूत समाज में वैवाहिक समस्याओं जैसे अधिक खर्च, बहुविवाह और त्याग प्रथा को सुलझाना था। [वनरक्षक 2022]
2.	सम्प सभा (1883)	**गुरु गोविन्दगिरी**	**भीलों और अन्य आदिवासियों के लिए संगठन:** यह संस्था भीलों और अन्य आदिवासी समुदायों को संगठित करने और समाज सुधार के लिए बनाई गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित हुआ।
3.	परोपकारिणी सभा (1883)	**स्वामी दयानन्द सरस्वती**	**उदयपुर में स्थापित सामाजिक सुधार संस्था:** इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार करना था।
4.	वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा (1888-89)	**कर्नल वाल्टर** (तत्कालीन ए.जी.जी.)	**अजमेर की संस्था:** इस संस्था का उद्देश्य सभी रियासतों और शासक वर्ग में फैली सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, बहुविवाह, त्याग प्रथा और मृत्यु भोज को दूर करना था।
5.	वर्धमान विद्यालय (1907)	**अर्जुनलाल सेठी**	**जयपुर में क्रांतिकारी प्रशिक्षण केंद्र:** यह क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण और राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियों की योजना का केंद्र था।
6.	सर्वहितकारिणी सभा, चुरू (1907)	**स्वामी गोपालदास** (सहयोगी-कन्हैयालाल ढूंढ़ व श्रीराम मास्टर)	**चुरू की कांग्रेस:** यह संस्था अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण 'चुरू की कांग्रेस' कहलाई। इसी संस्था के माध्यम से स्वामी गोपालदास ने चुरू में बालिकाओं के लिए **'पुत्री पाठशाला'** और हरिजन वर्ग के लिए **'कबीर पाठशाला'** की स्थापना की। [Grade 3rd Sci/Math 2023]
7.	वीरभारत सभा (1910)	**केसरीसिंह बारहठ**	**अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा:** यह अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की राजस्थान में एक शाखा थी।
8.	वीर भारत समाज (1910)	**विजयसिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा**	**प्रमुख जनजागरण संगठन:** यह संगठन उस समय के राजपूताने में जनजागरण का एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था।

7 राजस्थान में किसान व जनजातीय आंदोलन [Peasants and Tribal Movements in Rajasthan]

अंग्रेजी शासन से पहले राजस्थान की रियासतों में संबंध: राजस्थान में पहले राजाओं, सामंतों और किसानों के बीच परस्पर सहयोग और सद्भावना का संबंध था। अकाल के समय में देशी शासक अक्सर लगान माफ कर देते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी के पहले भाग में सहायक संधियों के बाद ये शासक ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। इसके बाद, अंग्रेजी सरकार को नियमित कर (खिराज) देने और आर्थिक शोषण की औपनिवेशिक नीति के कारण, देशी राजाओं और जागीरदारों ने किसानों का अधिक शोषण करना शुरू किया। जनजातीय क्षेत्रों में भी ब्रिटिश हस्तक्षेप हुआ, जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान में कई किसान और जनजातीय श्रमिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। इन आंदोलनों को बेहतर समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन आवश्यक है:

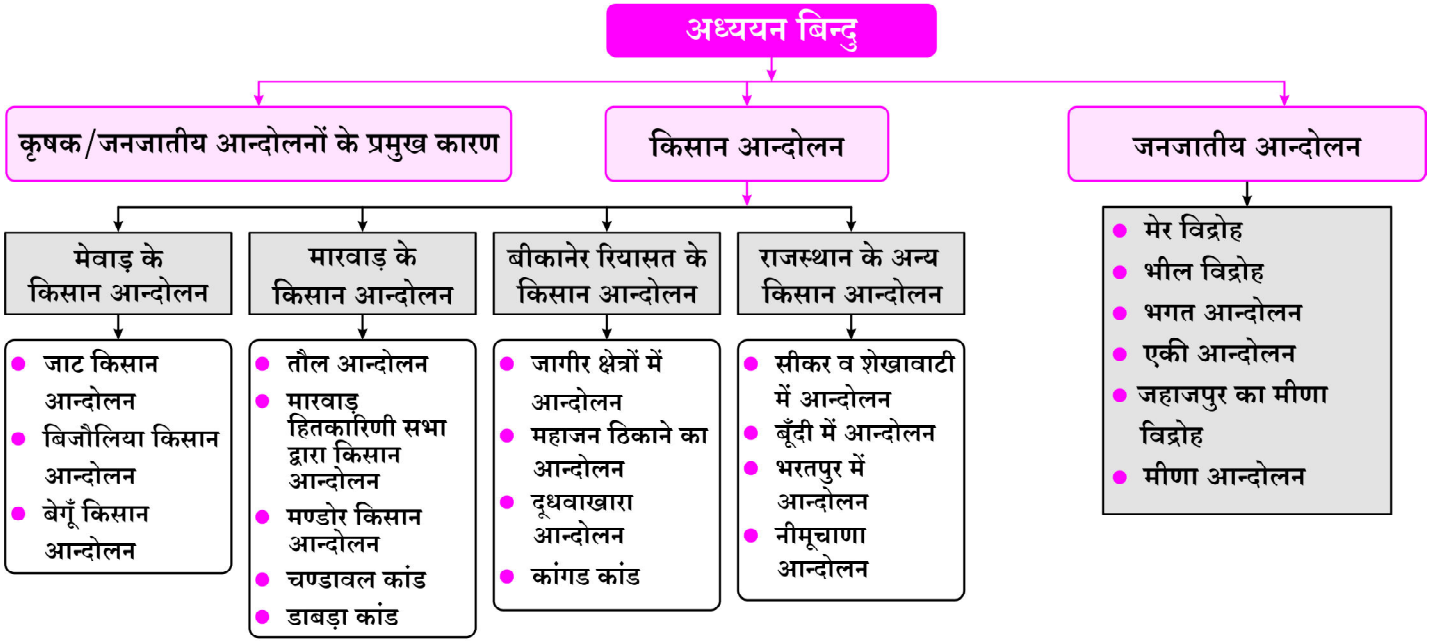

राजस्थान में किसान और जनजातीय आंदोलनों के मुख्य कारण

1. **भू-राजस्व की बढ़ी हुई दरें:** कर की अधिक दरों और नकद में कर चुकाने की मजबूरी के कारण किसान महाजनों के कर्ज में फंस गए।
2. **जागीरदारों का अत्याचार:** जागीरदारों द्वारा अनावश्यक कर, जबरन श्रम (बेगार) और अन्य अत्याचार।
3. **ब्रिटिश शासन का विरोध:** अंग्रेजी शासन और उनकी नीतियों का विरोध।
4. **आदिवासी परंपराओं में हस्तक्षेप:** आदिवासियों की परंपराओं और रीति-रिवाजों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप।
5. **वन क्षेत्रों पर अतिक्रमण:** जनजातियों के वन क्षेत्रों पर कब्जा।
6. **धर्मांतरण का प्रयास:** ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश।
7. **बेरोजगारी का संकट:** 1818 की सहायक संधियों के बाद देशी रियासतों की सेनाओं को भंग करने से बेरोजगारी का संकट पैदा हुआ।

रियासती काल में राजस्थान में प्रचलित लाग-बाग (कर)

- **तलवार बंधाई:** उत्तराधिकार के समय सामंतों द्वारा प्रजा से लिया जाने वाला कर, जिसे तलवार बंधाई कहा जाता था।
- **चंवरी लाग:** जागीर के हर व्यक्ति को अपनी बेटी के विवाह के समय जागीरदार को कर देना होता था, इसे चंवरी लाग कहते थे।
- **खिचड़ी लाग:** रियासती सेना के पड़ाव के दौरान उनके भोजन के लिए लिया जाने वाला कर।
- **कामठा लाग:** किले या महल के निर्माण हेतु प्रत्येक घर से वसूला जाने वाला कर।
- **हल लाग:** किसानों से प्रतिहल पर लिया जाने वाला वार्षिक कर।
- **चूड़ा लाग:** जागीरदार की पत्नी द्वारा नया चूड़ा पहनने के अवसर पर प्रजा से ली जाने वाली राशि।
- **बेगार:** बिना भुगतान के जमींदार या सामंतों के घरेलू कार्य करना।
- **कांसा लाग:** जागीरदार के ठिकाने में शोक के अवसर पर भोजन पकाकर पहुँचाना।
- **अखराई:** राजकोष में जमा राशि पर एक प्रतिशत उपकर, जिसे अखराई कहा जाता था।
- **छटून्द:** एक निश्चित नकद कर, जो जागीरदारों को अंग्रेजों को चुकाना होता था। इसके कारण जागीरदार किसानों से मनमाना लगान वसूलते थे, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ने लगा।

8 देशी रियासतों में प्रजामण्डल आन्दोलन [Prajamandal Movement in Princely States]

❖ प्रजामण्डल कांग्रेस के समर्थन से जुड़ी राजनीतिक संस्थाएँ थीं, जिन्होंने देशी रियासतों के भीतर स्वतन्त्रता आन्दोलन चलाया और लोगों में जागरुकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई।

पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

❖ **प्रारंभिक दौर:** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू में देशी रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया और राष्ट्रवादी गतिविधियों को केवल खादी के प्रचार-प्रसार और सामाजिक सुधारों तक सीमित रखा।

❖ **1927 में पहल:** 'अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद्' की स्थापना के साथ, कांग्रेस ने देशी रियासतों में राजनीतिक भूमिका निभानी शुरू की।

❖ **1931 में अजमेर में अधिवेशन:** रामनारायण चौधरी ने अजमेर में देशी राज्य लोक परिषद् का पहला प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया।

❖ **1938 का हरिपुरा अधिवेशन:** सुभाष चन्द्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में रियासतों के स्वतन्त्रता संघर्ष और प्रजामण्डल आंदोलनों को समर्थन दिया। इसके बाद राजस्थान की रियासतों में तेजी से प्रजामण्डलों का गठन हुआ।

प्रजामण्डलों के प्रमुख उद्देश्य:

1. देशी राजाओं पर अंग्रेजों से की गई सहायक संधियों को तोड़ने का दबाव बनाना और रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करना।
2. जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना और उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा का समर्थन करना।
3. भावी भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजाओं को तैयार करना।

विभिन्न रियासतों में प्रजामण्डल आन्दोलन की गतिविधियाँ

प्रजामण्डल का नाम	संस्थापक (स्थापना वर्ष)	प्रजामंडल आंदोलन की क्रमबद्ध गतिविधियाँ
जयपुर प्रजामण्डल	**कर्पूरचन्द पाटनी** (1931 ई.) [पशुधन सहायक 2025] **पुनर्गठन** (1938 ई.) इसके पुनर्गठन में जमनालाल बजाज [Grade 2nd 2025] व हीरालाल शास्त्री की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।	❖ **प्रारंभ:** जयपुर में अर्जुनलाल सेठी ने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की। ❖ **1927:** जमनालाल बजाज ने 1927 में **'चरखा संघ'** की स्थापना की, जिससे लोगों में जागरुकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। ❖ **1931:** कर्पूरचन्द पाटनी ने 1931 में जयपुर प्रजामण्डल की स्थापना की। हालांकि, यह अधिक प्रभावी नहीं रहा, इसलिए 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के सहयोग से जयपुर राज्य प्रजामण्डल का पुनर्गठन किया गया और 8-9 मई 1938 को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में इसका पहला अधिवेशन हुआ। ❖ **प्रतिबंध और गिरफ्तारी:** जयपुर सरकार ने प्रजामण्डल पर प्रतिबंध लगाया, और हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल अग्रवाल, कपूरचंद पाटनी को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में **गुलाबचन्द कासलीवाल** और **दौलतमल भंडारी** के नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ। महिलाओं ने भी **दुर्गावती शर्मा** के नेतृत्व में इस सत्याग्रह में भाग लेकर गिरफ्तारियाँ दीं। ❖ **अखिल भारतीय स्तर पर मुद्दा:** महात्मा गांधी ने इस मुद्दे को अखिल भारतीय स्तर पर उठाया, जिसके बाद **अगस्त 1939** को प्रजामंडल के नेताओं और सरकार के बीच समझौता हुआ और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को रिहा किया गया। ❖ **1940**: **2** अप्रैल, **1940** में प्रजामण्डल का विधिवत् पंजीकरण हुआ और **हीरालाल शास्त्री** इसके पहले अध्यक्ष बने। ❖ **प्रगतिशील दल का गठन:** कार्यकारिणी से मतभेद होने पर चिरंजीलाल [Grade 2nd 2025] ने 'प्रजामण्डल प्रगतिशील दल' का गठन 1940 में किया। ❖ **भारत छोड़ो आंदोलन से अलगाव:** 1942 में हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच एक समझौता (जैंटलमेन एग्रीमेंट) हुआ, जिसके तहत जयपुर प्रजामण्डल ने भारत छोड़ो आंदोलन से दूरी बनाए रखी। ❖ **विरोध और पुनः शामिल होना:** शास्त्रीजी के इस निर्णय का विरोध करते हुए प्रजामंडल के एक धड़े ने 'आजाद मोर्चे' का गठन कर दिया। बाबा हरिशचन्द्र के नेतृत्व में **आजाद मोर्चा** प्रजामण्डल से अलग हो गया। **रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी** और **हंस डी. राय** इस मोर्चा के प्रमुख सहयोगी बने। बाद में, 1945 में नेहरूजी के प्रयासों से यह मोर्चा फिर से प्रजामण्डल में शामिल हुआ।
बूँदी प्रजामण्डल	**कान्तिलाल जैन** (1931 ई.)	❖ **ऋषिदत्त मेहता** ने 1944 में हरिमोहन माथुर और बृजसुन्दर शर्मा की सहायता से **'बूँदी राज्य लोक परिषद्'** की स्थापना की।

9 राजस्थान का एकीकरण [Integration of Rajasthan]

❖ 15 अगस्त, 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उस समय हमारे सामने तीन बड़ी चुनौतियाँ थीं:— 1.देश का राजनीतिक एकीकरण करना, 2. लोकतंत्र का स्थायी ढाँचा तैयार करना, 3. देश का आर्थिक विकास करना।

❖ उस समय की परिस्थितियों में, राजनीतिक एकीकरण सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके समाधान हेतु, **5 जुलाई 1947** को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में **रियासती विभाग** का गठन किया गया और **श्री वी.पी. मेनन** इसके सचिव बने। पटेल के नेतृत्व में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, और उन्होंने देशी राजाओं से 15 अगस्त 1947 तक भारतीय संघ में शामिल होने की अपील की।

अध्ययन बिन्दु

एकीकरण से पूर्व राजस्थान की स्थिति एवं रियासतों द्वारा संघ बनाने का प्रयास

- मेवाड़ महाराणा द्वारा संघ बनाने का प्रयास
- जयपुर के मानसिंह द्वारा संघ बनाने का प्रयास
- हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास
- बागड़ संघ निर्माण का प्रयास
- रियासतों की समस्याएं

राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरण एवं उनका क्रमबद्ध घटनाक्रम

- I चरण – मत्स्य संघ
- II चरण – संयुक्त राजस्थान
- III चरण – मेवाड़ का विलय
- IV चरण – वृहत राजस्थान
- V चरण – संयुक्त वृहत राजस्थान
- VI चरण – सिरोही का विलय
- VII चरण – वर्तमान राजस्थान

[वनरक्षक 2022]

एकीकरण से पूर्व राजस्थान की स्थिति एवं रियासतों द्वारा संघ बनाने का प्रयास

❖ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में चार प्रकार के राज्य थे:-

I. **पहली श्रेणी:** ऐसे राज्य जो पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में थे।

II. **दूसरी श्रेणी:** वे राज्य जो स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण से बने, जैसे राजस्थान।

III. **तीसरी श्रेणी:** चीफ कमिश्नर के अधीन प्रांत, जैसे अजमेर और दिल्ली।

IV. **चौथी श्रेणी:** स्वतंत्र उपनिवेश, जिन्हें इस श्रेणी में रखा गया था।

नोट: 7वें संविधान संशोधन (1956) के तहत इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।

राजस्थान की स्थिति

❖ स्वतंत्रता के समय, राजस्थान में 19 रियासतें थीं:

[स्टेनोग्राफर 2024, CET 12th 2024]

- अलवर
- भरतपुर
- करौली
- धौलपुर
- कोटा
- बूंदी
- झालावाड़
- टोंक
- किशनगढ़
- डूंगरपुर
- बांसवाड़ा
- शाहपुरा
- प्रतापगढ़
- मेवाड़
- जयपुर
- जोधपुर
- बीकानेर
- जैसलमेर
- सिरोही

साथ ही, 3 ठिकाने भी थे: नीमराणा (कोटपूतली-बहरोड़), लावा (टोंक), और कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)। अजमेर मेरवाड़ा एक केन्द्र शासित प्रदेश था-

नोट:- उपरोक्त रियासतों को अंग्रेजों ने दो श्रेणियों में बांटा था:
1. सेल्यूट स्टेट्स: जिन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी।
2. नॉन सेल्यूट स्टेट्स: जिन्हें सलामी नहीं दी जाती थी।

मेवाड़ रियासत को 19 तोपों की सलामी दी जाती थी, जबकि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, टोंक और करौली को 17 तोपों की सलामी मिलती थी। ठिकानों को सलामी का अधिकार नहीं था, और शाहपुरा एवं किशनगढ़ जैसी रियासतों को भी तोप सलामी का अधिकार नहीं दिया गया था।

एकीकरण से पूर्व राजस्थान की स्थिति

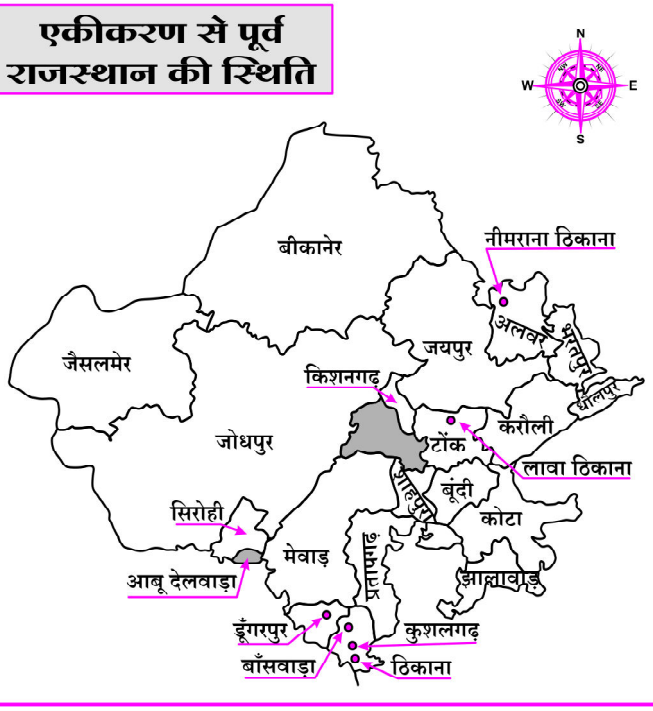

10 राजस्थान के महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल [Important Historical Places of Rajasthan]

उदयपुर संभाग के ऐतिहासिक स्थल

उदयपुर

- **स्थापना और महल:** महाराणा उदयसिंह ने 16वीं शताब्दी में उदयपुर की स्थापना की थी।
- यहाँ के महल अपनी कलात्मकता और विशाल परिसर के लिए प्रसिद्ध हैं। राजमहलों के पास 17वीं शताब्दी में निर्मित **जगदीश मंदिर** भी स्थित है।
- **प्रसिद्ध झीलें:** यहाँ **पिछोला झील** और **फतेह सागर झील** मध्यकालीन जल प्रबंधन की उत्कृष्ट मिसाल हैं। उदयपुर को **''झीलों की नगरी''** भी कहा जाता है।
- **मोती मगरी:** आधुनिक काल में मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति स्थित है, जो एक स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है।
- **सहेलियों की बाड़ी और गुलाब बाग:** महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित सहेलियों की बाड़ी और महाराणा सज्जनसिंह द्वारा बनवाया गया गुलाब बाग उदयपुर की शोभा को बढ़ाते हैं।

ऋषभदेव (केसरियाजी)

- **स्थान और प्रसिद्धि:** उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील में स्थित ऋषभदेव मंदिर के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है।
- **सामूहिक पूजास्थल:** इस मंदिर को जैन और आदिवासी भील दोनों ही समुदाय समान रूप से पूजते हैं। भील इसे **''कालाजी''** कहते हैं, क्योंकि ऋषभदेव की प्रतिमा काले पत्थर की बनी है।
- **केसरियाजी का नामकरण:** श्रद्धालु मूर्ति पर केसर चढ़ाते हैं और लेप करते हैं, जिससे इसे ''केसरियानाथ जी का मंदिर'' भी कहा जाता है। यहाँ हर साल मेला आयोजित होता है।

गलियाकोट

- **स्थान और महत्त्व:** डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट, **दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख केंद्र** है।
- **सैय्यद फखरुद्दीन की दरगाह:** यहाँ संत सैय्यद फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है, जहाँ उनकी याद में हर साल उर्स का आयोजन किया जाता है। यह उर्स मोहर्रम के 27वें दिन भरता है। उनकी यह दरगाह **मजार-ए-फरवरी** भी कहलाती है।

चावण्ड

- **स्थान और ऐतिहासिक महत्त्व:** चावण्ड गाँव अरावली पहाड़ियों के बीच, उदयपुर से ऋषभदेव जाने वाली सड़क पर स्थित है। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद 1585 ई. में महाराणा प्रताप ने इसे अपनी राजधानी बनाया। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु भी यहीं हुई थी।

चित्तौड़गढ़

- **प्रसिद्ध दुर्ग:** चित्तौड़गढ़ अपने भव्य दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, और समय के साथ इसका विस्तार होता गया।
- **दुर्गों का सिरमौर: चित्तौड़गढ़ दुर्ग** को ''दुर्गों का सिरमौर'' कहा जाता है। इसकी प्रसिद्ध कहावत है: **''गढ़ को चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया।''** इस दुर्ग के शासकों ने तुर्कों और मुगलों से कई ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ीं।
- **प्रसिद्ध साके:** चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीन इतिहास प्रसिद्ध साके हुए। जो 1303, 1534 व 1568 ई. में हुए।
- **प्रमुख स्मारक:**
  - राणा कुम्भा द्वारा निर्मित नौ मंजिला **कीर्ति स्तंभ** (विजय स्तंभ), कुम्भश्याम मंदिर, **शृंगार चंवरी** और कुम्भा का महल।
  - रानी पद्मिनी का महल, जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित सात मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ, **जयमल-पत्ता के महल**, मीरा मंदिर, **रैदास की छतरी**, तुलजा भवानी मंदिर, सतबीस देवरी मंदिर भी अपनी कलात्मकता और ऐतिहासिक महत्त्व के लिए प्रसिद्ध हैं।

सतबीस देवरी मंदिर, चित्तौड़गढ़

- **विजयस्तंभ:** महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ चित्तौड़ के किले का एक प्रमुख आकर्षण है तथा 15वीं शताब्दी के स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। नौ खंडों या मंजिलों वाला यह विजय स्तंभ लगभग 120 फीट ऊँचा है। उसकी 9 मंजिलें नवनिधियों का प्रतीक है। लोकविश्वास है कि महाराणा कुंभा ने मांडू (मालवा) के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 1440 ई. में इसका निर्माण करवाया था।

डूँगरपुर

- **स्थापना और राजधानी का गौरव:** रावल वीर सिंह ने 14वीं शताब्दी में डूँगरपुर की स्थापना की थी, और इसे **वागड़ राज्य की राजधानी**

11 राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व [Major Personalities of Rajasthan]

राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और उनका योगदान

- **प्राचीन और मध्यकाल के लोकदेवता और महापुरुष:** राजस्थान में ऐसे लोकदेवता, महापुरुष, वीर योद्धा और कवि हुए हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को नई दिशा दी और नैतिक एवं भौतिक कल्याण में योगदान दिया।
- **आधुनिक युग के वीर शहीद और प्रबुद्ध व्यक्तित्व:** आधुनिक काल में वीर शहीदों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने समाज के कल्याण के लिए अविस्मरणीय कार्य किए हैं।

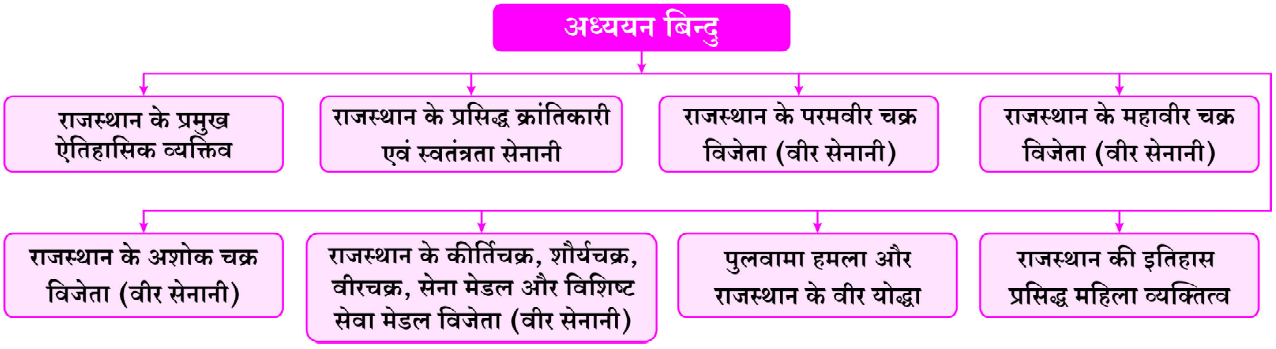

राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व

दुर्गादास राठौड़

दुर्गादास राठौड़

- **परिचय:** दुर्गादास राठौड़, स्वामीभक्त वीर योद्धा, महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। उनका जन्म **13 अगस्त, 1638** को मारवाड़ के सालवा गाँव में हुआ। वे महाराजा जसवंत सिंह की सेना में शामिल थे।
- **महाराजा अजीतसिंह की रक्षा:** महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, दुर्गादास ने उनकी रानियों और जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीतसिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ राठौड़-सिसोदिया संघ का निर्माण किया और उनकी मृत्यु (1707 ई.) तक संघर्ष जारी रखा। [J.En. 2022]
- **शहजादा अकबर का समर्थन:** दुर्गादास ने औरंगजेब के खिलाफ शहजादा अकबर का समर्थन किया। उन्होंने अकबर के पुत्र बुलन्द अख्तर और पुत्री सफीयतुनिस्सा को इस्लामी शिक्षा देकर मित्रता निभाई और धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण प्रस्तुत किया।
- **मेवाड़ प्रवास:** अजीतसिंह के साथ अनबन होने पर, दुर्गादास अपने परिवार सहित मेवाड़ चले गए और आत्मनिर्भरता का परिचय दिया।
- **मृत्यु और प्रसिद्धि:** दुर्गादास का निधन 22 नवम्बर, 1718 को उज्जैन में हुआ। उनकी वीरता के लिए मारवाड़ में यह उक्ति प्रसिद्ध है, **''मायड़ ऐसा पूत जण जैसा दुर्गादास''** (माँ ऐसी संतान को जन्म दे जैसे दुर्गादास)।
- **उपाधियां:** दुर्गादास राठौड़ को **'मारवाड़ का उद्धारक'**, **'मारवाड़ का अणबिंदिया मोती'**, **'राठौड़ों का यूलीसेस'** (जेम्स टॉड द्वारा) भी कहा जाता था। [जेल वार्डन 2018]

निहालचंद

- **किशनगढ़ चित्रकला शैली:** किशनगढ़ चित्रकला शैली को अपने शिखर पर पहुँचाने का श्रेय निहालचंद को जाता है। वह किशनगढ़ के शासक सावंतसिंह के दरबार में चित्रकार थे।
- **प्रसिद्ध चित्र 'बनी-ठनी':** निहालचंद ने सावंतसिंह और उनकी प्रेयसी बनी-ठनी को राधा-कृष्ण के रूप में चित्रित किया। बनी-ठनी को **एरिक डिकिन्सन** ने 'भारतीय मोनालिसा' कहा है।

दुरसा आढ़ा

- **देशभक्ति का यशोगान:** अकबर के समकालीन दुरसा आढ़ा ने महाराणा प्रताप और राव चन्द्रसेन की देशभक्ति का गुणगान किया।
- **प्रमुख रचनाएँ:** उनकी प्रमुख रचनाओं में **'विरुद्ध छहत्तरी'** (सबसे प्रसिद्ध), **किरतार बावनी** और **'वीरम देव सोलंकी रा दूहा'** शामिल हैं।

दयालदास

- **बीकानेर का इतिहास:** दयालदास, जिन्होंने 1798 ई. में बीकानेर के कुड़िया गाँव में जन्म लिया, ने **'बीकानेर रै राठौड़ां री ख्यात'** की रचना की।
- **राठौड़ वंश का इतिहास:** इस ख्यात में राठौड़ वंश की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदारसिंह के राज्यारोहण (1851 ई.) तक का विस्तृत इतिहास है।
- **महत्त्वपूर्ण स्रोत:** यह रचना बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल-मराठा संबंधों और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसमें फरमान, निशान आदि का राजस्थानी में अनुवाद भी शामिल है।

नारायणी देवी वर्मा	❖ **जन्म:** इनका जन्म मध्य प्रदेश के सिंगोली में हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थीं। ❖ **स्वतंत्रता संग्राम में योगदान:** इन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ❖ **महिला शिक्षा और जागरुकता:** महिलाओं की शिक्षा और जागरुकता के उद्देश्य से इन्होंने 1944 में भीलवाड़ा में **महिला आश्रम** की स्थापना की। [वनपाल 2022] ❖ **परिवार का योगदान:** इनकी पुत्री स्नेहलता वर्मा ने भी अपने पिता माणिक्यलाल वर्मा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
लक्ष्मी देवी आचार्य	❖ **स्वतंत्रता संग्राम में योगदान:** ये बीकानेर प्रजामंडल की संस्थापक सदस्य थीं और उन्होंने 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, जिसके कारण दो बार जेल भी गई। ❖ **व्यक्तिगत सत्याग्रह:** 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया और गिरफ्तार हुई।
सत्यभामा	❖ इन्हें **गाँधीजी की मानस पुत्री** कहा जाता है।
सीतादेवी	❖ नीमूचाणा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया।
मणिबहन पंड्या	❖ भोगीलाल पंड्या की धर्मपत्नी एवं स्वतंत्रता सेनानी। मणिबहन पंड्या **बागड़बा** उपनाम से भी जाना जाता है।
सत्यवती शर्मा	❖ इन्होंने भरतपुर प्रजामण्डल आन्दोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया।
कमला देवी	❖ राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार इन्होंने अजमेर से प्रकाशित **प्रकाश** नामक पत्र लेखन आरम्भ किया।
यशोदा देवी	❖ 1953 के उपचुनाव में बाँसवाड़ा विधानसभा सीट से जीतकर **राज्य की प्रथम महिला विधायक** बनी।
शारदा भार्गव	❖ 1952 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर **राज्य की पहली महिला सांसद** बनी।
कमला बेनीवाल	❖ **राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री** एवं **प्रथम महिला उपमुख्यमंत्री** तथा गुजरात, त्रिपुरा व मिजोरम को राज्यपाल रही।
रानी कर्मावती	❖ महाराणा सांगा की महारानी कर्मावती ने 1534 में गुजरात के बहादुरशाह के आक्रमण के विरुद्ध हुमायूँ को राखी भेजकर सहायता माँगी थी।
गोरां धाय (मारवाड़ की पन्नाधाय) [REET (L-1) 2023]	❖ मारवाड़ के अजीत सिंह की धाय माँ थी, इन्होंने अजीत सिंह की रक्षार्थ अपने पुत्र का बलिदान किया था। गोराधाय बावड़ी एवं 6 खंभों की छतरी जोधपुर में स्थित है।
हाड़ी रानी	❖ **वीरता की मिसाल:** रानी चूँडावत, सलूम्बर के चूँडावत सरदार राव रतनसिंह की पत्नी थीं, जिनकी वीरता और साहस को राजस्थान के इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। ❖ **प्रसिद्ध कविता:** प्रसिद्ध कवि **मेघराज मुकुल** ने उनकी वीरता पर आधारित ''सैनाणी'' नामक कविता लिखी, जिसमें उनकी बहादुरी को ये पंक्तियाँ समर्पित की गई हैं – **''चूँडावत माँगी सैनाणी सिर काट दे दियो क्षत्राणी।''**
चारुमती	❖ किशनगढ़ के राजा रूपसिंह की राजकुमारी जिससे मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने उसके धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के विरुद्ध विवाह किया।
शांता त्रिवेदी	❖ **जन्म:** नागपुर, महाराष्ट्र में। इन्होंने 1947 ई. में उदयपुर में **'राजस्थान महिला परिषद'** की स्थापना की थी। [वनरक्षक 2022]
कमला स्वाधीन	❖ यह भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी। [लवण निरीक्षक 2019]
डॉ. गिरिजा व्यास	❖ केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली राजस्थान की पहली महिला सांसद तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम राजस्थानी महिला।
रूमा देवी	❖ **प्रशिक्षण और रोजगार सृजन:** बाड़मेर के रावतसर में जन्मी रूमादेवी ने कसीदाकारी का हुनर सिखाकर लगभग 22,000 महिलाओं को रोजगार दिया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनीं। ❖ **स्त्री शक्ति पुरस्कार:** 2018 में, महिलाओं को सशक्त बनाने में योगदान के लिए उन्हें स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ❖ **स्टेट ब्रांड एम्बेसडर:** राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के कार्यक्रम में, उन्हें दिसंबर 2021 में स्टेट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, जहाँ उनकी पहचान एक अंतरराष्ट्रीय फैशन डिजाइनर के रूप में स्थापित हुई।

1 राजस्थान की स्थापत्य कला [Architecture of Rajasthan]

स्थापत्य: संस्कृति और इतिहास की झलक

- मानव सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य एक ऐसी शृंखला है, जो सदियों की बिखरी कड़ियों को जोड़कर समाज की असली सांस्कृतिक तस्वीर प्रस्तुत करती है।
- प्राचीन और आधुनिक इतिहास की संस्कृतियों को समझने में स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है।
- इसी कारण राजस्थानी कहावत में कहा गया है, **''नावं गीतड़ा नूं भीतड़ा सूं रहवे''** अर्थात स्मृति या तो गीतों में जीवित रहती है या स्थापत्य में।
- राजस्थान की अनोखी भौगोलिक स्थिति ने यहां के स्थापत्य में विविधता लाई है, जो मंदिरों, किलों, महलों और हवेलियों के रूप में यहाँ के गौरवशाली अतीत को दर्शाती है।

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य– प्रमुख दुर्ग
- राजस्थान के प्रमुख स्मारक– महल, हवेलियाँ, छतरियाँ, बावड़ियाँ
- राजस्थान में मंदिर स्थापत्य– वास्तुशैलियाँ, प्रमुख मंदिर
- राजस्थान में विश्व विरासत के महत्त्वपूर्ण स्थल

राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य

- **राजस्थान के दुर्गों का विशेष महत्त्व:** राजस्थान में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सबसे अधिक दुर्ग बने हैं, जो इस क्षेत्र के शिल्प और स्थापत्य की धरोहर हैं।
- **दुर्ग स्थापत्य का विकास:** राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे पुराना उदाहरण **कालीबंगा** की खुदाई में मिलता है।
- **मौर्य, गुप्त और बाद के युग:** इन कालों में दुर्ग निर्माण में मंदिरों और जलाशयों को विशेष रूप से महत्त्व दिया गया।
- **तुर्क–अफगान शासन काल (13वीं सदी):** इस काल में सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया और दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर बनाए जाने लगे।
- **मुगल–राजपूत संबंधों का प्रभाव:** मुगलों के साथ संबंध मधुर होने पर राजपूत शासकों ने पहाड़ों से नीचे आकर समतल मैदानों में दुर्गों का निर्माण किया, जैसे- बीकानेर, जयपुर और भरतपुर।
- **शुक्रनीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार (नौ प्रकार)**

[Grade 3rd Sanskrit (L-2) 2026, वाहन चालक 2025]

1. **औदक दुर्ग (जलदुर्ग):** जो दुर्ग बड़े जलाशयों से घिरा हो, जैसे- गागरोण दुर्ग। [SI 2026, वनपाल 2022]
2. **गिरि दुर्ग:** जो ऊंचे पहाड़ पर स्थित हो। जैसे- चित्तौड़गढ़, रणथम्भौर, कुम्भलगढ़, जालौर दुर्ग। [SI 2026, Agri. Supervisor 2026]
3. **धान्वन दुर्ग:** मरुभूमि में बना दुर्ग, जैसे- जैसलमेर दुर्ग। [SI 2026]
4. **वन दुर्ग:** घने जंगल में स्थित दुर्ग, जैसे- सिवाना दुर्ग, रणथम्भौर दुर्ग।
5. **पारिख दुर्ग:** जिसके चारों ओर बड़ी खाई हो, जैसे- भरतपुर और बीकानेर दुर्ग। [Grade 3rd Sci/Math 2023]
6. **एरण दुर्ग:** जिनका मार्ग खाई, कांटे और पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे- चित्तौड़ और जालौर के दुर्ग। [SI 2026]
7. **पारिध दुर्ग:** जिसके चारों ओर बड़ी-बड़ी दीवारों का परकोटा हो, जैसे- चित्तौड़, जैसलमेर।
8. **सैन्य दुर्ग:** जहां कुशल सैनिक युद्ध की तैयारी में रहते हों। [Agriculture Supervisor 2026, [CET(10+2) 2024]
9. **सहाय दुर्ग:** जिसमें शूरवीर और समर्थ सहयोगी रहते हों।

नोटः– यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रमुख दुर्ग: राज्य के 6 पहाड़ी किलों चित्तौड़गढ़, आमेर, रणथम्भौर, गागरोन, जैसलमेर और कुम्भलगढ़ को वर्ष 2013 में नोमपेन्ह में आयोजित वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली।

राजस्थान के प्रमुख दुर्ग

चित्तौड़गढ़ दुर्ग

- **चित्तौड़गढ़ दुर्ग का महत्त्व:** इसे **'राजस्थान का गौरव'** और **'गढ़ों का सिरमौर'** कहा जाता है। मध्यकाल में यह दुर्ग दिल्ली–मालवा–गुजरात मार्ग पर स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण था।
- **निर्माण और इतिहास:**
  - वीर विनोद एवं कुमारपाल प्रबंध के अनुसार मौर्य शासक **चित्रांग मौर्य** [वनरक्षक 2022, संगणक 2024] ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया और इसे **चित्रकोट** दुर्ग नाम दिया।
  - 8वीं शताब्दी में **बप्पारावल** ने अंतिम मौर्य शासक मान मोरी को पराजित कर इस पर अधिकार किया।
- **स्थान:** यह दुर्ग **'मेसा के पठार'** पर स्थित है और इसमें **सात अभेद्य प्रवेश द्वार** हैं—पाडनपोल (प्रथम प्रवेश द्वार) , भैरवपोल, हनुमानपोल, गणेशपोल, जोड़लापोल, लक्ष्मणपोल और रामपोल (मुख्य प्रवेश द्वार)।
- इस दुर्ग के मुख्य दरवाजे पाडनपोल के पार्श्व में प्रतापगढ़ के रावत बाघसिंह का स्मारक है, जो चित्तौड़ के दूसरे साके के समय बहादुरशाह के आक्रमण के दौरान वीरगति को प्राप्त हुआ था।
- भैरवपोल का नाम देसूरी के भैरूसिंह सोलंकी के नाम पर है, जो

2 राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ [Various Styles of Painting in Rajasthan]

राजस्थान की समृद्ध चित्रकला परंपरा

- **समृद्ध चित्रकला परंपरा:** राजस्थान अपने मंदिरों, महलों, हवेलियों में विविध चित्र शैलियों से सुसज्जित है।
- **विभाजन और उद्गम:** राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन **1916** में **आनन्द कुमार स्वामी** [VDO 2021] ने अपनी पुस्तक **'राजपूत पेंटिंग्स'** [JEN Mech. Dip. 2022] में किया। इसका उद्गम गुजरात की जैन अपभ्रंश शैली से माना जाता है, जिसका पहला प्रभाव मेवाड़ पर देखा गया।
- **प्रभाव:** कालांतर में राजस्थानी चित्रकला पर स्थानीय विशेषताओं, मुगल शैली, कंपनी शैली और कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ा।

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएँ
- राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ
  - मेवाड़ स्कूल
    - चावण्ड शैली
    - उदयपुर शैली
    - नाथद्वारा शैली
    - देवगढ़ उपशैली
    - सावर उपशैली
    - शाहपुरा उपशैली
    - बेगूँ, बनेडा, बागौर, केलवा ठिकानों की कला
  - मारवाड़ स्कूल
    - जोधपुर शैली
    - बीकानेर शैली
    - किशनगढ़ शैली
    - अजमेर शैली
    - नागौर शैली
    - जैसलमेर शैली
    - घाणेराव, रियाँ, भिनाय, जूनियाँ आदि ठिकानों की कला।
  - हाड़ौती स्कूल
    - बूँदी शैली
    - कोटा शैली
    - झालावाड़ उपशैली
  - ढूँढ़ाड़ स्कूल
    - आमेर शैली
    - जयपुर शैली
    - शेखावाटी शैली
    - अलवर शैली
    - उणियारा उपशैली
    - झिलाय, ईसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकानों की कला।
- लोक चित्रण की परम्पराएँ

राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएँ [चतुर्थ श्रेणी 2025]

- लोक जीवन से जुड़ी भावनाएँ, विविध विषय-वस्तु और रंगों का अनूठा संयोजन।
- धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर भक्ति और शृंगार के सजीव चित्र।
- विभिन्न ऋतुओं और उनके मानव जीवन पर प्रभावों का शृंगारिक चित्रण।
- प्राकृतिक सौंदर्य के साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण, जो राजस्थानी चित्रकला को विशेष पहचान देता है।
- यह कला राजाओं और सामंतों के संरक्षण में विकसित हुई, इसलिए महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक दिखाई देती है।
- जैन, गुजराज और अपभ्रंश शैलियों का प्रारंभिक प्रभाव; बाद में मुगल शैली से राजसी तड़क-भड़क और विलासिता का समावेश।

नोट:-
- ✧ **प्रारंभिक चित्रण परंपरा:** राजस्थान में आलनिया, दर्रा (कोटा), बैराठ (कोटपूतली-बहरोड़) और गरदड़ा (बूंदी) जैसे स्थानों पर शैलाश्रयों में आदिमानव द्वारा बनाए गए रेखा चित्र पाए गए हैं।
- ✧ **शैलचित्रों की खोज:** 1953 में **वी.एस. वाकणकर** द्वारा कोटा के दर्रा, चंबल घाटी, कालीसिंध घाटी (झालावाड़), माउंट आबू और ईडर (गुजरात) के चित्रित शैलाश्रयों की खोज की गई।

- भौगोलिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को चार भागों में बांटा गया है, इन्हें **'स्कूल'** कहा जाता है जो निम्न है—**मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूँढाड़ स्कूल** एवं **हाडौती स्कूल**।

मेवाड़ स्कूल

- **अजन्ता शैली का प्रभाव:** मेवाड़, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि [वनरक्षक 2022] है और अजन्ता शैली से प्रभावित है। यहाँ राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक स्वरूप मिलता है।
- **प्रारंभिक चित्रण:** मेवाड़ शैली में **पोथी ग्रंथों का चित्रण** प्रमुख है। 1260 ई. का **''श्रावकप्रतिक्रमण सूत्रचूर्णि''** [Grade 3rd Eng. (L-2) 2026, REET (L-2) 2025, 2023] मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, जो तेजसिंह के शासन में कमलचंद्र द्वारा चित्रित किया गया।
- **प्रमुख कृतियाँ:** 1423 ई. में देलवाड़ा में चित्रित **''सुपानसाह चरियम्''** और उदयसिंह के काल में 1540 ई. नानाराम [Lecturer & Coach (School Edu.) 2025] की कृति भागवत पुरान का **''परिजात अवतरण''** [Grade 2nd 2025] भी मेवाड़ शैली के उदाहरण हैं।
- **'गीत गोविंद सार'** नामक चित्र ग्रंथ का संबंध भी मेवाड़ चित्र शैली से है। यह जयदेव के प्रसिद्ध काव्य 'गीत गोविंद' पर आधारित चित्रों का संग्रह है। जो राधा-कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता है। [टैक्स असिस्टेंट 2018]

3 राजस्थान में प्रमुख हस्तशिल्प [Major Handicrafts in Rajasthan]

राजस्थान की हस्तशिल्प कला

❖ **राजस्थान की पहचान:** राजस्थान को **''हस्तशिल्प कलाओं का खजाना''** कहा जाता है, और इसकी राजधानी जयपुर को **''हस्तकलाओं का तीर्थ''** माना जाता है। यहाँ के हस्तशिल्प भारत और वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हैं।

ब्ल्यू पॉटरी (जयपुर) [VDO 2025, Grade 3rd Eng. 2023]

❖ **ब्ल्यू पॉटरी का इतिहास:** जयपुर [Patwar 2025, JEN Mech. 2020] में ब्ल्यू पॉटरी का आरंभ **महाराजा रामसिंह** (1835-1880 ई.) [जेल वार्डन 2018, टैक्स असिस्टेंट 2018] के शासनकाल में हुआ। यह कला मूल रूप से चीन और फारस से आई थी और मुगल काल में भारत पहुँची। पहले इसे **'काम चीनी'** के नाम से जाना जाता था।

❖ **मुख्य कलाकार:** जयपुर के कालू कुम्हार और चूड़ामन ने दिल्ली के 'भोला' नामक कलाकार से यह कला सीखी।

❖ **कला का स्वरूप:** इसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों पर देवी-देवताओं, फूल-पत्तियों आदि की चित्रकारी की जाती है। तैयार बर्तनों को 800 सेंटीग्रेड ताप पर पकाया जाता है।

❖ **रंगों का संयोजन:** इसमें नीला, हरा, मटियाला और तांबे जैसे रंगों का मुख्यतः प्रयोग होता है।

❖ **विशेष मान्यता:** ब्ल्यू पॉटरी को 2009 में और 2016 (लोगो) में दो अलग-अलग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (G.I.) मिला।

❖ **सम्मान:** जयपुर के **कृपालसिंह शेखावत**, [VDO 2025, वनपाल 2022] जिन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई, को **पद्मश्री** और **शिल्प गुरु** अवार्ड से सम्मानित किया गया। **नाथीबाई** भी इस कला की प्रमुख कलाकार थीं।

❖ **अन्य प्रकार की पॉटरी:**
- ✧ **ब्लैक पॉटरी:** कोटा की प्रसिद्ध।
- ✧ **सुनहरी पॉटरी:** बीकानेर की प्रसिद्ध।
- ✧ **कागजी पॉटरी:** अलवर की विशेषता।
- ✧ **पोकरण पॉटरी:** जैसलमेर की विशेष पॉटरी, जिसे 2018 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (G.I.) प्राप्त हुआ।

मीनाकारी (जयपुर)

❖ **शुरुआत:** यह कला जयपुर में **महाराजा मानसिंह प्रथम** (1589-1614 ई.) [JEN Mech. Dip. 2020] के समय लाहौर से लाई गई। [Grade 3rd Sci/Math 2023, वनपाल 2022] मूलतः यह **फारसी कला** है।

❖ **विशेषता:** आभूषणों पर मीनाकारी के लिए जयपुर को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। यहाँ सोने, चाँदी, और ताँबे पर मीनाकारी की जाती है।

❖ **अन्य स्थान:** जयपुर के अलावा **नाथद्वारा** और **बीकानेर** में भी मीनाकारी का काम होता है। [Agriculture Supervisor 2026]

❖ **रंग संयोजन:** परंपरागत रूप से सोने पर मीनाकारी के लिए काले, नीले, गहरे पीले, नारंगी और गुलाबी रंगों का प्रयोग होता है।

❖ **तकनीक:** आभूषणों पर रेखाएँ गहरी करके उनमें काँच के रंग पीसकर भरे जाते हैं। जयपुर के कलाकार लाल रंग बनाने में विशेष रूप से कुशल हैं।

❖ **प्रसिद्ध कलाकार:** जयपुर के **कुदरत सिंह** [उद्योग निरीक्षक 2018] को मीनाकारी के लिए 'पद्मश्री' (1988 ई.) से सम्मानित किया गया। अन्य प्रसिद्ध कारीगरों में **काशीनाथ, दुर्गासिंह** और **कैलाशचन्द्र** शामिल हैं।

❖ **मीनाकारी के प्रमुख केन्द्र:**
- ✧ **सोने पर मीनाकारी :** प्रतापगढ़
- ✧ **चाँदी पर मीनाकारी :** नाथद्वारा (राजसमंद)
- ✧ **पीतल पर मीनाकारी :** जयपुर, अलवर
- ✧ **ताँबे पर मीनाकारी :** भीलवाड़ा
- ✧ **मार्बल पर मीनाकारी :** जयपुर
- ✧ **कागज जैसे पत्थर पर मीनाकारी :** बीकानेर

कुट्टी का काम (जयपुर)

❖ **शुरुआत: महाराजा रामसिंह** के शासन (1835-1880 ई.) से जयपुर कुट्टी के काम के लिए प्रसिद्ध है।

❖ **तकनीक:** इसमें कागज, चाक, मिट्टी और गोंद की लुगदी को साँचों में दबाकर चौपाये पशु, पक्षी आदि की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। सूखने के बाद इन्हें खड़िया मिट्टी से फिनिशिंग देकर इच्छित रंगों से रंगा जाता है।

❖ **प्रसिद्ध कलाकार:** साँवलसिंह, जमनाप्रसाद, बालचन्द, कान्तिप्रसाद, केवरसिंह एवं श्रीचन्द।

गलीचे और दरियाँ (जयपुर)

❖ **विशेषता:** मोटे कपड़े से घनी कलात्मक दरी को गलीचा कहा जाता है। जयपुर अपने गलीचा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के गलीचे बारीक धागे, गहरे रंग, सुंदर डिजाइन और शिल्प कौशल के लिए मशहूर हैं।

❖ मिर्ज़ा राजा जयसिंह को ईरान के शाह अब्बास द्वारा एक गलीचा भेंट किया गया, जो वर्तमान में राजकीय संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित है।

❖ गलीचा का प्रमुख केन्द्र - जयपुर एवं बीकानेर की सेन्ट्रल जेल।

❖ जयपुर, बीकानेर, ब्यावर, किशनगढ़, टोंक, मालपुरा, केकड़ी, भीलवाड़ा तथा कोटा में गलीचे बनाने का काम पुराने समय से तथा बड़े पैमाने पर होता है।

❖ राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र RAJSICO संचालित करता है।

4 राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा एवं विरासत-वस्त्र एवं आभूषण, रीति-रिवाज
[Cultural Tradition and Heritage of Rajasthan-Clothes & Ornaments, Customs]

राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण

❖ **वस्त्रों में लाल रंग की प्रधानता:** राजस्थान के वस्त्रों में विशेष रूप से कसूमल (लाल रंग) [वनरक्षक 2022] प्रमुख है, जिसे यहाँ का प्रतीक माना गया है।

पुरुषों के परिधान:

❖ **प्राचीन वस्त्र प्रचलन:** कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के समय से ही सूती वस्त्रों का प्रचलन था।
❖ **साधारण परिधान:** ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर पुरुष केवल धोती और पछेवड़ा पहनते हैं।
❖ **सर्दी में अंगरखी का प्रयोग:** सर्दियों में पारंपरिक रूप से अंगरखी पहनी जाती है, जो जाँघों तक लंबी होती है।
❖ **मुगलकालीन राजस्थानी पगड़ियाँ:** अटपटी, अमरशाही, [टैक्स असिस्टेंट 2018] उदेशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही [REET (L-2) 2023] और शाहजहाँनी पगड़ियाँ प्रचलन में आई। [वनपाल 2022]
❖ **पगड़ी:** पगड़ी राजस्थान में मान-सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर मारवाड़ी पगड़ी प्रसिद्ध राजस्थानी पोशाक है। [चतुर्थ श्रेणी 2025]
❖ **विभिन्न अवसरों पर पगड़ी के प्रकार:** विवाह पर मोठड़े की पगड़ी, शोक में सफेद पगड़ी, सावन में लहरिया, दशहरे पर मदील, होली पर फूल-पत्ती की पगड़ी, अक्षय तृतीया पर केसरिया पगड़ी, और वर्षा ऋतु में हरी या कसूमल पगड़ी।
❖ **पगड़ी सजावट:** पगड़ी को आकर्षक बनाने के लिए तुर्रा, सरपेच, बालाबंदी, धुगधुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, और फतेपैच जैसे सजावटी तत्वों का उपयोग होता था।
❖ उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा भी बाँधते थे।
❖ **जामा:** विवाह या युद्ध के समय शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला परिधान।
❖ **चोगा:** सम्पन्न वर्ग द्वारा अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला रेशमी या ऊनी वस्त्र।
❖ **आतमसुख:** सर्दियों में पहनने के लिए रुईदार वस्त्र, जो गले से टखनों तक लंबा होता है।
❖ **कमरबंध/पटका:** अंगरखी के ऊपर कमर पर बाँधा जाने वाला वस्त्र, जिसमें तलवार या कटार घुसी रहती है।
❖ **बिरजिस/ब्रीजेस:** चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहना जाने वाला वस्त्र, खासतौर पर घुड़सवारी या शिकार के समय।
❖ **पछेवड़ा:** सर्दियों में ओढ़ने वाला कम्बल जैसा वस्त्र।
❖ **खेस:** सर्दियों में कंधों पर डाला जाने वाला ऊनी वस्त्र।
❖ **अमोवा:** खाकी रंग का वस्त्र, जो विशेष रूप से शिकार के लिए उपयोग होता था।
❖ **अंगरखी:** पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्रों में इसे **'बुगतरी'** भी कहते हैं। अंगरखी को मिरजाई, दुतई, डगला, गाबा, गदर, कानो, डोढी भी कहा जाता है। [परिचालक 2025, VDO 2021]
❖ **तहमद:** कमर पर बाँधा जाने वाला चद्दरनुमा वस्त्र, जिसे **'लुंगी'** भी कहते हैं।
❖ **धोती (धोवती):** कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र धोती या धोवती कहलाता है। यह तीन तरीकों से पहनी जाती थी - एकलंगी, दो लांग वाली एवं लपेटने वाली धोती।
❖ **पायजामा:** अंगरखी, चुगा और जामे के नीचे कमर व पैरों में पहना जाने वाला वस्त्र पायजामा कहलाता है। यह चूड़ीदार से ढीला होता है तथा सादा कपड़े का लाइनदार, चमकीला या गहरे रंग के प्रिंट का छपा हुआ होता है।
❖ **अंगोछा:** यह पुरुषों का वस्त्र है, जिसे सिर पर बाँधते हैं। इस पर मिट्टी जैसे लाल या सफेद रंग के बेल-बूटे छपे होते हैं तथा किनारे व पल्ले पर कंगूरा छपा होता है। इसमें केरी भांत का अंगोछा बहुत लोकप्रिय है।
❖ **पंछा:** यह सहरिया आदिवासी पुरुषों की धोती है। इनका साफा **'खपटा'** तथा अंगरखी **'सलूका'** कहलाती है।
❖ **मलागिरी (मलयगिरी):** चन्दन की सुगंध में रंगा हुआ भूरे रंग का वस्त्र, जो लंबे समय तक सुगंधित रहता है। [Assistant Professor (College Edu.) 2025]

नोटः- जयपुर के सिटी पैलेस में सवाई रामसिंह द्वितीय की अंगरखियाँ आज भी सुगंधित हैं।

❖ **जोधपुरी कोट:** जोधपुर का प्रसिद्ध कोट, जिसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है।
❖ **पटु:** पश्चिमी राजस्थान में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला ऊनी वस्त्र।
❖ **सोवड़/सौड़:** ऊन से बनी रजाई और गद्दे को सोवड़ कहा जाता है।
❖ **लोई:** ऊन या सूत से बनी गर्म चादर, जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है।
❖ **भाकला/भाकलियो:** दरी जैसे वस्त्र, जिसे ऊँट के बालों से बनाया जाता है और पश्चिमी राजस्थान में सर्दी से बचने के लिए उपयोग किया जाता है।
❖ **कौपीन:** साधु-सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र।
❖ **ढेपाड़ा:** भील समुदाय के लोग तंग धोती को ढेपाड़ा कहते हैं।
❖ **पोत्या:** भील समुदाय द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला साफा।
❖ **पांतियो:** एक लंबा दरीनुमा वस्त्र, जो जमीन पर बैठकर भोजन करने के लिए बिछाया जाता है।

राजस्थान में स्त्रियों के परिधान

❖ **पोमचा:** [वनपाल 2022] कमल फूल की आकृति वाली ओढ़नी [Lecturer & Coach (School Edu.) 2025], जो नवजात शिशु की माँ को मातृपक्ष से उपहार में दी जाती है। बेटे के जन्म पर **पीला पोमचा** और बेटी के जन्म पर **गुलाबी पोमचा** दिया जाता है। [Grade 3rd (L-1) 2026]

5 राजस्थान के मेले व त्योहार [Fairs and Festivals of Rajasthan]

✧ **राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति:** सम्पूर्ण भारत में राजस्थान अपनी रंग-बिरंगी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ के मेलों और त्योहारों में झलकती है। [Agriculture Supervisor 2026]

✧ **सामाजिक समरसता और पर्यटन का प्रोत्साहन:** यहाँ सालभर होने वाले मेलों का आयोजन सामाजिक समरसता को मजबूत करता है और लोककला व पर्यटन को बढ़ावा देता है।

✧ **''सात वार, नौ त्योहार'':** राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है - ''सात वार, नौ त्योहार,'' जो यहाँ के पर्वों और त्योहारों की निरंतरता और रंगीन जीवन का प्रतीक है।

✧ **खुशियों और उत्साह का प्रतीक:** ये पर्व और त्योहार लोगों के जीवन में खुशी और उमंग का संचार करते हैं, जिससे उनका दैनिक जीवन उत्साह और उमंग से भर जाता है।

राजस्थान के प्रमुख मेले

पुष्कर मेला [Agriculture Supervisor 2026]

❖ **आस्था का केन्द्र:** अजमेर का पुष्कर हिन्दू आस्था का एक महत्त्वपूर्ण स्थल है, जो श्रद्धालुओं के लिए खास है।

❖ **राजस्थान का सबसे बड़ा मेला:** कार्तिक पूर्णिमा [BSTC 2025] [जेल वार्डन 2018] पर आयोजित होने वाला पुष्कर मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला माना जाता है।

❖ **देशी-विदेशी पर्यटकों का आकर्षण:** इस मेले में लाखों देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं, इसलिए इसे **'लक्खी मेला'** भी कहा जाता है।

❖ **धार्मिक स्थल:** यहाँ **ब्रह्मा जी का मंदिर**, **सावित्री माता का मंदिर**, और **पुष्कर सरोवर** का विशेष धार्मिक महत्त्व है। कार्तिक माह में सरोवर में दीपदान करना एक पौराणिक परंपरा है।

❖ **पशुओं का मेला:** यहाँ नागौरी बैल, जैसलमेरी और बीकानेरी ऊँट, घोड़े और अन्य मवेशियों का क्रय-विक्रय भी इस मेले की मुख्य विशेषता है।

जीणमाता मेला

❖ **मंदिर का स्थान:** सीकर [CET(10+2) 2024] जिले के रैवासा गाँव की **हर्ष पहाड़ी** पर स्थित जीणमाता के मंदिर में देवी जीणमाता की **अष्टभुजी प्रतिमा** है। प्रतिमा के सामने घी और तेल के दो दीपक वर्षों से अखंड प्रज्वलित हैं।

❖ **मेला आयोजन:** हर साल दो बार **चैत्र** और **आश्विन मास** के नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है, जिसमें राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं।

❖ **आस्था का केंद्र:** मुख्य रूप से राजपूत और मीणा समुदाय के लोग इस देवी की पूजा-अर्चना करते हैं।

खाटूश्याम जी मेला [Grade 3rd Sanskrit (L-2) 2026]

❖ **मंदिर का महत्त्व:** सीकर जिले में स्थित खाटूश्याम जी के मंदिर को **''शीश के दानी''** के रूप में ख्याति प्राप्त है।

❖ **लक्खी मेला:** फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक यहाँ 'लक्खी मेला' लगता है, जो श्रद्धालुओं का मुख्य आकर्षण है।

❖ **दर्शनीय स्थल:** यहाँ स्थित **श्याम बगीचा** और **पवित्र कुण्ड** विशेष दर्शनीय स्थल हैं, जहाँ भक्त दर्शन और पूजन करते हैं।

भर्तृहरि का मेला

❖ **स्थान:** अलवर से 40 कि.मी. दूर सरिस्का के जंगलों में स्थित राजा भर्तृहरि की तपोस्थली पर, हर साल **वैशाख** और **भाद्रपद** में 'लक्खी मेला' लगता है।
[Platoon Commander-II 2025, BSTC 2025, Grade III 2023, स्टेनोग्राफर 2024]

❖ **विशेष आकर्षण:** मेला लघु कुंभ का आभास देता है, जिसमें भस्म मले हुए, चिमटा और कमंडल धारण किए साधु और लंबी दाढ़ी-बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबा शामिल होते हैं।

❖ **कालबेलिया नृत्य:** इस मेले का मुख्य आकर्षण कालबेलिया नृत्य है, जो दर्शकों को आकर्षित करता है।

डिग्गी के कल्याण का मेला

❖ **स्थान:** टोंक [CET(10+2) 2024] जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी (डिग्गी गांव) [लवण निरीक्षक 2019] में **भगवान विष्णु** के रूप में राजा कल्याणजी का मेला श्रावण मास की अमावस्या को लगता है।

❖ **पौराणिक कथा:** इस मेले से राजा डिग्व और उर्वशी की कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि विष्णु भगवान की प्रतिमा के दर्शन से राजा डिग्व का कुष्ठ रोग ठीक हुआ, जिसके बाद उन्होंने कल्याणजी का मंदिर बनवाया।

❖ **श्रद्धालुओं की भीड़:** इस मेले में राजस्थान के अलावा बंगाल, बिहार, असम आदि से भी श्रद्धालु शामिल होते हैं।

श्री महावीर जी मेला

❖ **स्थान और समय:** करौली जिले के हिण्डौन तहसील में **गंभीर नदी** के तट पर स्थित चांदन गाँव में, 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की स्मृति में 'चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा' तक प्रतिवर्ष लक्खी मेला लगता है।

6 राजस्थान में लोक संगीत एवं वाद्य यंत्र
[Folk Music & Musical Instruments in Rajasthan]

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान में लोक संगीत/शास्त्रीय संगीत
  - जन सामान्य के लोक गीत
    - संस्कार संबंधी लोकगीत
    - ऋतु संबंधी लोकगीत
    - त्योंहार/पर्व संबंधी गीत
    - लोकदेवताओं से संबंधित लोकगीत
    - लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले गीत
  - व्यवसायिक जातियों के लोकगीत
    - लंगा गायिकी
    - मांगणियार गायिकी
    - मांड गायिकी
    - अन्य पेशेवर जातियाँ
  - क्षेत्रीय लोक गीत
    - मरू प्रदेश के गीत
    - पर्वतीय क्षेत्र के गीत
    - मैदानी क्षेत्रों के गीत
- राजस्थान के लोक वाद्य

राजस्थान में लोक संगीत

- **लोक संगीत का महत्त्व:** लोक संगीत जनसाधारण की भावनाओं का प्रतिबिंब है और इसका मूल आधार लोक गीत हैं, जिन्हें उत्सवों और अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से गाया जाता है।
- **महात्मा गांधी का विचार:** गांधीजी के अनुसार, ''लोक गीत ही जनता की भाषा हैं और ये हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं।''
- **रवीन्द्रनाथ टैगोर की दृष्टि:** टैगोर ने लोक गीतों को ''संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला'' कहा है। [Jamadar 2025]
- **लोक गीत की परिभाषा:** ''स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी एंड लेजेण्ड'' में लोक गीत को एक ऐसी संगीतमयी काव्य रचना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो बिना किसी लिखित माध्यम के मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती है।
- **लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर:** शास्त्रीय संगीत का संबंध बौद्धिकता से है, जबकि लोक संगीत मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ है।
- **लोक संगीत के प्रकार:** राजस्थान के लोक संगीत को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

1. राजस्थान के जन-सामान्य के लोक गीत

संस्कार संबंधी गीत

- ये गीत जन्म, विवाह आदि संस्कारों पर गाए जाते हैं। इनमें विभिन्न अवसरों के लिए विशेष गीत शामिल हैं—
  - **जच्चा:** शिशु के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत, जिसमें गर्भवती महिला की प्रशंसा, वंश वृद्धि और शिशु की मंगलकामना की जाती है। [Grade 3rd Sanskrit (L-2) 2026]
  - **घूघरी:** बच्चे के जन्मोत्सव पर मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत।
  - **हूंस गीत:** इसमें गर्भवती महिला अपनी सास से खाने की चीजों की मांग करती है।
  - **हालरिया:** जैसलमेर क्षेत्र में बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत।
  - **बधावा:** शुभ अवसरों पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत।
  - **बना-बनी:** विवाह पूर्व वर-वधु के प्रेम और आकांक्षा का गीत। [Jamadar 2025]
  - **बिंदोला (बंदोला):** विवाह से पहले वर के रिश्तेदारों को आमंत्रित कर उनके विदा होने पर गाया जाता है।
  - **घोड़ी:** विवाह में वर निकासी के दौरान वर की घुड़चढ़ी के समय गाया जाने वाला गीत।
  - **जला:** बारात का डेरा देखने के समय वधू पक्ष की स्त्रियाँ गाती हैं।
  - **कामण:** वर को नज़र दोष से बचाने के लिए गाया जाता है।
  - **काजलियो:** वर की आँखों में काजल लगाने की रस्म पर गाया जाने वाला गीत।
  - **सीठणे:** ये गाली गीत होते हैं, जो विवाह में समधिनों द्वारा समधी पक्ष को सुनाए जाते हैं।
  - **ओल्यूँ:** बेटी की विदाई के समय गाया जाने वाला लोकगीत। [J.En. 2022]
  - **पावणां:** नए दामाद के आगमन पर गाया जाने वाला स्वागत गीत।
  - **हमसीढ़ो:** भील समुदाय के स्त्री-पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत। [चतुर्थ श्रेणी 2025, परिचालक 2025]
  - **फलसड़ा:** विवाह के अवसर पर अतिथियों के स्वागत के लिए गाया जाने वाला गीत।

नोटः- मृत्यु पर गाये जाने वाले शोक सूचक गीत 'जेराणी' कहलाते है।

- **छेड़े :** टाबर री मौत माथे (शिशु की मृत्यु पर) गाये जाने वाला गीत। [Grade 3rd Sci/Math 2023]
- **हरजस/हर के हिन्दौले :** वृद्ध की मृत्यु पर गाये जाने वाला गीत। [Grade 3rd Hindi 2023]

7 राजस्थान के लोक नृत्य एवं नाट्य [Folk Dance and Drama of Rajasthan]

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान के लोक नृत्य
  - राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रीय लोकनृत्य
  - राजस्थान के प्रमुख जातीय/जनजातीय लोकनृत्य
  - राजस्थान के प्रमुख व्यवसायिक लोकनृत्य
- राजस्थान के लोक नाट्य

राजस्थान के लोक नृत्य

❖ राजस्थान के ग्रामीणों द्वारा लयबद्ध तरीके से उत्साहपूर्वक अंग संचालन को लोक नृत्य कहते हैं। इसमें शास्त्रीय नृत्यों की तरह कठोर नियम नहीं होते, बल्कि लोक परंपराओं और मानव जीवन का सहज चित्रण होता है।

प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य [Grade 3rd Science-Maths (L-2) 2026]

घूमर नृत्य

❖ **प्रसिद्धि:** राजस्थान का 'राज्य नृत्य'।
❖ **आयोजन:** गणगौर, विवाह समारोह और अन्य मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य। [VDO 2025]
❖ **विशेषता:** इसमें लहंगे के घेरे को, जो वृत्ताकार फैलता है, **'घुम्म'** कहा जाता है।
❖ **वाद्य यंत्र:** ढोल, नगाड़ा और शहनाई का प्रयोग।
❖ **मुख्य तत्व:** बार-बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन।

बम (बमरसिया) नृत्य

❖ **प्रमुख क्षेत्र:** अलवर और भरतपुर।[SI 2026, Jail Prahari 2025, VDO 2018]
❖ **आयोजन:** पुरुषों द्वारा फागुन (फाल्गुन) की मस्ती और नई फसल की खुशी में किया जाने वाला नृत्य।
❖ **वाद्य यंत्र:** एक बड़े नगाड़े को, जिसे **'बम'** कहते हैं, बजाया जाता है।

गींदड़ नृत्य:

❖ **प्रमुख क्षेत्र:** शेखावाटी क्षेत्र। [Jamadar 2025, BSTC 2025, जेल वार्डन 2018]
❖ **आयोजन:** होली के दौरान, यह नृत्य एक सप्ताह तक चलता है।
❖ **प्रदर्शन शैली:** पुरुष नगाड़े की ताल पर दोनों हाथों में डंडों को टकराकर नृत्य करते हैं।
❖ **वाद्य यंत्र:** ढोल, डफ और चंग की संगत में होली के गीत गाए जाते हैं।
❖ **विशेषता:** कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर 'गणगौर' [Lecturer & Coach (School Edu.) 2025] का रूप धारण करते हैं। साधु, शिकारी, सेठ-सेठानी, दूल्हा-दुल्हन, सरदार, पादरी और बाजीगर जैसे स्वांग भी इसमें शामिल होते हैं।

ढोल नृत्य

❖ **प्रमुख क्षेत्र:** जालौर। [SI 2026, CET 12th 2024]
❖ **प्रसिद्धि:** इसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने लोकप्रिय बनाया।
❖ **आयोजन:** विवाह के अवसर पर माली, ढोली, सरगड़ा और भील जातियों के पुरुष इसे सामूहिक रूप से **थाकना शैली** में करते हैं।

गेर नृत्य

❖ **प्रमुख क्षेत्र:** मेवाड़ और बाड़मेर। [Jamadar 2025]
❖ **आयोजन:** होली के अवसर पर **पुरुषों द्वारा** किया जाता है। [VDO 2025]
❖ **विशेषता:** गोल घेरे में नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे **'गेर'** कहा जाता है और इसे करने वालों को **'गेरिये'** कहते हैं। [Raj. Pol. Cons. 2025]
❖ **वाद्य यंत्र:** ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग होता है।

[Patwar 2025, CET(Grad.) 2024]

डांडिया नृत्य

❖ **प्रमुख क्षेत्र:** मारवाड़ क्षेत्र।
❖ **अवसर:** होली के बाद पुरुषों द्वारा किया जाता है।
❖ **विशेषता:** इसमें होली के गीत गाए जाते हैं, जिनमें बड़ली के भैरुजी का गुणगान होता है।

घुड़ला नृत्य [Grade 3rd Social Sci. (L-2) 2026]

❖ **प्रमुख क्षेत्र:** जोधपुर। [Jamadar 2025]
❖ **विशेषता:** इस नृत्य को **केवल महिलाएं** ही करती हैं, [BSTC 2025] [स्टेनोग्राफर 2024] जिसमें सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। इस मटके को 'घुड़ला' कहा जाता है।

गरबा नृत्य

❖ **संस्कृति:** गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय।
❖ **आयोजन:** नवरात्र के दौरान दुर्गा की आराधना में किया जाता है।
❖ **प्रमुख क्षेत्र:** डूंगरपुर और बांसवाड़ा।

8 राजस्थान के धार्मिक आंदोलन : प्रमुख लोक संत एवं सम्प्रदाय
[Religious Movements of Rajasthan : Major Folk Saints and Sects]

- **राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के उदय के कारण:**
  - मध्यकालीन राजनीतिक अस्थिरता
  - उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार
  - इस्लाम का आगमन और सूफीवाद का विस्तार
- **राजस्थान में धार्मिक/भक्ति आंदोलन की दो धाराएँ:**
  1. **सगुण परंपरा:** इसमें ईश्वर को साकार रूप में माना जाता है, और उसके गुणों की उपासना की जाती है। इस परंपरा के अनुयायी मूर्तिपूजा, संगीत, नृत्य, कीर्तन और भजन के माध्यम से ईश्वर की आराधना करते हैं।
  2. **निर्गुण परंपरा:** इसमें ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति होती है। इस परंपरा के संत ध्यान, साधना और निर्गुण ईश्वर के भजनों के माध्यम से आराधना करते हैं और मूर्तिपूजा का निषेध करते हैं

राजस्थान के धार्मिक (भक्ति) आन्दोलन की मुख्य विशेषताएँ

- **ईश्वर के प्रेम और भक्ति पर बल:** भक्ति संतों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति को महत्त्वपूर्ण बताया।
- **कर्मकांडों का अस्वीकार:** विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों और अनुष्ठानों को अस्वीकार करते हुए परमेश्वर की एकता (सार्वभौमिकता) पर जोर दिया।
- **सामाजिक समानता का समर्थन:** मोक्ष की प्राप्ति में जातिगत और लैंगिक भेदभाव के परे सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया गया।
- **स्थानीय भाषाओं का प्रयोग:** भक्ति संतों ने अपने संदेशों को सरलता से समझाने के लिए स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया, जिससे आम जनता को धर्म का वास्तविक अर्थ समझ आ सके।
- **गुरु-शिष्य परंपरा:** ईश्वर से साक्षात्कार के लिए गुरु-शिष्य परंपरा को आवश्यक माना गया।
- **व्यक्तिगत संबंध:** भक्ति संतों ने ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने की शिक्षा दी।

राजस्थान में निर्गुण परंपरा के संत

संत धन्ना जी

- **धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत:** राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत संत धन्ना जी ने की। उनका जन्म 1415 ई. में टोंक जिले के धुवन गांव में एक जाट परिवार में हुआ था।
  [Jamadar 2025, Grade 3rd Sci.-Maths (L-2) 2026, Sanskrit 2023]
- **भक्ति संत रामानंद के शिष्य:** संत धन्ना, उत्तर भारत के प्रसिद्ध भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे [CET 12th 2024] और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने अपने पारंपरिक कृषि कार्य में संलग्न रहते हुए आत्म-शुद्धि का प्रयास किया।
- **गुरु भक्ति और आडंबर विरोधी दृष्टिकोण:** संत धन्ना जी गुरु भक्ति में गहरी आस्था रखते थे। उन्होंने समाज में व्याप्त औपचारिकताओं और बाहरी आडंबरों का विरोध किया।
- **रचनाएँ और सिख धर्म में योगदान:** सिखों के आदि ग्रंथ में संत धन्ना जी द्वारा रचित चार पद संकलित हैं, जो उनकी भक्ति और ज्ञान को दर्शाते हैं।
- **पैनोरमा:** उनके सम्मान में उनके जन्मस्थान **धुवन गांव** में धन्ना जी का पैनोरमा बनाया गया है, जो उनकी स्मृति और योगदान को संजोए हुए है।

संत पीपा जी

- **खींचीवंशी राजपूत और शासक:** संत पीपा खींचीवंशी राजपूत थे और झालावाड़ के गागरोण क्षेत्र [चतुर्थ श्रेणी 2025] के शासक रहे। इनके बचपन का नाम प्रतापसिंह था।
- **जन्म:** इनका जन्म 1425 ई. में गागरोन नरेश कड़ावा राव खींची (चौहान) के घर हुआ। इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती था।
  [Agriculture Supervisor 2026]
- **रामानंद के शिष्य:** संत पीपा भी भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे। उन्हें संत धन्ना जी की तरह गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति का आदेश मिला। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे। [Grade 2nd 2025]
- **मंदिर:** बाड़मेर जिले के **समदड़ी गाँव** में संत पीपा जी का भव्य मंदिर है, जहाँ हर साल **चैत्र शुक्ल पूर्णिमा** को दर्जी समाज का विशाल मेला आयोजित होता है।
- **दिल्ली के सुल्तान को पराजित किया:** शिवदास गाडण द्वारा रचित अचलदास खीची री वचनिका के अनुसार, संत पीपा ने दिल्ली के सुल्तान फिरोजशाह तुगलक को युद्ध में हराया था।
- **टोडारायसिंह में शिष्य और तपस्या:** संत पीपा ने टोंक जिले के टोडारायसिंह में तपस्या की और वहां के शासक शूरसेन को अपना शिष्य बनाया। टोडा में ही उनकी एक गुफा स्थित है, जहाँ उन्होंने साधना की थी।
- **साहित्यिक योगदान:** संत पीपा से जुड़े साहित्य में उनकी कथा, पीपा-परची, पीपा की वाणी, साखियाँ और पद शामिल हैं। उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ चितावनी जोग है।
- **मूर्ति-पूजा का विरोध:** संत पीपा ने मूर्ति-पूजा का विरोध किया और नाम-स्मरण पर जोर दिया। उन्होंने सभी प्राणियों की समानता का समर्थन किया।
- **निधन:** संत पीपा का निधन **गागरोण दुर्ग** में हुआ, जहाँ उनकी स्मृति में एक छतरी स्थापित की गई है।

संत जाम्भोजी

- **जन्म:** संत जाम्भोजी का जन्म **1451 ई.** में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन नागौर जिले के **पीपासर गांव** में एक पंवार राजपूत परिवार में

9 राजस्थान के प्रमुख लोक-देवता एवं देवियाँ [Major Folk Gods and Goddesses of Rajasthan]

- **वीर महापुरुष:** राजस्थान में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने वीरता, दृढ़ आत्मबल और साहस से समाज को नई दिशा दी।
- **धर्म और कल्याण के लिए बलिदान:** इन महापुरुषों ने प्राणिमात्र के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
- **लोक देवताओं का दर्जा:** कालांतर में इन महान वीरों को राजस्थान की जनता ने लोक देवता और देवी के रूप में पूजा और सम्मान दिया।

राजस्थान के प्रमुख लोक देवता

बाबा रामदेवजी (1405-1458 ई.)

- **जन्म और परिवार:** बाबा रामदेवजी का जन्म **1405 ई.** में भादवा सुदी द्वितीया के दिन **ऊंडू-कासमेर गाँव** के पास, शिव तहसील (बाड़मेर) में हुआ। वे तंवर वंशीय राजपूत थे। [Grade 2nd 2025] उनके पिता का नाम **अजमलजी,** माता का नाम मैणादे, पत्नी का नाम **नेतलदे** और गुरु का नाम **बालीनाथजी** था।

बाबा रामदेवजी

- **धार्मिक पहचान:** हिंदू समुदाय उन्हें भगवान **कृष्ण का अवतार** मानता है, जबकि मुस्लिम उन्हें **'रामसा पीर'** [चतुर्थ श्रेणी 2025] के रूप में पूजते हैं। [Grade 3rd (L-1) 2026, Jail Prahari 2025] मेघवाल समाज में इनके भक्त **'रिखिया'** कहलाते हैं, और उनकी धर्म-बहिन **डालीबाई** मेघवाल थीं।
- **कवि और समाज सुधारक:** रामदेवजी ने **'चौबीस वाणियाँ'** नामक ग्रंथ की रचना की और **'कामड़ पंथ'** की स्थापना की। [वनरक्षक 2022] कामड़ लोग भगवा पगड़ी बाँधते हैं और रामदेवजी के भजनों (जम्मा) का जागरण करते हैं। रामदेवजी ने **कामड़िया पंथ** [चतुर्थ श्रेणी 2025] की स्थापना की थी। इस पंथ के लोग रामदेवजी के मेले में तेरहताली नृत्य प्रस्तुत करते है।
- **लोक नृत्य:** पादरला गाँव (पाली) की कामड़ जाति की महिलाएं उनके सम्मान में **'तेरह ताली नृत्य'** करती हैं।
- **वंश और उपासना:** रामदेवजी दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर (तंवर) के वंशज थे। उनके पदचिह्नों (पगलियों) की पूजा की जाती है, और उनके मंदिरों पर पंचरंगी ध्वजा **(नेजा)** फहराई जाती है।
- **रामदेवरा का मेला:** हर साल रामदेवरा (रूणेचा) गाँव में उनकी समाधि पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला आयोजित होता है, जो साम्प्रदायिक और जातिगत सद्भाव का प्रतीक है।
- **बाबेरी बीज:** भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को 'बाबेरी बीज' (दूज) के नाम से जाना जाता है।
- **लोक परंपराएं:** उनके चमत्कारों को **'पर्चा'** कहा जाता है, और उनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को **'ब्यावले'** कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी वृक्ष के नीचे ऊँचे चबूतरे पर उनके प्रतीक चिह्न **'पगलिये'** स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें **'थान'** कहा जाता है।
- **समाधि:** 1458 ई. [जेल वार्डन 2018] में भाद्रपद एकादशी के दिन रामदेवजी ने पोकरण के पास राम सरोवर के किनारे जीवित समाधि ली।
- **समाज सुधारक:** बाबा रामदेवजी वीर होने के साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्तिपूजा और तीर्थयात्रा का विरोध किया।

पाबूजी (1239-1276 ई.) [J.En. 2022]

- **जन्म और विवाह:** पाबूजी का जन्म फलौदी के **कोलूमण्ड गांव** [Jamadar 2025, वनरक्षक 2022] में **धाँधलजी राठौड़** और **कमलादे** के घर हुआ। उनका विवाह अमरकोट (अब पाकिस्तान) के शासक राणा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री **फूलमदे (सुप्यारदे)** के साथ हुआ।

पाबूजी

- **गौ रक्षा और वीरगति:** उनके बहनोई जिंदराव खींची, जब देवल बाई की गायों को लूटकर ले जाने लगे, तो पाबूजी ने विवाह के चौथे फेरे को बीच में छोड़कर गायों को बचाने के लिए युद्ध किया और वीरगति प्राप्त की। उनकी समाधि जोधपुर के देचू गाँव में है।
- **केसर कालमी घोड़ी:** देवल चारणी ने पाबूजी को युद्ध के लिए अपनी प्रसिद्ध 'केसर कालमी' घोड़ी दी थी। [Grade 2nd 2025]
- **ऊँट पालन का श्रेय:** मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। [VDO 2021] ऊँट पालक राइका जाति उन्हें अपना आराध्य मानती है और ऊँट के बीमार होने पर उनकी पूजा करती है। इन्हें **प्लेगरक्षक** एवं **ऊँटों के देवता**[BSTC 2025, REET (L-1) 2021, वनरक्षक 2022, VDO 2021] भी कहा जाता है। [जेल वार्डन 2018]
- **लक्ष्मणजी का अवतार:** ग्रामीण जनमानस पाबूजी को 'लक्ष्मणजी का अवतार' [Lecturer & Coach (School Edu.) 2025, Patwar 2025] मानते है।
- **लोक देवता का दर्जा:** पाबूजी को वीरता, प्रतिज्ञापालन और गौ रक्षा के लिए बलिदान देने के कारण लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। उनका मुख्य पूजा स्थल **कोलू (फलौदी)** में है।
- **फड़ का वाचन:** पाबूजी की 'फड़' का वाचन भील जाति के भोपे **रावणहत्था** वाद्ययंत्र के साथ करते हैं। यह सबसे लोकप्रिय फड़ है। **'पाबूजी के पवाड़े'** माठ वाद्ययंत्र के साथ रेबारी चरवाहे गाते हैं।
- **प्रतीक:** पाबूजी का प्रतीक एक भाला लिए हुए अश्वारोही है, इसलिए उन्हें **'पाबू भालालौ'** के नाम से भी जाना जाता है। मेहर मुसलमान उन्हें पीर मानते हैं।

10 राजस्थानी भाषा एवं क्षेत्रीय बोलियाँ [Rajasthani Language & Regional Dialects]

राजस्थानी भाषा का विकास

परिचय

- **राजस्थानी भाषा का अर्थ:** राजस्थानी भाषा का तात्पर्य राजस्थान में बोली जाने वाली जन भाषा से है, जो विभिन्न बोलियों (मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूँढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती) का सामूहिक रूप है। राजस्थानी भाषा मूल रूप से भारोपीय (Indo European) भाषा की भारतीय आर्य शाखा से संबंधित है। [Raj. Police Constable 2025]
- **प्राचीन उल्लेख:** 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी के ग्रंथ **'कुवलयमाला'** में वर्णित 18 देशी भाषाओं [वनरक्षक 2022] में **'मरूभाषा'** का उल्लेख मिलता है। [Grade 3rd Eng. (L-2) 2026]
- **'राजस्थानी' नाम का पहला प्रयोग:** राजस्थान की भाषा के लिए 'राजस्थानी' नाम का सर्वप्रथम प्रयोग **जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन** ने **1912 ई.** [VDO 2025, REET (L-2) 2025] में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ **'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया'** में किया था। [Grade 3rd Sanskrit (L-2) 2026, CET 12th 2024]
- **'आइने-अकबरी' में उल्लेख:** अबुल फजल ने अपनी पुस्तक 'आइने-अकबरी' में भारत की प्रमुख भाषाओं में **'मारवाड़ी'** का नाम लिया है।
- **राजस्थानी भाषा दिवस:** प्रतिवर्ष **21 फरवरी** को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है।
- **लिपि:** राजस्थानी भाषा की लिपि **मुड़िया** (महाजनी/वाणियावाटी) है, जिसका आविष्कार मुगल बादशाह अकबर के वित्त मंत्री **टोडरमल** ने किया था।
- **विशाल शब्दकोश:** राजस्थानी भाषा का शब्दकोश दुनिया का सबसे बड़ा लिखित शब्दकोश माना जाता है, जिसका संकलन जोधपुर निवासी **सीताराम लालस** ने किया है। [REET Mains Eng. 2023, संगणक 2024, J.En. 2022] 'एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटैनिका' ने उन्हें **'राजस्थानी भाषा की मशाल'** कहा है।

नोट:- **साहित्यिक मान्यता:** केन्द्रीय साहित्य अकादमी (दिल्ली) ने राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दी है, किंतु इसे अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है।

राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास

- **भाषा विज्ञान में स्थान:** राजस्थानी भाषा 'भारोपीय भाषा समूह' के अंतर्गत आती है।
- **भारतीय भाषाओं की जननी:** सभी भारतीय भाषाओं की जननी **'वैदिक संस्कृत'** मानी जाती है।
- **भाषा का सरलता की ओर विकास:** भाषाएँ कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती हैं। वैदिक संस्कृत का स्थान लौकिक संस्कृत ने लिया, फिर पाली और प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। इनकी कठिनता बढ़ने पर अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ।
- **राजस्थानी भाषा के विकास में प्रमुख अपभ्रंश भाषाएँ:**
  1. शौरसैनी अपभ्रंश
  2. नागर अपभ्रंश
  3. मरुगुर्जरी अपभ्रंश
- **शौरसैनी प्राकृत से विकास:** राजस्थानी भाषा शौरसैनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है।
- **विद्वानों के मत:** राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास के संबंध में विद्वानों के अलग-अलग मत हैं।

क्र.स.	भाषाविद	उत्पत्ति के संदर्भ में मत
1.	डॉ.एल.पी. टेसीटोरी	शौरसैनी अपभ्रंश
2.	डॉ.महावीर प्रसाद शर्मा	शौरसैनी अपभ्रंश
3.	जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन	नागर अपभ्रंश
4.	पुरुषोत्तम मेनारिया	नागर अपभ्रंश
5.	मोतीलाल मेनारिया	गुर्जरी अपभ्रंश
6.	के.एम.मुंशी	गुर्जरी अपभ्रंश
7.	डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी	सौराष्ट्री अपभ्रंश

- **मरुगुर्जरी अपभ्रंश:** राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के लिए 'मरुगुर्जरी अपभ्रंश' का मत सबसे उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इसी से मरुभाषा (राजस्थानी) और गुर्जरी (गुजराती) का विकास हुआ है। साहित्यिक समानता और भौगोलिक दृष्टि से भी यह मत सही प्रतीत होता है।
- **राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल:** 12वीं शताब्दी के अंत में राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आई (एल.पी. टेसीटोरी के अनुसार)। **1650-1850** ई. का समय इसे राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल माना जाता है।

डॉ. मोतीलाल मेनारिया द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का वंशवृक्ष

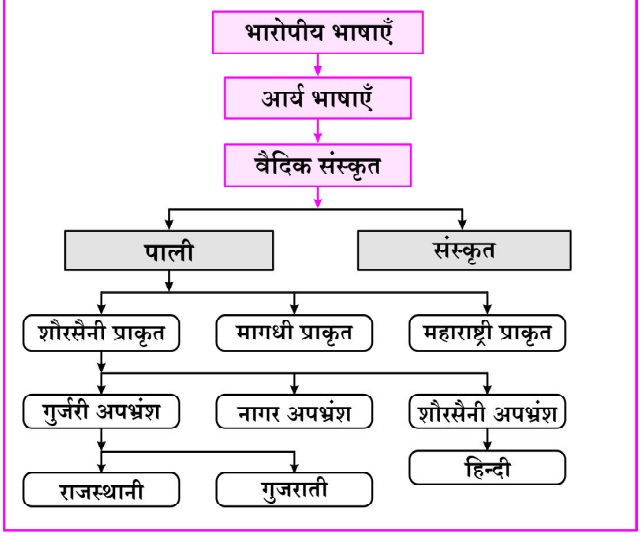

11 राजस्थानी साहित्य का विकास [Development of Rajasthani Literature]

राजस्थानी साहित्य का इतिहास

डॉ. एल.पी. टेसीटोरी, सीताराम लालस, नरोत्तम स्वामी, डॉ. महावरी प्रसाद शर्मा, मोतीलाल मेनारिया आदि विद्वान राजस्थानी साहित्य के इतिहास लेखन में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले नाम हैं। राजस्थानी साहित्य को चार प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है:-

1. प्राचीन काल - वीरगाथा काल (1050-1450 ई.)

- **ऐतिहासिक प्रभाव:** इस काल में अरबों, तुर्कों और मुगलों के आक्रमणों का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। वीर रस के काव्य इस काल की प्रमुख विशेषता रहे, इसीलिए इसे ''वीरगाथा काल'' कहा गया।
- **प्रमुख रचनाएँ:** श्रीधर व्यास का **''रणमल्ल छंद''** [वनरक्षक 2022] और जयानक का **''पृथ्वीराज विजय''** इस काल के प्रमुख उदाहरण हैं।

2. पूर्वमध्य काल - भक्ति काल (1450-1650 ई.)

- **धार्मिक और सामाजिक प्रभाव:** इस काल में विभिन्न संतों और संप्रदायों का उदय हुआ, जिन्होंने सगुण और निर्गुण उपासना तथा जाति भेद को मिटाने पर जोर दिया। इनका संदेश था, ''जात पांत पूछै नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होय।''
- **प्रमुख रचनाएँ:** इस काल में भक्त शिरोमणि मीरांबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की ''वेलि किसण रुकमणि री,'' माधोदास दधवाड़िया की ''रामरासो,'' ईसरदास की ''हरिरस'' और ''देवियांण'' तथा सायांजी झूला की ''नागदमण'' प्रमुख रचनाएँ हैं।

3. उत्तर मध्यकाल (श्रृंगार, रीति एवं नीति परक काल)-1650 से 1850 ई.

- **शासकों का प्रभाव:** इस काल में अपेक्षाकृत शांति का दौर था, जिससे शासकों ने साहित्यकारों और कलाकारों को संरक्षण दिया और साहित्य के विभिन्न रूपों का विकास हुआ।
- **प्रमुख रचनाएँ:** इस समय में श्रृंगार, रीति और नीति पर आधारित रचनाएँ लिखी गई, जिनमें 'राजिया रा सोरठा', 'चकरिया रा सोरठा', और 'मोतिया रा सोरठा' जैसी रचनाएँ प्रसिद्ध हैं।
- काव्य शास्त्र से जुड़ी रचनाओं में कवि मंछाराम की 'रघुनाथ रूपक' मुख्य है।

4. आधुनिक काल (विविध विषयों एवं विधाओं का विकास) - 1850 से वर्तमान

- 1857 के बाद समाज में एक नई चेतना आई, जिसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा।
- इस काल में राजस्थानी साहित्य में बदलाव लाने का श्रेय बूंदी के **सूर्यमल्ल मीसण** और मारवाड़ के **कविराजा बांकीदास** को जाता है, जिन्होंने राष्ट्रप्रेम और क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया।

राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैलियाँ

संस्कृत शैली का साहित्य

- **प्रारंभिक शैली:** राजस्थानी साहित्य की प्रारंभिक शैली संस्कृत में रही, जिसमें कई शिलालेख, प्रशस्तियाँ और वंशावलियाँ लिखी गई।
- **संस्कृत साहित्य का प्रोत्साहन:** चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान ने संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया। विग्रहराज चतुर्थ ने **''हरिकेली''** नामक संस्कृत नाटक की रचना की। [वनरक्षक 2022]
- **अनूप संस्कृत पुस्तकालय:** बीकानेर के अनूपसिंह ने ''अनूप संस्कृत पुस्तकालय'' की स्थापना करवाई।

जैन शैली का साहित्य

- **विषय प्रधानता:** इस शैली में कथा साहित्य और शांति रस का विशेष स्थान है।
- **काल:** 11वीं से 14वीं शताब्दी तक का अधिकांश राजस्थानी साहित्य जैन शैली में रचा गया।
- **प्रमुख जैन साहित्यकार:** हेमचंद्र सूरी, ऋषिवर्द्धन सूरी (''नल दमयंती रास'' के रचयिता), वज्रसेन सूरी शालीभद्र सूरी, (भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता) और उद्योतन सूरी प्रमुख हैं।

चारण शैली का साहित्य

- **प्रधानता:** चारण शैली में वीर रस और श्रृंगार रस प्रमुख हैं। इसमें राजपूतों के शौर्य और जनजीवन का चित्रण मिलता है।
- **प्रारंभिक रचनाएँ:** बादर ढाढ़ी की **''वीर भायण''** इस शैली की प्रारंभिक रचना मानी जाती है।
- **प्रमुख रचनाएँ:** चंदबरदाई का ''पृथ्वीराज रासो,'' मुहणौत नैणसी री ख्यात, दयालदास री ख्यात, बांकीदास री ख्यात, अचलदास खींची री वचनिका (गाडण शिवदास कृत), पृथ्वीराज राठौड़ की ''वेलि कृष्ण रुकमणी री'' और सूर्यमल्ल मीसण की ''वंश भास्कर'' और ''वीर सतसई'' प्रमुख हैं।

लोक शैली का साहित्य

- **विषय और रूप:** राजस्थानी भाषा में रचित लोक साहित्य के लेखन में विभिन्न विधाओं - लोकनाट्यों, लोक संगीत, प्रेमाख्यानों, कहावतों, पहेलियों, फड़ चित्रण, लोक गाथाओं इत्यादि के रूप में साहित्य की रचना हुई।

लोक संगीत

- लोक संगीत के अन्तर्गत लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक वाद्य, लोक गीत, दोहे-सोरठे आदि का समावेश किया जाता है।
- दोहा एवं सोरठा राजस्थान के अलिखित या मौखिक साहित्य की छंदोमय अभिव्यक्ति का मुख्य साधन रहा है।

1 राज्यपाल [Governor]

राज्यपाल की भूमिका और कार्यप्रणाली (संविधान का भाग-6)

- **अनुच्छेद 152 से 234**—इन अनुच्छेदों के अंतर्गत राज्य सरकार और उसकी कार्यप्रणाली का उल्लेख किया गया है।
- **अनुच्छेद 153**—प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। [Patwar 2025, CET(10+2) 2024]
- **7वाँ संविधान संशोधन (1956)**—इस संशोधन के बाद, एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। [Grade 2nd 2025, Jail Prahari 2025]
- **राज्यपाल की भूमिका**—राज्यपाल केन्द्र और राज्य के बीच एक कड़ी का काम करता है। उसे एक ओर राज्य के विकास और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता और सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- **कई भूमिकाओं का निर्वाह**—राज्यपाल एक साथ कई महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाता है, जिसमें राज्य के संवैधानिक प्रधान, स्थानीय विकास के समर्थक और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में काम करना शामिल है।

राज्यपाल की नियुक्ति, अर्हताएँ और शपथ

- **नियुक्ति (अनुच्छेद-155)**—राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। [जेल वार्डन 2018] राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है और साथ ही संघ सरकार का एजेंट भी होता है।
- **राज्यपाल पद के लिए आवश्यक योग्यताएँ (अनुच्छेद-157 और 158):** [Jail Prahari 2025]
  1. उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
  2. उसकी आयु **35** वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। [चतुर्थ श्रेणी 2025]
  3. राज्यपाल के पद पर नियुक्त व्यक्ति किसी राज्य या संघ क्षेत्र की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। [अनु. 158(2)]
  4. राज्यपाल बनने वाला व्यक्ति संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। [अनु. 158(1)]
- **शपथ ग्रहण (अनुच्छेद-159)**—राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है। वह संविधान की रक्षा और संरक्षण की शपथ के साथ, जनकल्याण और लोगों की भलाई के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करता है।

राज्यपाल का कार्यकाल

- **कार्यकाल की शर्तें (अनुच्छेद-156):**
  1. **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद**—राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है, जो वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से होता है। [Jail Prahari 2025, CET(10+2) 2024]
  2. **5 वर्ष का कार्यकाल**—राज्यपाल की नियुक्ति **5** वर्षों के लिए होती है, लेकिन राष्ट्रपति उसे दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी, नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वह पद पर बना रहता है।

नोटः– अप्रैल 2007 में न्यायाधीय मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित पुंछी आयोग ने राज्यपालों के लिए पाँच वर्ष के निश्चित कार्यकाल की सिफारिश की थी।

  3. **पद त्याग**—राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है।

नोटः– **बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010)**—इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने यह निर्धारित किया कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता।

राज्यपाल का वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार

वेतन एवं भत्ते

- राज्यपाल का वेतन और भत्ते संसद द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं तथा राज्यपाल की उपलब्धियाँ और वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिये जाते है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन **₹3,50,000** है। [अनु. 158(3)] [Grade 3rd 2023 Sindhi]
- यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो उन राज्यों के बीच वेतन और भत्तों का खर्च राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में बाँटा जाएगा। [अनु. 158(3क)]
- राज्यपाल के वेतन और भत्तों में उसके कार्यकाल के दौरान कटौती नहीं की जा सकती। [अनु. 158(4)]
- राज्यपाल को शासकीय आवास का निःशुल्क उपयोग का अधिकार है।

विशेषाधिकार (अनुच्छेद 361)

1. राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होता।
2. राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उसके कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।
3. राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल मामला दर्ज किया जा सकता है, परंतु इसके लिए कुछ शर्तें हैं—
   - व्यक्ति को अपना नाम, पता और मामला दर्ज करने का आधार बताना होगा।

2 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद [Chief Minister and State Council of Ministers]

❖ **राज्यपाल की शक्तियों का व्यावहारिक प्रयोग:** भारतीय संविधान के अनुसार, राज्यपाल को अनेक शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन इनका व्यावहारिक उपयोग मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के माध्यम से होता है।

❖ **मुख्यमंत्री का स्थान और भूमिका:** राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की स्थिति वही होती है जो संघ सरकार में प्रधानमंत्री की होती है। वह राज्य की **कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान** होता है। [जेल वार्डन 2018]

❖ **मंत्रिपरिषद का महत्त्व:** राज्यों में भी केंद्र सरकार की तरह मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं।

❖ **मुख्यमंत्री की भूमिका को समझने का तरीका:** मुख्यमंत्री की भूमिका और महत्त्व को पूरी तरह समझने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना और कार्यप्रणाली का विशद अध्ययन करना आवश्यक है।

राज्य मंत्रिपरिषद (State Council of Ministers)

❖ **संवैधानिक प्रावधान :** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 163** के अनुसार, राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है।

❖ **निर्माण और विघटन :** राज्य मंत्रिपरिषद का गठन और उसका विघटन मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, क्योंकि राज्यपाल इस संदर्भ में मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही कार्य करते हैं।

मंत्रिपरिषद की संरचना

❖ **मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं–** कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री।

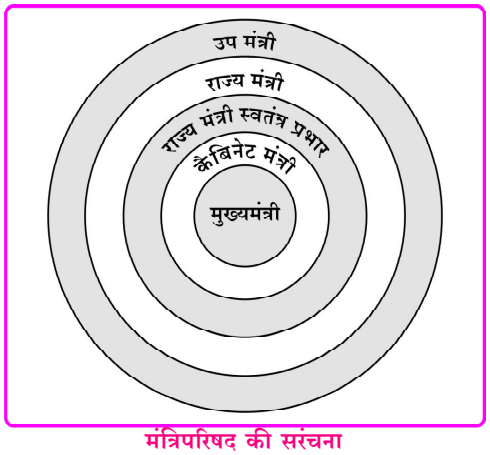

मंत्रिपरिषद की संरचना

1. कैबिनेट मंत्री

❖ कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा होते हैं।

❖ ये कैबिनेट बैठकों में भाग लेते हैं और महत्त्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व करते हैं।

2. राज्य मंत्री

❖ राज्य मंत्री, आमतौर पर कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं और बड़े मंत्रालयों में उनकी नियुक्ति होती है।

❖ यदि राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, तो वह कैबिनेट मंत्री से अलग कार्य करता है।

❖ आमतौर पर राज्य मंत्री कैबिनेट बैठकों में भाग नहीं लेते हैं।

3. उपमंत्री

❖ उपमंत्री तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं और विभिन्न विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं।

❖ ये मंत्रिमंडल की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं। आजकल उपमंत्रियों की नियुक्ति कम होती है।

नोट:–
- ✧ संसदीय सचिवों की नियुक्ति राज्य विधानसभाओं में की जाती है, और इन्हें **मुख्यमंत्री द्वारा शपथ** दिलाई जाती है।
- ✧ संसदीय सचिव मंत्रियों की सहायता करते हैं और उनकी स्थिति लगभग मंत्रियों के समान होती है।
- ✧ संसदीय सचिवों को मंत्रिपरिषद के समूह में शामिल नहीं किया जाता, जिससे मंत्रिपरिषद के आकार की संवैधानिक सीमा का उल्लंघन नहीं होता।

मंत्रिपरिषद का आकार

❖ **91वां संविधान संशोधन, 2003 :** 91वें संविधान संशोधन (2003) के जरिए मंत्रिपरिषद का आकार तय किया गया है। यह संशोधन **1 जनवरी, 2004** से लागू हुआ। इससे पहले, मंत्रिपरिषद के आकार पर कोई स्पष्ट नियम या कानून नहीं था। [उद्योग निरीक्षक 2018]

❖ **91वें संशोधन के महत्त्वपूर्ण प्रावधान**
- ✧ **मंत्रियों की अधिकतम संख्या:** प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम 15% हो सकती है परन्तु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। [**अनुच्छेद 164 (1क)**]
- ✧ **दल-बदल से पद की निरर्हता :** यदि कोई सदस्य दल-बदल के कारण अपनी सदस्यता खो देता है, तो वह मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। [**अनुच्छेद 164 (1ख)**]
- ✧ **लाभ के पद के लिए अयोग्यता :** यदि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य दल-बदल के कारण अयोग्य घोषित किया जाता है, तो वह किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो सकेगा, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो।

3 राज्य विधानसभा [State Legislative Assembly]

❖ भारतीय संविधान के भाग-6 के अध्याय-3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

❖ **राज्य विधानमंडल में दो सदन होते हैं—**

1. विधान परिषद (उच्च सदन) 2. विधानसभा (निम्न सदन)

❖ राजस्थान में वर्तमान में केवल विधानसभा (एक सदनीय) ही अस्तित्व में है। [Raj. Police Constable 2025]

अध्ययन बिन्दु

- राज्य विधानमण्डल की संरचना
  - विधान परिषद
    - संरचना
    - निर्वाचक मण्डल
    - सदस्यों की योग्यताएँ
    - कार्यकाल
    - शक्तियाँ व कार्य
  - विधान सभा
    - सदस्यों की योग्यताएँ
    - कार्यकाल
    - अधिवेशन/गणपूर्ति
    - शपथ/प्रतिज्ञान
    - पदाधिकारी
    - विधान सभा की शक्तियाँ/कार्य
  - राज्य विधान मण्डल से जुड़े महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद
- राजस्थान की राज्य राजनीति
  - प्रथम विधानसभा से वर्तमान विधानसभा तक राज्य में दलीय स्थिति एवं राजनीतिक घटनाक्रम

- राजस्थान विधानसभा के महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों की सूची एवं विवरण
  - राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष
  - राजस्थान विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक
  - राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष दल के नेता
  - 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य

राज्य विधानमंडल की संरचना
Structure of State Legislature

❖ अनुच्छेद 168 प्रत्येक राज्य में विधानमंडल के गठन का प्रावधान करता है। जो राज्यपाल एवं एक अथवा दो (विधानसभा एवं विधान परिषद) सदनों से मिलकर बनेगा।

विधान परिषद

❖ **विधान परिषद का गठन :** संविधान के **अनुच्छेद 169** में विधान परिषद के गठन के प्रावधान हैं।

❖ **संसद** के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति कर सकती है।

❖ संसद यह तभी कर सकती है जब संबंधित राज्य विधानसभा ने अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के **दो-तिहाई** बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया हो।

❖ **विधान परिषद वाले राज्य :** वर्तमान में भारत के 6 राज्यों - आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार में विधान परिषदें हैं।

❖ 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बन गया है, इसलिए वहाँ अब विधान परिषद नहीं है।

❖ **राजस्थान में विधान परिषद प्रस्ताव :** राजस्थान में विधान परिषद के गठन के लिए **18 अप्रैल, 2012** को विधानसभा में एक संकल्प पारित किया गया था, लेकिन संसद ने इस संबंध में अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है।

विधान परिषद की संरचना

❖ **अनुच्छेद 171 के प्रावधान :** संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का विवरण है।

❖ **सदस्यों का चयन :** विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं।

❖ **सदस्य संख्या :** सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिकतम संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का **एक-तिहाई** होती है।

❖ राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद में सदस्य संख्या 66 होने का अनुमान है।

❖ **सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन :** विधान परिषद के सदस्यों का कुछ हिस्सा निर्वाचन द्वारा और कुछ हिस्सा मनोनयन द्वारा चुना जाता है, जिसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है।

4 राजस्थान उच्च न्यायालय [Rajasthan High Court]

भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय

भारतीय संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय की संरचना और कार्यों का वर्णन किया गया है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के अधीन 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। राजस्थान में न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है।

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापना एवं पृष्ठभूमि
- उच्च न्यायालय का संगठन
  - नियुक्ति
  - योग्यताएँ
  - शपथ/प्रतिज्ञान
  - कार्यकाल
  - वेतन एवं भत्ते
  - पद से हटाना/पदच्युति
- उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं कार्य
- राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उनका कार्यकाल
- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में तुलना

राजस्थान उच्च न्यायालय: स्थापना एवं पृष्ठभूमि

- **आजादी से पहले की स्थिति :** आजादी से पहले, राजस्थान के विभिन्न रियासतों जैसे जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा में अलग-अलग रियासती उच्च न्यायालय थे।
- **एकीकृत उच्च न्यायालय की स्थापना :** "राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश-1949" के तहत, इन सभी रियासती न्यायालयों को समाप्त कर, पूरे राज्य के लिए एक एकीकृत उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, जो जोधपुर में स्थित है। [CET (Grad.) 2024]
- **उच्च न्यायालय की स्थापना का आदेश :** 25 अगस्त, 1949 को राजप्रमुख द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, **29 अगस्त, 1949** को राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना का आदेश दिया गया।
- **उद्घाटन और प्रथम मुख्य न्यायाधीश :** 29 अगस्त, 1949 को **महाराजा सवाई मानसिंह** द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उदयपुर के रियासती उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश **कमलकांत वर्मा** को इसका पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जिन्होंने अन्य **11** न्यायाधीशों के साथ शपथ ग्रहण की।
- **राज्य पुनर्गठन और जयपुर पीठ :** 1 नवम्बर, 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद **"पी. सत्यनारायण राव समिति"** की सिफारिश के अनुसार 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ को समाप्त कर, मुख्य पीठ को जोधपुर में ही रखने का निर्णय लिया गया।
- पी. सत्यनारायण राव समिति में पी. सत्यनारायण, वी. विश्वनाथन और बी.के. गुप्ता सदस्य के रूप में सम्मिलित थे।
- **जयपुर में पुनः स्थायी पीठ की स्थापना :** जयपुर पीठ की समाप्ति से पूर्वी राजस्थान की जनता में असंतोष हुआ, जिसके चलते "राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा-51" के तहत **31 जनवरी, 1977** को पुनः जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना की गई।

[चतुर्थ श्रेणी 2025, Jail Prahari 2025, जेल वार्डन 2018]

- **राजस्थान उच्च न्यायालय के दो प्रमुख अंग**
  - **राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर :** न्यायिक प्रशिक्षण और शोध के लिए प्रमुख संस्था।
  - **राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर :** विधिक सेवा एवं न्यायिक सहायता प्रदान करने वाली संस्था।

राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख जानकारी

- **न्यायालय का क्षेत्रीय विभाजन : राजस्थान को कुल 44 न्यायक्षेत्रों में बाँटा गया है—** [Grade 3rd Eng. (L-2) 2026]
  - जोधपुर मुख्य पीठ के अंतर्गत 23 जिले आते हैं।
  - जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत 21 जिले आते हैं, जिनमें अजमेर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूँदी, झालावाड़, बारां, जयपुर, झुंझुनूं, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और दौसा शामिल हैं।
- **जिला न्यायालयों की संख्या :** राजस्थान में वर्तमान में कुल 36 जिला न्यायालय हैं:
  - जयपुर में 3 जिला न्यायालय हैं।
  - जोधपुर में 2 जिला न्यायालय हैं।
- **नए भवन का उद्घाटन :** राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के नए भवन का उद्घाटन **7 दिसंबर, 2019** को जोधपुर के **झालामंड** में किया गया। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द द्वारा किया गया।

उच्च न्यायालय का संगठन

नियुक्ति

- **न्यायाधीशों की नियुक्ति :** संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

5 राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव [State Secretariat and Chief Secretary]

राजस्थान राज्य शासन सचिवालय:

❖ **स्थापना :** राजस्थान के राज्य शासन सचिवालय की स्थापना **अप्रैल 1949** में हुई। [VDO 2021]

❖ **कार्यस्थल और भूमिका :** राज्य सचिवालय वह स्थान है जहाँ शासन और प्रशासन के प्रमुख कार्य किए जाते हैं। यह राजनीतिक नेतृत्व के लिए नीति-निर्माण का केंद्र और लोक सेवकों के लिए नीति-क्रियान्वयन का स्थान है।

❖ **प्रमुख पदाधिकारी**

✧ **मुख्य सचिव:** सचिवालय के प्रशासनिक पदों में शीर्ष पर होते हैं और सभी विभागों का नियंत्रण रखते हैं।

✧ **मुख्यमंत्री:** मुख्यमंत्री सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है और राज्य शासन में सबसे ऊंचा राजनीतिक पद होता है।

राज्य सचिवालय का संगठन

❖ **अनुच्छेद 154(1)** के अनुसार, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। व्यवहार में, इन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और सचिवालय के अधिकारी करते हैं। इस प्रकार, राज्य प्रशासन का वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री होता है, जो सचिवालय को भी नियंत्रित करता है।

❖ राज्य सचिवालय विभिन्न विभागों में विभाजित होता है, जिसके शीर्ष पर मुख्य सचिव होता है। कार्यकारी विभाग के प्रमुख को विभागाध्यक्ष (निदेशक, आयुक्त आदि) कहा जाता है। किसी भी राज्य के सचिवालय में कितने विभाग होंगे, इसका निर्धारण राज्य का मंत्रिमंडल करता है। सचिवालय का संगठन दो स्तरों पर होता है—राजनीतिक और प्रशासनिक।

1. राजनीतिक संगठन

❖ **मुख्यमंत्री:** राज्य सचिवालय का सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी।

❖ **कैबिनेट मंत्री:** विभिन्न विभागों के प्रमुख, जैसे ऊर्जा, कृषि, वित्त और उद्योग।

❖ **राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार):** विभागीय स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री।

❖ **राज्य मंत्री:** विभागों में सहायक भूमिका निभाने वाले मंत्री।

❖ **उपमंत्री और संसदीय सचिव:** राजनीतिक संगठन में सहायक पद।

2. प्रशासनिक संगठन

❖ **मुख्य सचिव:** राज्य सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सभी विभागों पर नियंत्रण रखता है।

❖ **शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव:** प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख।

❖ **विशिष्ट सचिव, उपसचिव, और संयुक्त सचिव:** शासन सचिव की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी।

❖ **सहायक सचिव/अवर सचिव:** प्रशासनिक कार्य में सहयोगी।

❖ **अनुभाग अधिकारी:** विभागीय कार्यों के संचालन के लिए नियुक्त अधिकारी।

❖ **वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी:** सचिवालय में विभिन्न सहायक भूमिकाओं में कार्यरत कर्मचारी।

3. विभाग और कार्यालय

❖ राज्य सचिवालय में विभिन्न विभाग होते हैं जैसे ऊर्जा, कृषि, वित्त, उद्योग आदि। प्रत्येक विभाग के प्रशासनिक प्रमुख एक शासन सचिव होते हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है।

नोट:- राज्य सचिवालय के अलावा, इसके अधीन कई कार्यपालक और कार्यकारी विभाग तथा निदेशालय होते हैं, जो सीधे सचिवालय का हिस्सा नहीं होते।

❖ **भवन की स्थिति :** राजस्थान राज्य सचिवालय भवन, जयपुर के सी-स्कीम स्थित भगवंतदास बैरेक्स में संचालित है।

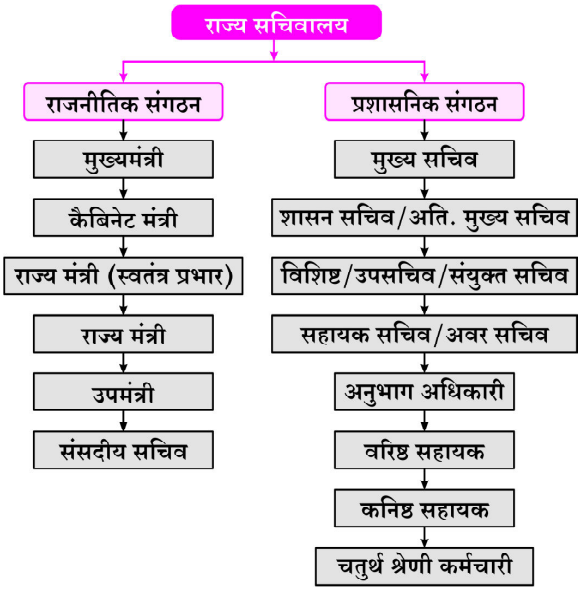

राज्य सचिवालय के कार्य और भूमिका

❖ **नीति निर्माण :** जनकल्याण नीतियों को अंतिम रूप देना, नीति निर्माण के लिए आवश्यक सूचनाएँ, आँकड़े और सामग्री एकत्रित करना।

❖ **नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी :** नीतियों के क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करना।

❖ **संस्थानिक समन्वय :** विभिन्न निदेशालयों, मंडलों, निगमों और उपक्रमों के बीच समन्वय बनाए रखना।

❖ **नियम निर्माण और नियंत्रण :** योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नियम बनाना और उन पर नियंत्रण रखना।

❖ **विधायी दायित्व :** मंत्रियों के प्रश्नों के उत्तर, नए और पुराने विधेयक, संशोधन, अध्यादेश और राज्यपाल के भाषण तैयार करना।

6 जिला प्रशासन [District Administration]

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्राचीन काल से ही एक महत्त्वपूर्ण इकाई रहा है। जिला प्रशासन, स्थानीय नागरिकों की आकांक्षाओं का केन्द्र बिन्दु होने के साथ-साथ संघीय व राज्य सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का व्यावहारिक अभिकरण है। जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी 'जिलाधीश' होता है, जिसे **''जिला कलेक्टर''** के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में जिला प्रशासन को संभागीय व्यवस्था के अधीन रखा गया है। अतः जिला प्रशासन को समझने हेतु इसकी अवधारणा व संगठनात्मक व्यवस्था को समझना आवश्यक है।

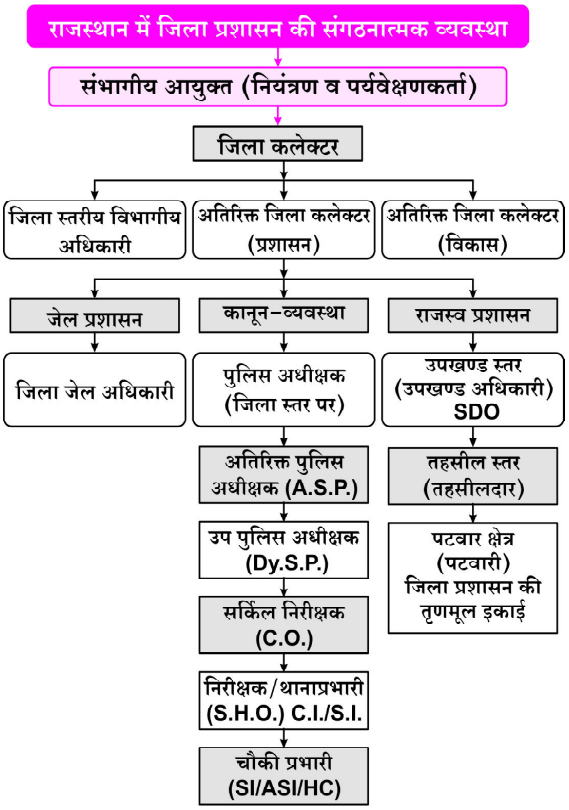

राजस्थान में जिला प्रशासन की संगठनात्मक व्यवस्था

- **संभागीय आयुक्त :** संभागीय स्तर पर जिला प्रशासन का नियंत्रण और पर्यवेक्षण संभागीय आयुक्त द्वारा किया जाता है।
- **जिला कलेक्टर (जिलाधीश) :** जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी जिला कलेक्टर होता है, जिसे जिलाधीश भी कहा जाता है। [Patwar 2025] यह जिले की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का प्रमुख अधिकारी है।
- **जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी :** जिला प्रशासन में विभिन्न विभागों के लिए जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त होते हैं जो विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी निभाते हैं।
- **अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) :** प्रशासनिक कार्यों में जिला कलेक्टर की सहायता के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर होता है।
- **अतिरिक्त जिला कलेक्टर (विकास) :** विकास कार्यों के प्रबंधन के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर नियुक्त होता है।
- **जेल प्रशासन :** जिले में जेल प्रशासन का कार्य जिला जेल अधिकारी द्वारा किया जाता है।
- **कानून-व्यवस्था :** जिले में कानून-व्यवस्था का दायित्व पुलिस अधीक्षक के पास होता है।
- **उपखण्ड स्तर :** उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी (SDO) कानून-व्यवस्था और प्रशासन की देखरेख करता है।
- **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक :** जिला स्तर पर कानून-व्यवस्था में पुलिस अधीक्षक की सहायता के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तैनात होते हैं।
- **तहसील स्तर :** तहसील स्तर पर तहसीलदार राजस्व और प्रशासनिक कार्यों को संभालता है।
- **उप पुलिस अधीक्षक (DSP) :** तहसील स्तर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उप पुलिस अधीक्षक होते हैं।
- **पटवार क्षेत्र :** पटवारी जिला प्रशासन की सबसे छोटी इकाई (तृणमूल इकाई) होती है, जो स्थानीय स्तर पर भूमि संबंधी कार्यों की देखरेख करता है।
- **सर्किल निरीक्षक :** सर्किल स्तर पर कानून-व्यवस्था का निरीक्षण सर्किल निरीक्षक द्वारा किया जाता है।
- **थाना प्रभारी :** पुलिस थाने का प्रभारी (थानाप्रभारी) अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था का दायित्व निभाता है।
- **चौकी प्रभारी :** चौकी स्तर पर कानून-व्यवस्था की देखरेख चौकी प्रभारी द्वारा की जाती है।

जिला प्रशासन की विशेषताएँ

- **महत्त्वपूर्ण कड़ी :** जिला प्रशासन स्थानीय क्षेत्रों और राज्य प्रशासन के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी का काम करता है।
- **विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों का समन्वय :** जिला प्रशासन के अंतर्गत राजस्व, कानून-व्यवस्था और विकासात्मक कार्यों को निष्पादित करने वाली विभिन्न प्रशासनिक इकाइयाँ कार्यरत होती हैं।
- **औसत क्षेत्रफल :** आमतौर पर, एक जिले का औसत क्षेत्रफल 4000 वर्ग मील होता है।
- **जनसंख्या कवरेज :** सामान्यतः जिला प्रशासन के अंतर्गत 10 लाख की जनसंख्या आती है।
- **जिला कलेक्टर का नेतृत्व :** जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ''जिला कलेक्टर'' होता है, जो जिले में सभी विभागों का मुख्य नियंत्रक और समन्वयक होता है।

7 राजस्थान के विभिन्न आयोग एवं संस्थाएँ [Various Commissions and Institutions of Rajasthan]

राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission-RPSC)

❖ **संवैधानिक प्रावधान**
- ✧ भारतीय संविधान के **भाग–14** में **अनुच्छेद 315 से 323** तक राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
- ✧ RPSC एक संवैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई है।
- ✧ **अनुच्छेद 315** राज्य लोकसेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है।

❖ **स्थापना का इतिहास**
- ✧ राजस्थान के गठन के समय केवल जयपुर, जोधपुर और बीकानेर प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे।
- ✧ 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के तत्कालीन राजप्रमुख द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 28वाँ अध्यादेश जारी किया गया, जो 20 अगस्त 1949 को प्रकाशित हुआ।
- ✧ 20 अगस्त 1949 को जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की स्थापना हुई। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद, 22 दिसम्बर 1949 को RPSC विधिवत रूप से अस्तित्व में आया।

नोटः– **RPSC** की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना तिथि **22 दिसम्बर 1949** मानी गई है।

❖ **स्थानांतरण :** राज्य पुनर्गठन के बाद, 'सत्यनारायण राव समिति' की सिफारिश पर आयोग का कार्यालय 1958 में जयपुर से हटाकर घूघरा घाटी, अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। [Lecturer & Coach (School Edu.) 2025, उद्योग निरीक्षक 2018, CET (10+2) 2024]

वर्तमान संगठन संरचना

❖ RPSC में वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 10 सदस्यों सहित कुल 11 संवैधानिक पद हैं। इनकी नियुक्ति **अनुच्छेद 316** के तहत की जाती है।

❖ **अध्यक्ष और सदस्यों की सूची (अप्रैल, 2026 की स्थिति):**

1. श्री उत्कल रंजन साहू (अध्यक्ष)
2. श्री हेमन्त प्रियदर्शी (सदस्य)
3. लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौर (सदस्य)
4. श्री बाबू लाल कटारा (सदस्य, वर्तमान सस्पेंड)
5. डॉ. अशोक कुमार कलवार (सदस्य)
6. श्री कैलाश चंद मीना (सदस्य)
7. प्रो. अय्यूब खान (सदस्य)
8. डॉ. सुशील कुमार बिस्सु (सदस्य)

नोटः– **श्री रामनिवास मेहता** (सचिव) और श्री आशुतोष गुप्ता (चीफ एक्जाम कंट्रोलर) के रूप में पद स्थापित है।

सदस्य संख्या का इतिहास

❖ **RPSC की स्थापना (1949) के बाद सदस्यों की संख्या में समय–समय पर वृद्धि की गई—**
- ✧ 1949 – 1 अध्यक्ष + 2 सदस्य
- ✧ 1968 – 1 अध्यक्ष + 3 सदस्य
- ✧ 1973 – 1 अध्यक्ष + 4 सदस्य
- ✧ 1981 – 1 अध्यक्ष + 5 सदस्य
- ✧ 2011 – 1 अध्यक्ष + 7 सदस्य
- ✧ 2025 – 1 अध्यक्ष + 10 सदस्य

नोटः– 14 जुलाई 2025 को केबिनेट मीटिंग में RPSC में कार्य की अधिकता के दृष्टिगत रखते हुए सदस्य के पद के 3 नवीन पद सृजित किये गये जिससे RPSC में 7 के स्थान पर 10 सदस्य होंगे। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनिमय 1974 के विनियम 3(1) में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

नियुक्ति प्रक्रिया

❖ RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति **अनुच्छेद 316** के तहत मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। [Patwar 2025, REET (L-2) 2022, CET (10+2) 2024]

❖ आयोग में कम से कम आधे सदस्य संघ या राज्य की लोक सेवाओं से होने चाहिए, जबकि अन्य आधे शिक्षाविद, समाजसेवी, वकील, राजनेता, पत्रकार आदि से हो सकते हैं।

अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल [Assistant Professor (College Edu.) 2025]

❖ **कार्यकाल की अवधि :** RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले समाप्त हो। [BSTC 2025, उद्योग निरीक्षक 2018] उल्लेखनीय है कि 41वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया। [Grade 2nd 2025]

❖ **लाभ का पद ग्रहण करने का प्रतिबंध :** कार्यकाल समाप्त होने के बाद, RPSC के अध्यक्ष और सदस्य केंद्र या राज्य की किसी भी सेवा में लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं।

❖ **दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग में नियुक्ति का प्रतिबंध :** कार्यकाल समाप्ति के बाद, RPSC के अध्यक्ष और सदस्य उसी राज्य या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्य नहीं बन सकते।

❖ **अन्य पदों पर नियुक्ति की अनुमति :** राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को, लोक सेवा आयोग (RPSC) का अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदमुक्ति के प्रावधान

❖ **त्याग–पत्र की प्रक्रिया :** राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्याग–पत्र राज्यपाल को सौंपते हैं।

8 स्थानीय स्वशासन-पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन
[Local Self Government - Panchayati Raj & Urban Local-Self Government]

पंचायती राज: गाँधी के सर्वोदय आदर्श का व्यावहारिक रूप

भारत में पंचायती राज व्यवस्था गाँधी के सर्वोदय सिद्धांत पर आधारित है, जो स्थानीय स्तर पर स्वशासन को सशक्त करता है। हालाँकि ब्रिटिश शासन के दौरान यह प्रणाली शुरू हुई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद और मजबूत हुई।

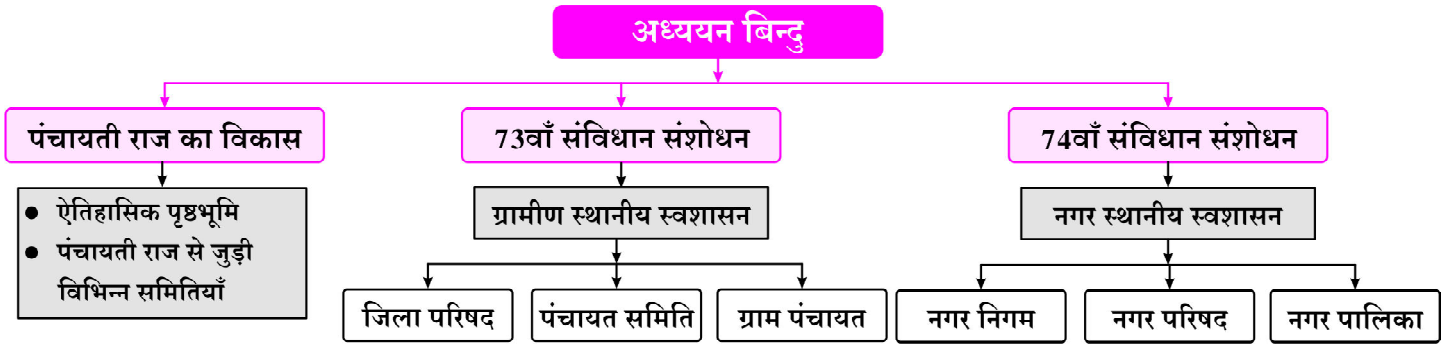

पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **प्राचीनकाल का स्थानीय प्रशासन :** भारत में स्थानीय प्रशासन का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका में मिलता है, जहाँ मौर्यकाल में नगर प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन किया गया है।
- **लॉर्ड मेयो :** वर्ष 1870 में लॉर्ड मेयो ने भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत की अनुशंसा की थी।
- **लॉर्ड रिपन का योगदान :** 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्वायत्त शासन संस्थाओं के विकास का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे **'स्थानीय स्वायत्त शासन का मैग्नाकार्टा'** कहा जाता है। रिपन ने इसे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की शिक्षा का साधन माना और उनके कार्यकाल में पहली बार स्थानीय शासन बोर्ड की स्थापना हुई, इसलिए उन्हें भारत में **'स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक'** कहा जाता है।
- **संविधान सभा में समर्थन :** प्रसिद्ध गाँधीवादी श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने पंचायती राज का समर्थन किया, जिसके बाद इसे संविधान के भाग-4 में नीति-निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया।
- **गाँधीवादी आदर्श और कुमारप्पा समिति :** स्वतंत्र भारत में जे.सी. कुमारप्पा ने गाँधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया।
- **सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) :** स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज के विकास के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम शुरू किए गए।
- **बलवंत राय मेहता समिति (1957) :** इन कार्यक्रमों के सफल न होने पर, उनके क्रियान्वयन में सुधार के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई। इस समिति की सिफारिशों पर **2 अक्टूबर 1959** को राजस्थान के **नागौर जिले के बगदरी गाँव** से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। [CET (10+2) 2024]
- **संवैधानिक दर्जा (1989) :** पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 1989 में राजीव गाँधी सरकार ने 64वाँ संविधान संशोधन प्रस्तुत किया, जो लोकसभा में पारित हुआ परन्तु राज्यसभा में पारित नहीं हो सका।
- **73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन (1992) :** [Grade 3rd Social Sci. (L-2) 2026] 1992 में नरसिम्हा राव सरकार ने 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। [CET (10+2) 2024] इसके बाद सबसे पहले चुनाव मध्यप्रदेश में हुए।

अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य

- राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 पारित किया गया।

पंचायती राज से संबंधित महत्त्वपूर्ण समितियाँ

बलवंत राय मेहता समिति (1957) :

- बलवंत राय मेहता समिति का संबंध स्थानीय स्वशासन से है। [VDO 2021] इस समिति ने 24 नवंबर, 1957 में रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- **उद्देश्य**
  - सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बेहतर लागू करने के सुझाव। [CET (10+2) 2024]
  - सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रमों की असफलता की जाँच/मूल्यांकन।
- **त्रिस्तरीय पंचायती राज** व्यवस्था की सिफारिश की, जिसमें शामिल हैं:-
  - ग्राम पंचायत स्तर
  - पंचायत समिति (खण्ड) स्तर
  - जिला स्तर
- प्रभावी कार्य के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था और भविष्य में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की भी अनुशंसा की।
- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना का सुझाव दिया।

9 लोकनीति; विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र [Public Policy; Legal Rights and Citizen's Charter]

लोकनीति

परिचय

❖ लोकनीति सरकार द्वारा प्रस्तावित ऐसी रूपरेखा और कार्यप्रणाली है, जो वांछित लोक कल्याणकारी उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। यह संविधान पर आधारित होती है, जिससे इसमें वैधानिक शक्ति होती है। लोकनीति के निर्माण में सरकारी तंत्र के साथ-साथ गैर-सरकारी संस्थानों और दबाव समूहों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

लोकनीति की प्रमुख परिभाषाएँ

❖ **प्लोडन** के अनुसार "किसी देश की सरकार द्वारा हर स्तर पर बनाई गई नीतियाँ वास्तव में लोकनीतियाँ ही होती हैं।"
❖ **थॉमस आर. डाई** के अनुसार "लोकनीति वह सब कुछ है, जिसका सरकार करने और न करने का निर्णय लेती है।"
❖ **टैरी** के अनुसार "लोकनीति वह लिखित और निर्देशित मार्गदर्शिका है, जिसे प्रबंधक अपनाता और अनुसरण करता है।"
❖ **डिमॉक** के अनुसार "लोकनीति वे सजगता से निर्धारित नियम हैं, जो प्रशासनिक निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं।"

लोकनीति निर्माण में योगदान देने वाले कारक

1. **कार्यपालिका:** नीति निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है।
2. **अन्य योगदानकर्ता:**
   - ✧ संविधान
   - ✧ लोक सेवाएँ
   - ✧ नीति आयोग
   - ✧ अंतरराष्ट्रीय संगठन
   - ✧ विधानमंडल
   - ✧ राजनीतिक दल
   - ✧ व्यावसायिक संगठन
   - ✧ प्रेस

लोकनीति निर्माण प्रक्रिया

1. **समस्या की पहचान:** उस मुद्दे का चयन, जिसे हल करने की आवश्यकता है।
2. **मंत्रिमंडल द्वारा रूपरेखा निर्माण:** नीति का प्रारंभिक खाका तैयार करना।
3. **विशेषज्ञ संस्था का गठन:** तकनीकी और विशेषज्ञ सलाह के लिए समिति बनाना।
4. **व्यापक रूपरेखा निर्माण:** समस्या का गहन अध्ययन और नीति का विस्तृत प्रारूप।
5. **ड्राफ्ट नीति का प्रकाशन:** जनता और संबंधित संस्थानों के लिए मसौदा प्रकाशित करना।
6. **कैबिनेट द्वारा प्रस्तुति:** संसद या विधानमंडल में प्रस्तावित नीति को पेश करना।
7. **स्वीकृति प्रक्रिया:** सक्षम अधिकारी या विधानमंडल द्वारा नीति को अनुमोदित करना।
8. **अंतिम नीति की घोषणा:** स्वीकृति के बाद नीति को आधिकारिक रूप से लागू करना।

लोकनीति निर्माण की समस्याएँ

❖ **सटीक जानकारी की कमी:** विश्वसनीय आंकड़े और तथ्य उपलब्ध नहीं होना।
❖ **सूचना प्रबंधन की कमजोरी:** जानकारी एकत्र करने और प्रबंधित करने का तंत्र कमजोर होना।
❖ **सामान्य विशेषज्ञों का दबदबा:** केवल सामान्यज्ञों का अधिक प्रभाव होना।
❖ **जन-सहयोग की कमी:** नीतियों में जनता की पर्याप्त भागीदारी न होना।
❖ **विशेषज्ञता का अभाव:** विशेषज्ञों के ज्ञान और कौशल का पूरा लाभ न उठाना।

लोकनीति क्रियान्वयन में बाधाएँ

❖ **संसाधनों की कमी:** वित्तीय, तकनीकी और मानव संसाधनों का अभाव।
❖ **जटिल प्रक्रियाएँ:** नियमों और प्रक्रियाओं का अत्यधिक जटिल होना।
❖ **राजनीतिक हस्तक्षेप:** अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार का होना।
❖ **संवेदनशीलता का अभाव:** लोकसेवकों में जनता की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता की कमी।
❖ **स्पष्टता की कमी:** नीतियों के उद्देश्यों का स्पष्ट न होना।
❖ **जन-सहयोग की कमी:** जनता का अपेक्षित समर्थन और भागीदारी न मिलना।

विधिक अधिकार (Legal Rights)

❖ विधिक अधिकार किसी व्यक्ति के हितों को सुरक्षित रखने का ऐसा माध्यम है, जिसे विधि द्वारा मान्यता और संरक्षण प्राप्त होता है। इसके लिए राज्य की स्वीकृति और लागू करने की क्षमता अनिवार्य होती है।

❖ **पदेन सदस्य:** समिति में सामाजिक कल्याण या महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित एक अधिकारी पदेन सदस्य होगा।

परिवाद (Complaint) के नियम और प्रक्रिया

1. **शिकायत दर्ज करने की अवधि:** व्यथित महिला घटना की तारीख से 3 महीने के भीतर लिखित में शिकायत आंतरिक/स्थानीय समिति को दर्ज कर सकती है।
2. **सुलह का प्रयास:**
   - ✧ समिति, जांच शुरू करने से पहले, व्यथित महिला के अनुरोध पर सुलह का प्रयास करेगी।
   - ✧ धन संबंधी समझौता (Monetary Settlement) स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. **पुलिस को शिकायत:** यदि व्यथित महिला भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत मामला दर्ज कराना चाहती है, तो:
   - ✧ समिति 7 दिनों के भीतर पुलिस को शिकायत भेजेगी।
4. **जांच प्रक्रिया और समय सीमा:**
   - ❖ समिति 90 दिनों के भीतर शिकायत की जांच पूरी करेगी।
   - ❖ जांच के दौरान, समिति को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
5. **रिपोर्ट और कार्रवाई:**

❖ **रिपोर्ट की समय सीमा:** जांच पूरी होने के 10 दिनों के भीतर, आंतरिक/स्थानीय समिति अपनी रिपोर्ट:
   - ✧ नियोजक या जिला अधिकारी को देगी।
   - ✧ रिपोर्ट की एक कॉपी संबंधित पक्षकारों को भी दी जाएगी।

नोट:- ✧ समिति के निष्कर्षों के आधार पर नियोजक या जिला अधिकारी मामले पर कार्रवाई करेंगे।
✧ समिति निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से जांच सुनिश्चित करेगी।

कार्यस्थल पर नियोजक के कर्त्तव्य (Employer's Responsibilities)

1. **सुरक्षित कार्य वातावरण:** कार्यस्थल पर सभी महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना।
2. **समिति को सहायता:** आंतरिक/स्थानीय समिति को शिकायतों पर कार्रवाई और जांच के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना।
3. **जानकारी उपलब्ध कराना:** शिकायत से संबंधित आवश्यक और प्रासंगिक जानकारी समिति को उपलब्ध कराना।
4. **कार्रवाई शुरू करना: यदि अपराधी कार्यस्थल का कर्मचारी नहीं है, तो:**
   - ✧ भारतीय दंड संहिता (IPC) या अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करना।
   - ✧ व्यथित महिला की इच्छाओं का सम्मान करना।
5. **सेवा नियमों के तहत कार्रवाई:** लैंगिक उत्पीड़न को कदाचार (misconduct) मानते हुए, संबंधित सेवा नियमों के तहत कार्रवाई शुरू करना।
6. **रिपोर्ट मॉनिटर करना:** आंतरिक समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समयबद्ध समीक्षा और निगरानी करना।

वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना:

❖ आंतरिक समिति/स्थानीय समिति हर कैलेंडर वर्ष में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी।
❖ यह रिपोर्ट नियोजक और जिला अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
❖ जिला अधिकारी इन वार्षिक रिपोर्टों पर एक सारांश रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।

नागरिक अधिकार-पत्र (Citizen's Charter)

1. **नागरिक अधिकार-पत्र का परिचय:**

❖ यह एक दस्तावेज है जो नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
❖ इसमें सेवाओं की गुणवत्ता, सूचना, परामर्श, गैर-भेदभाव, शिकायत निवारण, शिष्टाचार आदि की जानकारी दी जाती है।

2. **नागरिक अधिकार-पत्र का इतिहास:**

❖ **ब्रिटेन में शुरुआत (1991):**
   - ✧ ब्रिटेन में नागरिक अधिकार-पत्र की शुरुआत एक श्वेत पत्र के साथ हुई।
   - ✧ तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने सार्वजनिक सेवाओं में श्रेष्ठ कार्य करने वालों को 'चार्टर मार्क स्कीम' के तहत सम्मानित करने की योजना शुरू की।

❖ **भारत में शुरुआत:**
   - ✧ NGO 'कॉमन कॉज' ने भारत में सिटीजन चार्टर को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन किया।
   - ✧ 1996 में राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में पहली बार प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया।
   - ✧ **24 मई 1997:** मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में नौ-सूत्रीय कार्य योजना के तहत सिटीजन चार्टर की शुरुआत।

3. **नौ-सूत्रीय कार्य योजना:**
   1. नागरिकों के लिए अधिकार-पत्र और जवाबदेह प्रशासन।
   2. प्रभावी और त्वरित लोक शिकायत निवारण।
   3. ग्रामीण और शहरी निकायों को अधिक अधिकार।
   4. कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और सरलीकरण।
   5. प्रशासन में पारदर्शिता।
   6. सरकारी कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार।
   7. लोक सेवकों के लिए आचार संहिता।
   8. कार्मिकों के कार्यकाल का स्थायित्व।
   9. सेवाओं का विकेंद्रीकरण।

4. **भारत में सिटीजन चार्टर का विकास:**

❖ **पहला सिटीजन चार्टर (1997):** केंद्र सरकार द्वारा पहला चार्टर खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय ने जारी किया।

❖ **राजस्थान में सिटीजन चार्टर:**
   - ✧ **1998:** खाद्य और आपूर्ति विभाग।
   - ✧ **1999:** राजस्व मंडल ने सिटीजन चार्टर लागू किया।

5. **वर्तमान स्थिति (जनवरी 2011):**

❖ **केंद्रीय स्तर पर:** मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए गए नागरिक अधिकार पत्रों की संख्या 131 है।
❖ **राजस्थान में:** राज्य सरकार द्वारा जारी नागरिक अधिकार पत्रों की संख्या 65 है।

नोट:- सिटीजन चार्टर का उद्देश्य प्रशासन को उत्तरदायी, पारदर्शी, और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है।

दक्ष की पुस्तकें Online Order करने के लिए www.dakshbooks.com पर जायें

राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें

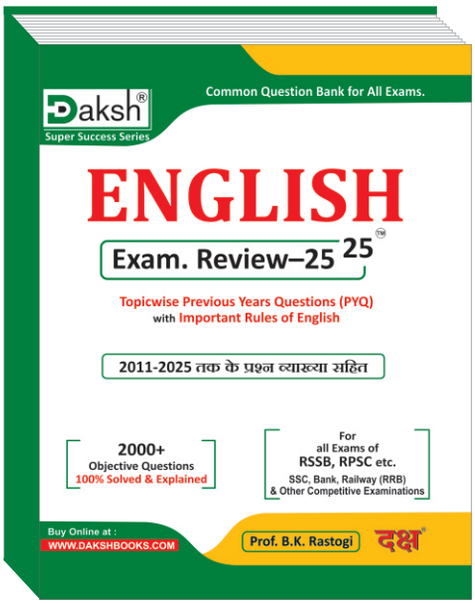

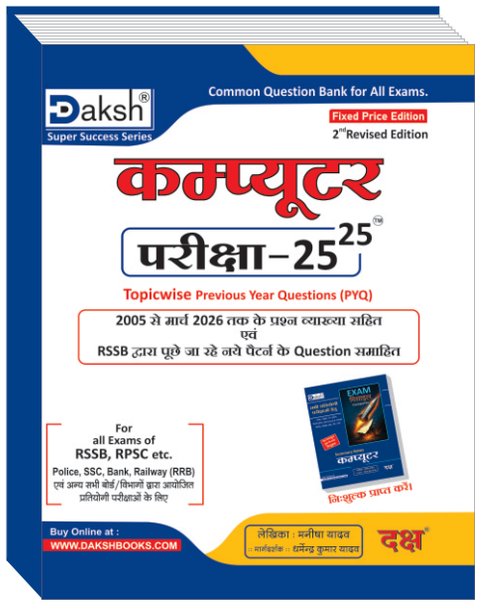

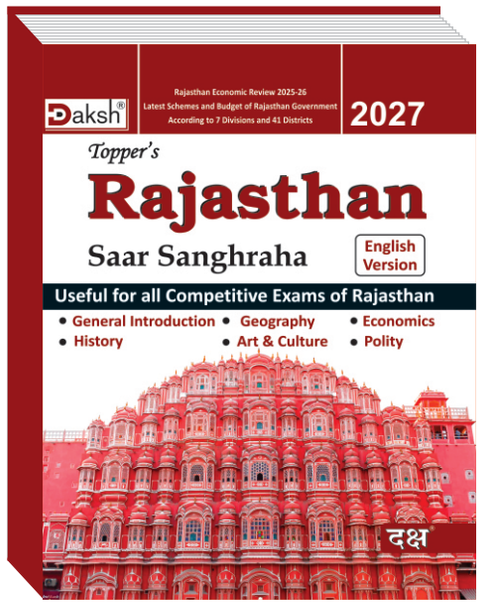

Comming Soon

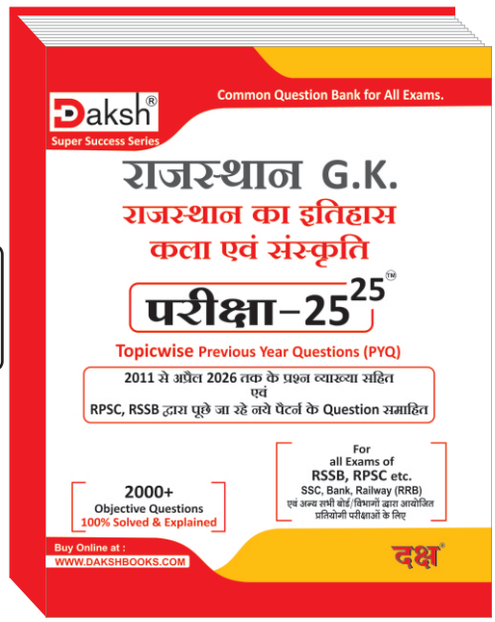

DAKSH PUBLICATIONS
(A Unit of College Book Centre)
A-19, Sethi Colony, Jaipur (Raj.)
Contact : 98291-49659
Code No. D-945 | ₹ 780/-

इस पुस्तक को ONLINE खरीदने हेतु
WWW.DAKSHBOOKS.COM
पर ORDER करें
★ SPECIAL DISCOUNT + FREE DELIVERY ★